

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 22]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 2 जून 2017—ज्येष्ठ 12, शक 1939

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 मई 2017

क्र. ई-5-458-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती रश्मि शुक्ला शर्मा, आयएएस., (1984) को दिनांक 1 से 26 मई 2017 तक छब्बीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 29 एवं 30 अप्रैल 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाशकाल में श्रीमती रश्मि अरूण शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रश्मि अरूण शर्मा अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहती.

क्र. ई-5-607-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री के. सी. गुप्ता, आयएएस, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य भंडार गृह निगम को दिनांक 22 से 26 मई 2017 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 20, 21 मई 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्री के. सी. गुप्ता की अवकाश अवधि में श्रीमती नीलम शर्मा राव, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग तथा आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य भंडार गृह निगम का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री के. सी. गुप्ता को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन,

खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य भंडार गृह निगम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री के. सी. गुप्ता द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य भंडार गृह निगम का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती नीलम शमी राव, भाप्रसे उक्त प्रभार से मुक्त होंगी।

(5) अवकाशकाल में श्री के. सी. गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. सी. गुप्ता, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 9 मई 2017

क्र. ई-1-411-2016-5-एक(ई).—श्री वीरेन्द्र सिंह रावत को भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 14015/13/2016-AIS(I)-B, दिनांक 13 जनवरी 2017 से भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति से नियुक्ति प्रदान करते हुए, उन्हें भा.प्र.से. में आवंटन वर्ष 2008 आवंटित किया गया है।

(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 28 दिसम्बर 2016 द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति द्वारा नियुक्त आवंटन वर्ष 2008 के भा.प्र.से. अधिकारियों को उनके आवंटन वर्ष से 09 वर्ष की सेवा दिनांक 1 जनवरी 2017 को पूर्ण कर लेने के फलस्वरूप दिनांक 1 जनवरी 2017 से भा.प्र.से. (वेतन) नियमावली, 2007 के नियम-3(I) के अन्तर्गत कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान-पे बैंड (रुपये 78,800—209200) में स्वीकृत किया गया है, जिसमें श्री वीरेन्द्र सिंह रावत से तत्काल कनिष्ठ अधिकारी श्री आलोक कुमार सिंह का नाम भी शामिल है।

(3) अतः राज्य शासन एतद्वारा श्री वीरेन्द्र सिंह रावत, भा.प्र.से. (2008), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत शाजापुर को उनके भा.प्र.से. में पदोन्नति द्वारा नियुक्ति की तिथि से अर्थात् दिनांक 13 जनवरी 2017 से भा.प्र.से. (वेतन) नियमावली, 2007 के नियम-3 (I) के अन्तर्गत कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान-पे बैंड (रुपये 78,800—209200) में स्वीकृत करता है।

(4) श्री वीरेन्द्र सिंह रावत, भा.प्र.से. (2008), को उपरोक्त कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान इस शर्त के अधीन स्वीकृत किया जाता है, कि वे आगामी मिड-केरियर ट्रेनिंग फेज-III कार्यक्रम में अनिवार्यतः भाग लेंगे।

भोपाल, दिनांक 11 मई 2017

क्र. ई-1-144-2017-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में

दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:—

क्र.	अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1	श्रीमती रेणू पंत (2000) वि.क.अ.-सह-सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर.	आयुक्त (फील्ड) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, इन्दौर.
2	सुश्री नेहा मारव्या सिंह (2011), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं पदेन अपर कलेक्टर, (विकास), शिवपुरी.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.
3	सुश्री ऋजु बाफना (2014) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नागदा, जिला उज्जैन.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), राजपुर, जिला बड़वानी.

(2) श्री इकबाल सिंह बैस, भाप्रसे (1985), अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग तथा आनंद विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सचिव, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संसदीय कार्य विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

(3) श्री व्ही. के. बाथम, भाप्रसे (1992), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग अपने वर्तमान कर्तव्यों को पूर्ववत् संपादित करते रहेंगे।

(4) श्रीमती वंदना वैद्य, राप्रसे (आर.आर. 1993), उपसचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सचिव मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

क्र. ई-5-576-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) डॉ. राजेश राजौरा, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग को दिनांक 1 से 9 जून 2017 तक नौ दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 10 एवं 11 जून 2017 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) डॉ. राजेश राजौरा की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री अजीत केसरी, भाप्रसे प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर डॉ. राजेश राजौरा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) डॉ. राजेश राजौरा द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अजीत केसरी उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में डॉ. राजेश राजौरा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. राजेश राजौरा, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 16 मई 2017

क्र. ई-5-850-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री बी. एम. शर्मा, आयएएस., आयुक्त, शहडोल संभाग, शहडोल को दिनांक 31 मई से 9 जून 2017 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 10, 11 जून 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्री बी. एम. शर्मा की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री गुलशन बामरा, भाप्रसे आयुक्त, जबलपुर संभाग जबलपुर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री बी. एम. शर्मा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, शहडोल संभाग, शहडोल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री बी. एम. शर्मा द्वारा आयुक्त शहडोल संभाग, शहडोल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री गुलशन बामरा, भाप्रसे उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री बी. एम. शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. एम. शर्मा, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-896-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री राजेन्द्र सिंह, आयएएस., अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को दिनांक 22 मई से 3 जून 2017 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री राजेन्द्र सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेन्द्र सिंह, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-1009-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री नागेन्द्र प्रसाद मिश्रा, आयएएस., अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग को दिनांक 15 से 19 मई 2017 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 13, 14 एवं 20, 21 मई 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री नागेन्द्र प्रसाद मिश्रा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री नागेन्द्र प्रसाद मिश्रा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नागेन्द्र प्रसाद मिश्रा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 17 मई 2017

क्र. ई-5-649-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती रश्मि अरूण शर्मा, आयएएस., सचिव, (कार्मिक), मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 11 से 19 मई 2017 तक, नौ दिन का चाइल्ड केयर अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 10 एवं 20, 21 मई 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती रश्मि अरूण शर्मा को सचिव, (कार्मिक), मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती रश्मि अरूण शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रश्मि अरूण शर्मा अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

क्र. ई-5-686-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री फैज अहमद क़िदवई, आयएएस., प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति

निगम को दिनांक 12 जून से 31 अगस्त 2017 तक, इक्यासी दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 10, 11 जून 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री फैज अहमद किदवई को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री फैज अहमद किदवई को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री फैज अहमद किदवई अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-731-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री शिवशेखर शुक्ला, आयएएस., पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक मुद्रांक एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 5 मई 2017 द्वारा दिनांक 22 मई से 9 जून 2017 तक उन्नीस दिन का अर्जित अवकाश दिनांक 20, 21 मई 2017 एवं दिनांक 10, 11 जून 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 18 मई से 9 जून 2017 तक तेईस दिन का पुनरीक्षित अर्जित अवकाश दिनांक 10, 11 जून 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है.

(2) शेष कंडिकाएं समसंख्य आदेश दिनांक 5 मई 2017 अनुसार यथावत्.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बसंत प्रताप सिंह, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 19 मई 2017

क्र. एफ-ए-5-04-2011-एक (1).—भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय (न्याय विभाग), नई दिल्ली की अधिसूचना क्रमांक के. 13025/01/2015-यू.एस, II दिनांक 31 मार्च 2017 द्वारा माननीय श्री आलोक वर्मा की नियुक्ति मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में की गई है.

माननीय न्यायाधिपति श्री आलोक वर्मा द्वारा दिनांक 24 अप्रैल 2017 को पूर्वाह्न में अपने पद का कार्यभार ग्रहण किया है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. कातिया, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 8 मई 2017

क्र. ई-5-938-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री मधुकर अग्नेय, आयएएस, अपर आयुक्त, रीवा संभाग रीवा को दिनांक 15 से 30 अप्रैल 2017 तक सोलह दिन का लघुकृत अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में श्री मधुकर अग्नेय को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मधुकर अग्नेय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 16 मई 2017

क्र. ई-5-731-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री शिवशेखर शुक्ला, आयएएस., पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक मुद्रांक एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 27 मार्च 2017 द्वारा दिनांक 3 से 13 अप्रैल 2017 तक, ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश दिनांक 2 एवं 14, 15, 16 अप्रैल 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित स्वीकृत किया गया था, एतद्वारा निरस्त किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
फजल मोहम्मद, अवर सचिव "कार्मिक".

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 मई 2017

क्र. एफ 1 (ए) 271-86-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री अशोक दोहारे, भापुसे, विशेष पुलिस महानिदेशक, राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल/निजी सुरक्षा एजेन्सीज पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 27, 28, 30, 31 मार्च 2017 व 1 अप्रैल 2017 तक पांच दिवस आकस्मिक अवकाश दिनांक 26-29 मार्च 2017 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ खण्डवर्ष 2014-17 के द्वितीय ब्लाक वर्ष 2016-17 के विस्तार वर्ष 2017 में अवकाश यात्रा सुविधा के अन्तर्गत गृह नगर दिल्ली की यात्रा एवं 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाशकाल में श्री अशोक दोहारे, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक दोहारे, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1 (ए)86-11-ब-2 दो.—राज्य शासन, श्री अखलेश झा, भापुसे, सेनानी 34वीं वाहिनी, विसबल, धार को दिनांक 27 जनवरी से 17 फरवरी 2017 तक बाईस दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 18-19 फरवरी 2017 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ खण्डवर्ष 2014-17 के द्वितीय ब्लाक वर्ष 2016-17 के विस्तार वर्ष 2016-17 में अवकाश यात्रा सुविधा के अन्तर्गत मधुवनी (बिहार) की सपरिवार यात्रा करने की उपभोग पश्चात् कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाशकाल में श्री अखलेश झा, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अखलेश झा, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्री दास, अपर मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 25 मार्च 2017

क्र. एफ. 1(ए) 30-2016-ब-2-दो.—श्री अमन सिंह राठौर, भा.पु.से. अनुविभागीय अधिकारी पुलिस जिला अनूपपुर को दिनांक 8 से 13 फरवरी 2017 तक छः दिवस पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अमन सिंह राठौर, भा.पु.से. को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी पुलिस जिला अनूपपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री अमन सिंह राठौर, भा.पु.से. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अमन सिंह राठौर, भा.पु.से. उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 17 मई 2017

क्र. एफ 1-64-2017-ब-2-दो.—राज्य शासन एतद्वारा श्री संजय चौधरी भापुसे, महानिदेशक, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा दिनांक 30 मार्च से 7 अप्रैल 2017 तक नौ दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 29 मार्च व 08, 09 अप्रैल 2017 के विज्ञप्त अवकाश की अवधि में जुमेरा-1, दुबई (UAE) भ्रमण

हेतु निजी विदेश यात्रा (Ex India Leave) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है:—

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा।
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे।
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे।
4. स्वीकृत अवकाश में वृद्धि नहीं करेंगे।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री संजय चौधरी भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से महानिदेशक, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं मध्यप्रदेश भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल श्री संजय चौधरी भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजय चौधरी भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ 1-67-2017-ब-2-दो.—राज्य शासन एतद्वारा श्री महान भारत सागर, भापुसे विशेष पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण) पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा दिनांक 6 मई से 3 जून 2017 तक स्वीकृत उन्तीस दिवस के अर्जित अवकाश एवं 4 जून 2017 के विज्ञप्त अवकाश की अवधि में सेन्ट्रल एशिया के देश किरगिस्तान, उज्बेकिस्तान एवं कजाकिस्तान भ्रमण हेतु निजी विदेश यात्रा (Ex India Leave) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है:—

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा।
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे।
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे।
4. स्वीकृत अवकाश में वृद्धि नहीं करेंगे।

(2) श्री महान भारत सागर, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य अति. पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण), पु.मु. भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री महान भारत सागर, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से विशेष

पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण) पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री महान भारत सागर, भापुसे के कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल श्री महान भारत सागर, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री महान भारत सागर, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ 1-75-2017-ब-2-दो.—श्रीमती अरूणा मोहन राव, भापुसे अति. पुलिस महानिदेशक (महिला अपराध) पुमु. भोपाल को न्यू यार्क, न्यू जर्सी, (USA) एवं फ्रैंकफर्ट, म्यूनिख, विएना (Europe) की निजी विदेश यात्रा हेतु दिनांक 15 मई से 9 जून 2017 तक छब्बीस दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 13-14 मई 2017 के पूर्ववर्ती तथा दिनांक 10-11 जून 2017 के पश्चात्पूर्वी विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुए (एक्स इण्डिया लीव्ह) एवं निजी विदेश यात्रा की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के तहत प्रदान की जाती है:—

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा।
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे।
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे।
4. स्वीकृत अवकाश में वृद्धि नहीं करेंगे।

(2) उपरोक्त अवकाश अवधि में श्रीमती अरूणा मोहन राव, भा.पु.से., का कार्य श्री एस. एल. थाउसेन, भा.पु.से. अतिरिक्त

पुलिस महानिदेशक, (अजाक) पु.मु. भोपाल द्वारा उनके कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती अरूणा मोहन राव, भा.पु.से., को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से अति. पुलिस महानिदेशक (महिला अपराध) पुमु. भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्रीमती अरूणा मोहन राव, भा.पु.से., के कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल श्रीमती अरूणा मोहन राव, भा.पु.से., को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती अरूणा मोहन राव, भा.पु.से., अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 18 मई 2017

क्र. एफ 1 (ए)92-2011-ब-2 दो.—राज्य शासन, विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 7 मार्च 2017 द्वारा श्री के. बी. शर्मा, भा.पु.से. पुलिस उप महानिरीक्षक (ग्रामीण) रेन्ज भोपाल को दिनांक 27 फरवरी से 10 मार्च 2017 तक बारह दिवस का अर्जित अवकाश दिनांक 26 फरवरी एवं 11, 12 मार्च 2017 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया गया था. श्री के. बी. शर्मा, भा.पु.से. द्वारा स्वीकृत अवकाश अवधि के पूर्व उपस्थित होने के कारण निम्नानुसार दिनांक 27 फरवरी से 9 मार्च 2017 तक ग्यारह दिवस का अर्जित अवकाश दिनांक 26 फरवरी 2017 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ से अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) शेष कंडिकाएं यथावत्.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीदास, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 15 मई 2017

फा. क्र. 17(ई)43-2009-इक्कीस-ब(एक)-1864-2017.—ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 (2009 का 4) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17(ई)43-2009-2251-इक्कीस-ब(एक)16, दिनांक 10 मई 2013 जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 में दिनांक 24 मई 2013 को प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 11, 36 और 85 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा

उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

सारणी

अनु.- क्रमांक	न्यायाधिकारी का नाम	पदस्थापना का स्थल	सिविल जिले का नाम	मध्यवर्ती स्तर की पंचायत के लिये ग्राम न्यायालय का नाम	ग्राम न्यायालय के मुख्यालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"11.	श्री संकर्षण प्रसाद पाण्डे, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-II.	भिण्ड	भिण्ड	भिण्ड	भिण्ड
36.	श्रीमती प्रेमा साहू, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-I.	सोहागपुर	होशंगाबाद	सोहागपुर	सोहागपुर
85.	श्रीमती आरती शर्मा, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-II.	मण्डलेश्वर	मण्डलेश्वर	मण्डलेश्वर	मण्डलेश्वर."

F. No. 17(E)43-2009-XXI-B(1)-1864-2017.—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act, 2008 (No. 4 of 2009), the State Government, in Consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in this Department's Notification F. No. 17(E)43-2009-2251-XXI-B(I)-16, dated 10th May, 2013, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, dated 24th May, 2013, namely :—

AMENDMENT

In the said Notification, in the table, for serial numbers 11, 36 and 85 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

TABLE

S. No.	Name of Nyayadhikari	Place of Posting	Name of Civil District	Name of Gram Nyayalaya for Panchayat at Intermediate level	Name of Headquarter of Gram Nyayalaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"11.	Shri Sankarshan Prasad Pandey 1st Civil Judge, Class-II.	Bhind	Bhind	Bhind	Bhind
36.	Smt. Prema Sahu, Civil Judge, Class-I.	Sohagpur	Hoshangabad	Sohagpur	Sohagpur
85.	Smt. Arti Sharma, IInd Civil Judge, Class-II.	Mandleshwar	Mandleshwar	Mandleshwar	Mandleshwar

भोपाल, दिनांक 18 मई 2017

फा. क्र. 3(बी)3-2015-इक्कीस-ब(एक) 1398.—(मेरिट क्र. 79), राज्य शासन, श्री नीरज कुमार ठाकुर पिता श्री दया राम ठाकुर को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला जबलपुर (म. प्र.) है। उसकी जन्मतिथि 2 अप्रैल, 1983 है।

भोपाल, दिनांक 22 मई 2017

फा. क्र. 17(ई)67-2008-2137-2017-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों की सेवायें श्रम न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के पद पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, आगामी आदेश होने तक, प्रतिनियुक्ति पर श्रम विभाग को सौंपता है:—

क्र.	नाम तथा पद	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1	डॉ. कुमारी मेहजबीन खान, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, हरदा के न्यायालय की अतिरिक्त न्यायाधीश।	पीठासीन अधिकारी श्रम न्यायालय, भोपाल श्रीमती कुमुदनी पटेल के स्थापना पर।
2	श्री निलेश यादव, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 सतना।	पीठासीन अधिकारी श्रम न्यायालय, सतना (रिक्त पद)।
3	श्री आशीष प्रताप सिंह, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, जबलपुर।	अतिरिक्त पीठासीन अधिकारी श्रम न्यायालय, इन्दौर श्री तनवीर अहमद खान के स्थान पर।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. एम. सक्सेना, प्रमुख सचिव।

भोपाल, दिनांक 22 मई 2017

फा. क्र. 2215-2007-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग की विभागीय नियमावली के नियम 21 के अधीन एतद्वारा श्री लीलाकिशन गुर्जर, जिन्हें इस विभाग के समसंख्यक आदेश 26 सितम्बर 2004 के द्वारा अतिरिक्त लोक अभियोजक एवं

अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक सिहोर, जिला सिहोर नियुक्त किया गया था, को उनके विरुद्ध पुलिस थाना कोतवाली, सिहोर में पंजीबद्ध अपराध क्र. 607/2016, धारा 375, 376, 354ए, 323, 506 सहपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किये जाने के फलस्वरूप, अपर लोक अभियोजक एवं अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक सिहोर, जिला सिहोर के रूप में नियुक्ति निरस्त कर उक्त पद से तुरन्त प्रभाव से अभिमुक्त करता है।

फा. क्र. 2148-2017-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन द्वारा, नोटरी अधिनियम, 1952 (क्रमांक 53 सन् 1952) की धारा 10 के खंड (घ) सहपठित नोटरी नियम 1956 के नियम, 13 के उपनियम (12) के खंड (ख) (i) के अन्तर्गत एतद्वारा श्री अमृतलाल लोधी, नोटरी, तहसील-पिछोर, जिला-शिवपुरी को, नोटरी के रूप में व्यवसाय करने का प्रमाण-पत्र निरस्त करते हुए स्थाई तौर से नोटरी का व्यवसाय करने से वर्जित किया जाता है और श्री अमृतलाल लोधी का नाम नोटरी के रजिस्ट्रार से हटाया जाता है।

फा. क्र. 2149-2017-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन द्वारा, नोटरी अधिनियम, 1952 (क्रमांक 53 सन् 1952) की धारा 10 के खंड (घ) सहपठित नोटरी नियम 1956 के नियम, 13 के उपनियम (12) के खंड (ख) (i) के अन्तर्गत एतद्वारा श्री श्रवण कुमार गोयल, नोटरी जिला गुना को, नोटरी के रूप में व्यवसाय करने का प्रमाण-पत्र निरस्त करते हुए स्थाई तौर से नोटरी का व्यवसाय करने से वर्जित किया जाता है और श्री श्रवण कुमार गोयल का नाम नोटरी के रजिस्ट्रार से हटाया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामकुमार चौबे, सचिव।

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 मई 2017

क्र. 1077-768-2017-ए-ग्यारह.—इंडियन बॉयलर्स एक्ट, 1930 की धारा 34(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन मेसर्स नेशनल फर्टीलाइजर्स लि. विजयपुर, जिला गुना वाष्पयंत्र क्रमांक एम.पी/4462 के स्टिमिंग लायसेंस के प्रमाण-पत्र की वैधता अवधि में दिनांक 10 मई 2017 से 31 अक्टूबर 2017 तक छः माह की वृद्धि बढ़ाये जाने को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6(सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से निम्नानुसार छूट प्रदान करता है:—

1. संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर्स अधिनियम, 1923 की धारा-18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश, इन्दौर को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी।

2. उपर्युक्त अधिनियम की धारा-02 तथा 13 की अपेक्षानुसार बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.
3. संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि यह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.
4. नियत कालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकलने (रेग्युलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.
5. मध्यप्रदेश बायलर निरीक्षक नियम, 1969 के नियम-6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी.
6. यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है. आदेश दिया जाता है कि इसे मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित किया जाये.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शालिनी सिन्हा, अवर सचिव.

पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
Bhopal the 15th May, 2017

No. F-12-37-2017-18-5.—The Government of Madhya Pradesh in consultation with Madhya Pradesh State Pollution Control Board has declared the whole of the State of Madhya Pradesh as Air Pollution control area under section 19(1) of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 vide Notification No. 1481-1473.3288 dated 9th March 1988 for the purpose of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981

WHEREAS the Government of Madhya Pradesh had considered the matter relating to the indiscriminate burning of left over paddy and wheat straw/stubble in the open fields in the State and it has been observed that the indiscriminate burning of said left over straw/stubble in open field after the harvesting crops is causing wide spread pollution in whole of the State of Madhya Pradesh resulting in various kinds of environmental Problems.

AND WHEREAS, air pollution caused by the burning of the left over straw leads to eye irritation respiratory diseases like bronchitis, asthma etc. increasing individual

diseases mitigation expenses and also affecting one's working capacity. In addition, open burning in the field affects the life of animals, birds and other insects below and above the earth and also causes poor visibility and increases the incidence of road accidents.

WHEREAS, section 19(5) of the air (prevention & control of pollution) act, 1981 empowers the State Government to prohibit the burning of any material (not being fuel) in the air pollution control area of part there of which may cause or is likely to cause air pollution by issuing a notification in this regard after consultation with the state Pollution control board.

AND, WHEREAS, the state Government after consultation with the Madhya Pradesh state pollution control board is of the opinion that the indiscriminate burning of left over paddy and wheat straw/stubble after harvesting of the crop in the state causes wide spread air pollution which is harmful to the environment as well as other living creatures

Therefore, in exercise of the power conferred under section 19(5) of the air (prevention & Control of pollution act 1981, Governor of Madhya Pradesh is pleased to issue directions to all concerned and general public and hereby prohibits the indiscriminate burning of left over paddy and wheat straw/stubble in the whole of state of Madhya Pradesh with immediate effect.

Any person or body that is found offending this direction would be liable to pay Environmental Compensation as per directives of Honourable National Green Tribunal as follows:—

1. Small land holders having an area less than 2 acres shall pay Environmental Compensation of Rs. 2500/- per incidence.
2. Land holders having land area more than 2 acres but less than 5 acres shall pay Environment Compensation of Rs. 5000/- per incidence.
3. Land holders having an area more than 5 acres shall pay Environmental Compensation of Rs. 15000/- per incidence.

The District Magistrate of concerned district shall be responsible for executing these orders.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
RAJEEV SHARMA, Addl Secy.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 मई 2017

क्र. एफ 3-38-2017-अठारह-5.—एतद्वारा, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 17-क (1) के अन्तर्गत भिण्ड विकास योजना 2011 हेतु मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश क्र. 374/जि.या.स., दिनांक 7 फरवरी 2003 को निरस्त करते हुए भिण्ड विकास योजना 2031 निम्नानुसार समिति का पुनर्गठन किया जाता है. यह समिति अधिनियम की धारा 17-क (2) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी.

अधिनियम की की धारा 17-क(1) की उपधारा	पद नाम	संस्था का नाम/पता	समिति में पद
(1)	(2)	(3)	(4)
क	अध्यक्ष	नगरपालिका परिषद्, भिण्ड	सदस्य
ख	अध्यक्ष	जिला पंचायत, भिण्ड	सदस्य
ग	लोक सभा सदस्य	संसदीय क्षेत्र भिण्ड	सदस्य
घ	विधायक	विधान सभा क्षेत्र, भिण्ड, अटेर	सदस्य
ड	प्राधिकारी न होने से	नगर तथा ग्राम निवेश प्राधिकारी/साडा	निरंक
च	अध्यक्ष	जनपद पंचायत, भिण्ड, अटेर	सदस्य
छ	1. सरपंच	ग्राम पंचायत, कीरतपुरा	सदस्य
	2. सरपंच	ग्राम पंचायत, दबोह	सदस्य
	3. सरपंच	ग्राम पंचायत, जामना	सदस्य
	4. सरपंच	ग्राम पंचायत, मानपुरा	सदस्य
	5. सरपंच	ग्राम पंचायत, दीनपुरा	सदस्य
	6. सरपंच	ग्राम पंचायत, खादरगऊघाट (हेवतपुरा एवं कुम्हारौआ).	सदस्य
	7. सरपंच	ग्राम पंचायत, चत्थर (रतनपुरा)	सदस्य
	8. सरपंच	ग्राम पंचायत, मंगदपुरा	सदस्य
	9. सरपंच	ग्राम पंचायत, मुडियाखेडा (अटेर जनपद)	सदस्य
ज	1. प्रतिनिधि	कौंसिल ऑफ आर्किटेक्चर नई दिल्ली	सदस्य
	2. प्रतिनिधि	इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इंडिया नई दिल्ली	सदस्य
	3. प्रतिनिधि	इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया नई दिल्ली	सदस्य
	4. प्रतिनिधि	जिला कलेक्टर भिण्ड	सदस्य
	5. प्रतिनिधि	वनमंडलाधिकारी, भिण्ड	सदस्य
	6. प्रतिनिधि	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, भिण्ड	सदस्य
	7. प्रतिनिधि	कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भिण्ड	सदस्य
झ	समिति का संयोजक	संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय ग्वालियर, म.प्र.	समिति का संयोजक

क्र. एफ 3-39-2017-अठारह-5.—एतद्वारा, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 17-क (1) के अन्तर्गत दतिया विकास योजना 2021 हेतु मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश क्र. एफ 3-13/2008/बत्तीस दिनांक 22 जनवरी 2008 को निरस्त करते हुए दतिया विकास योजना 2031 निम्नानुसार समिति का पुनर्गठन किया जाता है. यह समिति अधिनियम की धारा 17-क (2) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी.

अधिनियम की धारा 17-क(1) की उपधारा	पदनाम	संस्था का नाम/पता	समिति में पद
(1)	(2)	(3)	(4)
क	अध्यक्ष	नगर परिषद, दतिया	सदस्य
ख	अध्यक्ष	जिला पंचायत, दतिया	सदस्य
ग	लोक सभा सदस्य	लोकसभा क्षेत्र भिण्ड-दतिया	सदस्य
घ	विधायक	विधान सभा क्षेत्र, दतिया,	सदस्य
ड	प्राधिकारी न होने से	नगर तथा ग्राम निवेश प्राधिकारी/साडा	निरंक
च	अध्यक्ष	जनपद पंचायत, दतिया	सदस्य
छ	1. सरपंच	ग्राम पंचायत, वाजिनी (रामनगर)	सदस्य
	2. सरपंच	ग्राम पंचायत, डगरई, (डगरई, हमीरपुर, दीवान की रूंद)	सदस्य
ज	1. प्रतिनिधि	कोसिल ऑफ आर्किटेक्चर नई दिल्ली	सदस्य
	2. प्रतिनिधि	इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इंडिया	सदस्य
	3. प्रतिनिधि	नई दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया	सदस्य
	4. प्रतिनिधि	नई दिल्ली जिला कलेक्टर दतिया	सदस्य
	5. प्रतिनिधि	वनमंडलाधिकारी, दतिया	सदस्य
	6. प्रतिनिधि	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, दतिया	सदस्य
	7. प्रतिनिधि	कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, दतिया	सदस्य
झ	समिति का संयोजक	संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय ग्वालियर, म.प्र.	समिति का संयोजक

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. के. साधव, उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, जिला मजिस्ट्रेट, जिला- टीकमगढ़, मध्यप्रदेश

टीकमगढ़, दिनांक 27 फरवरी 2017

क्र. 185-आरडीएम-2017—मध्यप्रदेश शासन, गृह (पुलिस). विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ-2(क)-10-2015-वी-3-दो, दिनांक 23 नवम्बर 2016 अनुसार ग्राम मजना, थाना बल्देवगढ़ में नवीन पुलिस चौकी की स्थापना की गई है. तदनुसार पुलिस चौकी मजना, थाना बल्देवगढ़, में थाना बल्देवगढ़ जतारा, देहात थाना टीकमगढ़ के निम्नानुसार ग्राम सम्मिलित रहेंगे :—

1. ग्राम मजना, 2. भितरवार, 3. बनयानी, 4. वनपुरा,
5. जसबंतनगर, 6. कटेरा, 7. मनगढ़, 8. बम्हौरीनकीबन, 9. रायपुर,
10. सुनौनी, 11. रौरई, 12. कमलनगर, 13. भड़रा, 14. चतुरकारी,
15. हन्डासागर, 16. पनयाराखेरा, 17. इन्द्र महेबा, 18. वनयानी,
19. छीपौन.

उपर्युक्तानुसार पुलिस चौकी मजना थाना बल्देवगढ़ में राजस्व ग्राम सम्मिलित रहेंगे तदनुसार सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु अधिसूचना जारी की जाती हैं.

प्रियंका दास, जिला मजिस्ट्रेट एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश

नरसिंहपुर, दिनांक 25 अप्रैल 2017

क्र. 5082-ASR-2011—श्री जे. समीर लकरा, अपर कलेक्टर, नरसिंहपुर की पदस्थापना जिले में हो जाने से मैं, डॉ. आर. आर. भोंसले, (आई. ए. एस.) कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, नरसिंहपुर पूर्व में जारी किए गए समस्त कार्य विभाजन आदेश निरस्त करते हुए प्रशासनिक दृष्टिकोण से निम्नानुसार कार्य विभाजन करता हूँ :—

(1) डॉ. आर. आर. भोंसले, जिला कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी, नरसिंहपुर

(अ) दांडिक.—

1. जिला दंडाधिकारी, नरसिंहपुर की समस्त शक्तियों का प्रयोग.
2. सम्पूर्ण जिले के कार्यपालिक दंडाधिकारियों के कार्य पर नियंत्रण एवं निरीक्षण.

(ब) राजस्व.—

1. मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 के अंतर्गत धारा 107 को छोड़कर शेष मूल प्रकरणों का निपटारा.
2. अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 37 एवं उसके

अंतर्गत बने नियंत्रण निर्देशों के अंतर्गत समस्त मूल प्रकरणों एवं उक्त अधिनियम के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के आदेशों के विरुद्ध प्राप्त होने वाले अपील प्रकरणों का निराकरण.

3. राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 4/1 अंतर्गत भूमि हस्तांतरण एवं 4/3 की कंडिका 20/1 के अंतर्गत अदला बदली प्रकरणों का निपटारा.
4. विभिन्न अधिनियमों एवं कार्यपालिक निर्देशों के अंतर्गत अधिकार क्षेत्र के प्रकरणों का आवश्यकतानुसार निपटारा.
5. विभागीय जाँच की अपीलों का निराकरण.

(स) विविध.—

1. नरसिंहपुर जिले में पदस्थ अधीनस्थ अधिकारियों के कार्यों का पर्यवेक्षण तथा समन्वय.
2. आबकारी.
3. सामान्य निर्वाचन/लोकसभा/विधान सभा एवं स्थानीय निर्वाचन.
4. नजूल
5. खनिज शाखा
6. जिला कोषालय
7. खाद्य शाखा
8. लायसेंस शाखा
9. शहरी विकास अभिकरण
10. पंचायत शाखा, जिसमें कलेक्टर के आदेश की आवश्यकता हो.
11. जिला पंजीयक
12. जिला योजना समिति
13. भू-अर्जन नस्तियां अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति के परीक्षण के माध्यम से प्रस्तुत होगी.
14. प्रस्तुतकार कलेक्टर
15. जिला अंत्यावसायी सहकारी समिति
16. सांख्य लिपिक
17. भू-अभिलेख शाखा/भू-प्रबंधन
18. जिले में पदस्थ अधीनस्थ डिप्टी कलेक्टर/तहसीलदार/नायब तहसीलदार के समस्त अवकाश, सामान्य भविष्य निधि के आंशिक विकर्षण/अस्थायी अग्रिम की स्वीकृति.
19. नगरपालिका अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरणों का निराकरण.

20. जो दायित्व अन्य अधिकारियों को न सौंपे गये हों.

(2) सुश्री प्रतिभा पाल, अपर कलेक्टर (विकास) एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत नरसिंहपुर.

(निम्नलिखित विभागों के लिये प्रभारी अधिकारी)

1. कृषि विभाग
2. सहकारिता विभाग
3. जिला महिला एवं बाल विकास विभाग
4. जिला शिक्षा अधिकारी नरसिंहपुर
5. उद्यानिकी विभाग
6. पशुपालन विभाग
7. भत्स्य विभाग
8. सर्व शिक्षा अभियान
9. खादी ग्रामोद्योग विभाग/हाथकरघा विभाग
10. सामाजिक न्याय
11. जिला पंचायत से संबंधित विकास गतिविधियां तथा ग्रामीण विकास से संबंधित कार्य.

विविध.—

1. शिक्षा मिशन/पढ़ना-बढ़ना/सर्व शिक्षा अभियान
2. समग्र स्वच्छता अभियान
3. जन समस्या निवारण शिविरों अन्त्योदय मेले, ग्रामोदय से भारत उदय, नर्मदा सेवा मिशन का आयोजन एवं समीक्षा.
4. 11 सूत्रीय कार्यक्रम/15 सूत्रीय/20 सूत्रीय कार्यक्रम का क्रियान्वयन.
5. परख कार्यक्रम
6. प्रभारी अधिकारी, विकास शाखा
7. अल्प संख्यक कल्याण
8. प्रभारी अधिकारी, स्वरोजगार सेल तथा कौशल उन्नयन
9. कलेक्टर एवं जिला.दंडाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये कार्य.

(3) श्री जे. समीर लकरा, अपर कलेक्टर एवं अपर दण्डाधिकारी, नरसिंहपुर

(क) दांडिक.—

1. अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, नरसिंहपुर
2. जिला सत्कार अधिकारी, नरसिंहपुर
3. जिला दण्डाधिकारी, की अनुपस्थिति में उनके निर्देशानुसार कानून व्यवस्था बनाये रखना और आगन्तुकों/आवेदकों से मिलना.

(ख) राजस्व.—

1. मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 के अंतर्गत धारा 107

के प्रकरणों का निपटारा.

2. मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 के तहत अपीलों तथा निगरानी प्रकरणों का निराकरण.
3. विपणन संस्थाओं की अपीलों का निराकरण
4. पट्टों की शर्त उल्लंघन, सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना पट्टे की भूमि के क्रय-विक्रय के प्रकरणों का निराकरण.
5. शासकीय भूमि पर खड़े वृक्षों को काटने की अनुमति के प्रकरणों का निराकरण.
6. रोजगार सहायक की अपीलों का निराकरण
7. मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 237 के अंतर्गत भूमि के मद परिवर्तन के प्रकरणों का निराकरण.
8. अवैध कालोनियों के विरुद्ध कार्यवाही एवं उनके नियमितकरण के प्रकरणों का निराकरण.
9. आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं द्वारा प्रस्तुत अपील का निराकरण एवं इस संबंध में प्राप्त होने वाली शिकायतों की जांच व निराकरण.
10. मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम के अंतर्गत अपील तथा निगरानी प्रकरणों का निराकरण.
11. राज्य शासन के विभिन्न विभागों के भूमि आबंटन के प्रकरणों में कार्यवाही एवं भूमि आबंटन के आदेश जारी करना.
12. केन्द्र शासन/निजी व्यक्तियों/कंपनियों/संस्थाओं को शासकीय भूमि हस्तांतरण के प्रकरणों में कार्यवाही करना एवं प्रकरण शासन को आदेशार्थ भेजना एवं अन्य कार्यवाहियां.
13. सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त होने वाली अपीलों का निपटारा.
14. लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत अपीलों का निराकरण
15. विशेष विवाह अधिकारी, जिला नरसिंहपुर
16. आर. बी. सी. चार-1 की कंडिका 18 के तहत प्रस्तुत होने वाले अभ्यावेदनों का निराकरण.
17. मंडी अधिनियम के तहत प्रस्तुत होने वाली अपील तथा निगरानी प्रकरणों का निराकरण.
18. सीलिंग प्रकरणों तथा सीलिंग के तहत अधिनियम के तहत प्रस्तुत होने वाली अपीलों का निराकरण.
19. नजूल स्थायी/अस्थायी पट्टों का नवीनीकरण के प्रकरणों का अंतिम रूप से निराकरण.
20. शासकीय कर्मचारियों के उत्तराधिकारी प्रमाण-पत्र
21. तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की वेतनवृद्धि स्वीकृति.

22. ब्रिस्क योजना
23. जिला जनगणना अधिकारी/जनगणना से संबंधित सभी गार्ड फाईलों का संधारण एवं नियमानुसार क्रियान्वयन.
24. ऋण भार मुक्ति प्रमाण पत्र
25. The Reconstruction of Financoal Assets and Enforcement of Security Inerest Ac. 2002 के अंतर्गत प्राप्त होने वाले प्रकरणों का निराकरण.
26. वरिष्ठ शाखा के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य बीमारी एवं जिला राज्य बीमारी सहायता निधि के निर्धारित आवेदन पत्रों पर हस्ताक्षर बावत्.
27. किराया निर्धारण प्रमाण पत्र एम. पी. एफ. सी. भाग-2 नियम 60 (11).
28. प्रभारी अधिकारी स्वास्थ्य
29. जिला उद्योग के कार्यों वित्त विकास निगम के प्रभारी अधिकारी.
30. पल्स पोलियो के नोडल अधिकारी
31. चरित्र सत्यापन संबंधी कार्य.

(ग) अन्य.—

1. राहत
2. अल्प बचत अभिकर्ताओं की अंतिम नियुक्ति का कार्य.
3. तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि, यात्रा देयक एवं चिकित्सा देयकों का अंतिम निराकरण का कार्य.
4. तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के संपूर्ण अवकाश का अंतिम रूप से निराकरण किया जाना.
5. उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के लिये अंतिम रूप से प्रभारी अधिकारी नियुक्त करना.
6. विभिन्न सिविल एवं दाण्डिक न्यायालयों से प्राप्त होने वाले आदेशों का पालन करना. आय की जानकारी भेजना व अन्य आदेशों का समय सीमा में पालन प्रतिवेदन भेजना.
7. वित्त/स्थापना शाखा की नस्तियां (अपर कलेक्टर के माध्यम से प्रस्तुत होगी).
8. सामान्य एवं स्थानीय निर्वाचन शाखा की नस्तियां अपर कलेक्टर के माध्यम से प्रस्तुत की जायेगी.
9. नोडल अधिकारी सी. एम. हेल्पलाइन (कलेक्टर स्तर की समस्त सी. एम. हेल्प लाइन की शिकायतों का निराकरण).
10. जिला कार्यालय की समस्त शाखाओं की नस्तियां अपर कलेक्टर के माध्यम से कलेक्टर की ओर प्रस्तुत की जायेंगी.

11. कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे अन्य कार्य.

वित्तीय कार्य-नियमानुसार अंतिम निराकरण कर सकेंगे.—

1. उप जिलाध्यक्षों एवं तहसीलदारों के यात्रा एवं चिकित्सा (औषधि) देयक.
2. सेवानिवृत्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के परिवार कल्याण निधि योजना 1974 समूह बीमा योजना 1985 एवं सावधि सह बीमा योजना 2003 की जमा राशि का अंतिम भुगतान तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की विभागीय भविष्य निधि का अंतिम भुगतान.
3. अधीक्षक/सहायक अधीक्षक स्तर/भू-अभिलेख एवं खाद्य/महिला बाल विकास शाखा के सामान्य भविष्य निधि यात्रा देयक एवं चिकित्सा/औषधि देयकों की स्वीकृति.
4. जिला स्तर के कार्यालय सहायक ग्रेड दो, तीन एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के चिकित्सा देयकों को स्वीकृत करना.
5. शासन नियमों की सीमा तक रु. 15000/- (अंकन पन्द्रह हजार रुपये) के टेलीफोन/पी.ओ.एल. व्यय स्वीकृत करना.
6. शासकीय वाहनों की मरम्मत के कार्य में रुपये 15000/- (अंकन पंद्रह हजार रुपये) तक की स्वीकृति.
7. शासकीय वाहनों के टायर ट्यूब एवं बैटरी क्रय करने संबंधी संपूर्ण अधिकार.
8. कार्यालयीन फर्नीचर मुद्रण एवं लेखन सामग्री के लिये रुपये 5000/- (अंकन पांच हजार रुपये) तक की स्वीकृति के अधिकार.
9. अनुपयोगी स्टॉक जो रुपये 5000/- (अंकन पांच हजार रुपये) तक की कीमत का अपलेखन का अधिकार.
10. चोरी हुये 2000/- (अंकन दो हजार रुपये) तक की कीमत की सामग्री का अपलेखन का अधिकार.
11. किराये पर लिये गये फर्नीचर पर होने वाले संपूर्ण व्यय को नियमानुसार स्वीकृति के अधिकार. उपरोक्त स्वीकृतियाँ शासन द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों/आदेशों के पालन करते हुए दी जावे.
12. दूरभाष विद्युत् देयक एवं अन्य मामलों में रुपये 50000/- (अंकन पचास हजार रुपये) तक या अधिक तक की वित्तीय स्वीकृति के अधिकार अपर कलेक्टर को दिये जाते हैं.

(घ) वित्तीय संहिता के नियम, 100 के अंतर्गत अपर कलेक्टर को उनके प्रभार वाली शाखाओं में 20000/- तक आवर्ती व्यय की स्वीकृति के अधिकार सौंपे जाते हैं.

1. तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को विभागीय व अन्य परीक्षाओं में बैठने की अनुमति देना.
2. जिला नाजरात की वे नस्तियां जिनमें जिला दण्डाधिकारी

- का आदेश आवश्यक है, को छोड़कर शेष का निराकरण.
3. विभागीय जांच अधिकारी
 4. सभी शाखाओं से भेजे जाने वाले विधान सभा प्रश्नों के उत्तर भेजना जिनमें कलेक्टर के हस्ताक्षर आवश्यक नहीं हैं.
 5. बैंक वसूली/खनिज वसूली/राजस्व वसूली एवं विभिन्न न्यायालयों से प्राप्त होने वाली वसूली वारंट तथा अन्य वसूली के प्रकरणों का निराकरण एवं समीक्षा.
 6. कार्यालय में प्राप्त डाक कलेक्टर के अवलोकन पश्चात् स्वयं अवलोकन उपरांत डाक वितरण के प्रभारी.
 7. सांख्य लिपिक शाखा की चरित्र सत्यापन संबंधी नस्तियां का अंतिम निराकरण.
 8. राजस्व विभाग, कलेक्ट्रेट की सी. एम. हेल्पलाईन शिकायतों का निराकरण कराना.
 9. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये कार्यों का निपटारा.

(इ) निम्नलिखित विभागों के लिये प्रभारी अधिकारी

1. जिला जेल विभाग/बोस्टल जेल विभाग नरसिंहपुर
2. वन विभाग, नरसिंहपुर
3. श्रम विभाग, नरसिंहपुर
4. जिला सैनिक कल्याण विभाग, नरसिंहपुर
5. अंत्यावसायी विभाग, नरसिंहपुर
6. लोक सेवा प्रबंधन, नरसिंहपुर
7. परिवहन विभाग, नरसिंहपुर
8. नगर सेना
9. जाति प्रमाण, पत्र, अभियान
10. स्वास्थ्य विभाग
11. परियोजना अधिकारी, शहरी विकास अभिकरण
12. आदिम जाति, अनुसूचित जाति-जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं आदिम जाति लघु परियोजना, आदिम जाति व पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम.
13. जिला योजना समिति
14. भू-अभिलेख/भू-प्रबंधन शाखा
15. जिला पंजीयक

(4) श्री जी. एस. धुर्वे, डिप्टी कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी एवं अनुविभागीय दंडाधिकारी, नरसिंहपुर (अतिरिक्त प्रभार).

(अ) दांडिक.—

1. अनुविभागीय दण्डाधिकारी, नरसिंहपुर अनुविभाग

2. शस्त्र एवं विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग.

(ब) राजस्व.—

1. अनुविभागीय अधिकारी, नरसिंहपुर अनुविभाग
2. पंचायत अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग
3. मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 34 के तहत पंजीयक लोक न्यास नरसिंहपुर अनुविभाग.
4. भू-अर्जन अधिकारी, नरसिंहपुर, अनुविभाग नरसिंहपुर एवं करेली एवं सक्षम अधिकारी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण क्रमांक 26 क एवं ख.
5. मध्यप्रदेश कृषि जोत उच्चतम सीमा अधिनियम, 1960 के अंतर्गत नरसिंहपुर एवं करेली तहसील के प्रकरणों का निराकरण.

(स) विविध.—

1. निष्क्रांत सम्पत्ति अधिनियम के अंतर्गत अभिरक्षण
2. लोक परिसर बेदखली अधिनियम के अंतर्गत अपने अनुविभाग के तहत सक्षम अधिकारी.
3. जन्म मृत्यु पंजीयन नियम, 1975 के अंतर्गत सम्पादित करना.
4. भाड़ा नियंत्रण अधिकारी, नरसिंहपुर
5. अपने क्षेत्रांतर्गत सभी विकास कार्यों पर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना.
6. जिला चिकित्सालय, नरसिंहपुर के समय-समय पर निरीक्षण/पर्यवेक्षण हेतु नोडल अधिकारी.
7. कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्यों का निपटारा.

(5) श्री राजेन्द्र राय, संयुक्त कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी एवं अनुविभागीय दंडाधिकारी, गाडरवारा.

(अ) दांडिक.—

1. अनुविभागीय दण्डाधिकारी, गाडरवारा अनुविभाग
2. शस्त्र एवं विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग.

(ब) राजस्व.—

1. अनुविभागीय अधिकारी, गाडरवारा अनुविभाग
2. पंचायत अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग.
3. मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 34 के तहत पंजीयक लोक न्यास नरसिंहपुर अनुविभाग.
4. भू-अर्जन अधिकारी गाडरवारा तहसील
5. मध्यप्रदेश कृषि जोत उच्चतम सीमा अधिनियम 1960 के अंतर्गत गाडरवारा तहसील के प्रकरणों का निराकरण.

(स) विविध.—

1. निष्क्रांत सम्पत्ति अधिनियम के अंतर्गत अभिरक्षण

2. लोक परिसर बेदखली अधिनियम के अंतर्गत अपने अनुविभाग के तहत् सक्षम अधिकारी.
3. जन्म मृत्यु पंजीयन नियम, 1975 के अंतर्गत सम्पादित करना.
4. भाड़ा नियंत्रण अधिकारी, गाडरवारा
5. अपने क्षेत्रांतर्गत सभी विकास कार्यों पर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना.
6. सत्कार अधिकारी, गाडरवारा
7. नजूल शाखा, गाडरवारा
8. कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्यों का निपटारा.

(6) श्री जी. एस. धुर्वे, संयुक्त कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी एवं अनुविभागीय दंडाधिकारी, तेन्दूखेड़ा.

(अ) दांडिक.—

1. अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तेन्दूखेड़ा अनुविभाग
2. शस्त्र एवं विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग.

(ब) राजस्व.—

1. अनुविभागीय अधिकारी, तेन्दूखेड़ा अनुविभाग
2. पंचायत अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग
3. मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 34 के तहत पंजीयक लोक न्यास तेन्दूखेड़ा अनुविभाग.
4. भू-अर्जन अधिकारी, तेन्दूखेड़ा तहसील
5. मध्यप्रदेश कृषि जोत उच्चतम सीमा अधिनियम, 1960 के अंतर्गत तेन्दूखेड़ा तहसील के प्रकरणों का निराकरण.

(स) विविध.—

1. निष्क्रांत सम्पत्ति अधिनियम के अंतर्गत अभिरक्षण
2. लोक परिसर बेदखली अधिनियम के अंतर्गत अपने अनुविभाग के तहत् सक्षम अधिकारी.
3. जन्म मृत्यु पंजीयन नियम, 1975 के अंतर्गत सम्पादित करना.
4. भाड़ा नियंत्रण अधिकारी, तेन्दूखेड़ा
5. अपने क्षेत्रांतर्गत सभी विकास कार्यों पर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना.
6. सत्कार अधिकारी, तेन्दूखेड़ा
7. नजूल शाखा, तेन्दूखेड़ा
8. प्रभारी अधिकारी, जिला भू-अर्जन अधिकारी एवं एन. टी. पी. सी. के भूमि अर्जन का कार्य.
9. सी. एम. हेल्पलाइन भू-अर्जन संबंधी
10. कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्यों का

निपटारा.

(7) श्री मो. शाहिद खान, डिप्टी कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी एवं अनुविभागीय दंडाधिकारी, गोटेगांव.

(अ) दांडिक.—

1. अनुविभागीय अधिकारी, गोटेगांव अनुविभाग
2. शस्त्र एवं विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग.

(ब) राजस्व.—

1. अनुविभागीय अधिकारी, गोटेगांव अनुविभाग
2. पंचायत अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग
3. मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 34 के तहत पंजीयक लोक न्यास गोटेगांव अनुविभाग.
4. भू-अर्जन अधिकारी, गोटेगांव तहसील
5. मध्यप्रदेश कृषि जोत उच्चतम सीमा अधिनियम, 1960 के अंतर्गत गोटेगांव तहसील के प्रकरणों का निराकरण.

(स) विविध.—

1. निष्क्रांत सम्पत्ति अधिनियम के अंतर्गत अभिरक्षण
2. लोक परिसर बेदखली अधिनियम के अंतर्गत अपने अनुविभाग के तहत् सक्षम अधिकारी.
3. जन्म मृत्यु पंजीयन नियम, 1975 के अंतर्गत सम्पादित करना.
4. भाड़ा नियंत्रण अधिकारी, गोटेगांव
5. अपने क्षेत्रांतर्गत सभी विकास कार्यों पर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना.
6. सत्कार अधिकारी, गोटेगांव
7. नजूल शाखा, गोटेगांव
8. कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्यों का निपटारा.

(8) श्री जे. पी. सैयाम संयुक्त कलेक्टर एवं प्रभारी अधिकारी

1. नजूल अधिकारी, नरसिंहपुर/करेली एवं नजूल शाखा के प्रभारी.
2. सी. एम. हेल्पलाइन (राजस्व विभाग, सीमांकन, नजूल भूमि शाखा निर्वाचन शाखा, भू-अभिलेख शाखा, प्राकृतिक आपदा, कलेक्ट्रेट शाखा, धर्मस्व शाखा).
3. जिला योजना एवं सांख्यिकी
4. स्टेशनरी/लायब्रेरी/आवक शाखा/जावक शाखा/टाइपिंग शाखा.
5. राजस्व अभिलेखागार/आंग्ल अभिलेखागार शाखा

6. सामान्य निर्वाचन/स्थानीय निर्वाचन (पंचायत नगरीय निकाय मण्डी).
7. भू-अभिलेख एवं भू-प्रबंधन शाखा
8. सांख्य लिपिक शाखा
9. सिविल शूट शाखा
10. प्रभारी अधिकारी, अल्प बचत
11. राहत एवं धर्मस्व शाखा
12. राजस्व अंकपाल शाखा 1 एवं 2
13. प्रस्तुतकार अपर कलेक्टर शाखा
14. अधीक्षक/सहायक अधीक्षक (सामान्य/राजस्व) सूचना का अधिकार के प्रभारी अधिकारी.
15. प्रधान प्रतिलिपिकार शाखा
16. कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्यों का निपटारा.
17. सी. एम. हेल्प लाइन (प्राकृतिक आपदा, कलेक्ट्रेट शाखा, धर्मस्व शाखा, सामान्य प्रशासन).

(09) श्रीमती वंदना जाट, डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी अधिकारी

1. प्रभारी अधिकारी लोक सेवा गारंटी केन्द्र तथा ई-गवर्नेंस
2. म. प्र. वित्तीय संहिता के नियम 100 के अंतर्गत 1000/- तक की आवर्ती व्यय की स्वीकृति.
3. शिकायत शाखा/जनसुनवाई/समस्त प्रकार की शिकायतें/स्टेनो शाखा.
4. उत्कृष्ट विद्यालय/केन्द्रीय विद्यालय/नवोदय विद्यालय डाइट की नस्तियां भी परीक्षण उपरांत कलेक्टर को प्रस्तुत की जायें.
5. टी. एल. शाखा एवं कलेक्टर मॉनीटरिंग पेपर प्रभारी/विभिन्न आयोगों से प्राप्त आवेदन पत्रों/माननीय मुख्यमंत्री, प्रभारी मंत्री, अन्य मंत्रीगणों, विधायक गणों/वरिष्ठ कार्यालयों से प्राप्त पत्रों पर कार्यवाही.
6. शस्त्र लायसेंस शाखा
7. टी. एल. बैठक/जनसुविधा केन्द्र के प्रभारी अधिकारी
8. विधान सभा प्रश्नों के उत्तर तैयार करना एवं संबंधित उच्च कार्यालयों को प्रेषित किया जाना.
9. सी. एम. हेल्पलाइन (सामान्य प्रशासन विभाग)
10. कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्यों का निपटारा.
11. स्थापना एवं वित्त शाखा

12. जल प्रदाय तथा विद्युत् देयकों की स्वीकृति (अपर कलेक्टर के अनुमोदनार्थ पश्चात्) म. प्र. वित्तीय संहिता के नियम, 1000 के अंतर्गत 1000/- तक आवर्ती व्यय की स्वीकृति.
13. समस्त शाखाओं के बजट सीमा में रुपये 10000/- (अंकन दस हजार रुपये) तक वित्तीय स्वीकृति के अधिकार दिये जाते हैं.
14. वरिष्ठ लिपिक शाखा 1 एवं 2
15. मान. मुख्यमंत्री की घोषणाओं की नस्ती
16. कालोनी सेल
17. नाजरात शाखा
18. खनिज शाखा प्रभारी अधिकारी एवं आहरण/संवितरण अधिकारी.
19. प्रस्तुतकार कलेक्टर शाखा
20. पुरातत्व शाखा.

नोट.—

1. जिला कार्यालय की समस्त शाखाओं की नस्तियाँ अपर कलेक्टर के माध्यम से कलेक्टर की ओर प्रस्तुत की जायेंगी.
2. पूर्व में जारी सी. एम. हेल्पलाइन संबंधी शिकायत निराकरण संबंधी आदेश यथावत् रहेगा. अपर कलेक्टर इसकी प्रतिदिन समीक्षा करेंगे. जिला प्रबंधक, लोक सेवा इस कार्य हेतु सहयोगी रहेंगे.
3. सभी अधिकारी अपने-अपने विभाग/शाखा अंतर्गत पी. एम. पी. जी. आर., सी. एम. पी. जी. आर. व विविध प्रकार की शिकायतों का निराकरण करेंगे.

कार्यालय द्वारा जारी कार्य विभाजन आदेश अनुसार नियुक्त अधिकारियों के तालिका अनुसार लिंक अधिकारी नियुक्त किये जाते हैं :—

लिंक अधिकारी

क्र. अधिकारी की अनुपस्थिति में	लिंक अधिकारी
1 सुश्री प्रतिभा पाल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत.	श्री जे. समीर लकरा, अपर कलेक्टर एवं अपर जिला दण्डाधिकारी.
2 श्री जे. समीर लकरा, अपर कलेक्टर एवं अपर जिला दण्डाधिकारी.	सुश्री प्रतिभा पाल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत.
3 श्री जे. पी. सैयाम, संयुक्त कलेक्टर एवं प्रभारी अधिकारी.	श्रीमती वंदना जाट, डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी अधिकारी.
4 श्रीमती वंदना जाट, डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी अधिकारी.	श्री जे. पी. सैयाम, संयुक्त कलेक्टर एवं प्रभारी अधिकारी.

आदेश तत्काल से प्रभावशील होगा.

आर. आर. भोंसले, कलेक्टर

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी निर्वाचन), जिला रतलाम, मध्यप्रदेश

रतलाम, दिनांक 13 मई 2017

क्र. 146-मंडी निर्वा. -2017.—जिले की स्तंभ क्रमांक (2) में उल्लेखित कृषि उपज मंडी समिति के लिये स्तंभ क्रमांक (3) में उल्लेखित दिनांक को सम्मेलन में स्तंभ क्रमांक (4) में अंकित अध्यक्ष पद के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हुए हैं. अतः मैं, बी. चन्द्रशेखर, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मंडी निर्वाचन), जिला रतलाम, मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1997 की धारा 12 (9) तथा मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी (मंडी समिति का निर्वाचन) नियम, 1997 के नियम 84 (20) के अनुसरण में, एतद्द्वारा सर्व-साधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित करता हूँ:—

क्रमांक	कृषि उपज मंडी समिति का क्रमांक एवं नाम	सम्मेलन का दिनांक	अध्यक्ष पद पर निर्वाचित सदस्य का नाम/पता
(1)	(2)	(3)	(4)
1	105-सैलाना	09-05-2017	डॉ. श्री विजय चारेल पिता श्री देवीसिंह जी चारेल, निवासी ग्राम आम्बापाडा, तहसील सैलाना, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश.

बी. चन्द्रशेखर, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मंडी).

कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

राजभवन, भोपाल, दिनांक 29 मई, 2017

क्र. एफ-8-2-रा.स.-यू.ए.-3-2014.—यतः; कुलाधिपति जी के आदेश क्रमांक : एफ-8-1-2014-रा.स.-यू.ए.-3-377, दिनांक 06 अप्रैल, 2017 के द्वारा स्नातक स्तर के विभिन्न विषयों के एकीकृत पाठ्यक्रमों के पुनरीक्षण हेतु केन्द्रीय अध्ययन मण्डलों का गठन करने के लिए आयुक्त, उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश को अधिकृत किया गया है. उक्त केन्द्रीय अध्ययन मण्डलों के द्वारा निर्मांकित विषयों के स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम (वार्षिक पद्धति हेतु) अनुशंसित कर माननीय कुलाधिपति के अनुमोदन हेतु प्रेषित किए गये हैं:—

1	हिन्दी साहित्य	12	अर्थशास्त्र	23	फूड टेक्नोलॉजी	34	फॉरेन्सिक साइंस
2	अंग्रेजी साहित्य	13	गृह विज्ञान	24	इलेक्ट्रॉनिक्स	35	वाणिज्य
3	उर्दू	14	वनस्पति शास्त्र	25	इण्डस्ट्रियल केमिस्ट्री	36	सांख्यिकी
4	संस्कृत	15	रसायन	26	बायोकेमिस्ट्री	37	कम्प्यूटर साइंस
5	दर्शनशास्त्र	16	भौतिक शास्त्र	27	एक्वाकल्चर	38	बायो इंफार्मेटिक्स
6	मनोविज्ञान	17	प्राणी शास्त्र	28	पर्यावरण विज्ञान	39	व्यावसायिक प्रबंधन
7	राजनीति विज्ञान	18	गणित	29	फॉर्मास्युटिकल केमेस्ट्री	40	योग विज्ञान
8	प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति.	19	भू-गर्भ शास्त्र	30	सीड टेक्नोलॉजी	41	सोशल वर्क
		20	माइक्रोबायोलॉजी	31	स्वाथल कंजरवेशन एण्ड वॉटर मैनेजमेन्ट	42	पत्रकारिता
9	इतिहास	21	इण्डस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी	32	हार्टीकल्चर	43	पुस्तकालय विज्ञान
10	भूगोल	22	बायो टेक्नोलॉजी	33	सेरीकल्चर	44	पर्यटन प्रबंधन
11	समाज शास्त्र						

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 34-क की उपधारा (9) के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुलाधिपतिजी के द्वारा उपरोक्त पाठ्यक्रमों को अनुमोदित किया गया है.

मध्यप्रदेश के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के आदेशानुसार,
शैलेन्द्र क्रियावत, राज्यपाल के अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा) मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 13305-प्र. क्र. 26-अ-82-2015-2016

राजगढ़, दिनांक 25 अप्रैल 2017

(अंतर्गत धारा-19 भूमि-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं.30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम चौकी के लिए डूब में शेष प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

—: अनुसूची :-

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि :- ग्राम चौकी

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	कुल प्रभावित भूमि हे.में
1	2	3	4	6
1	गंगाराम पिता देवीराम जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी	3/1/3 13/1/3 13/2/2	0.023 0.064 0.127	0.023 ✓ 0.064 ✓ 0.127 ✓
	योग	3	0.214	0.214 ✓
2	चैनसिंह, घीसालाल पिता गोपी जाति लोड़ा निवासी ग्राम भू-स्वामी	13/2/1	0.128	0.128 ✓
	योग	1	0.128	0.128 ✓
3	रामचरण पिता देवीलाल जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी	32/160/2/1/3	0.499	0.499 ✓
	योग	1	0.499	0.499 ✓
4	मोड़सिंह, रामप्रसाद, सुन्दरबाई, पारवतीबाई, हरकुबाई, गुलाबबाई, नोरंगबाई, रमकूबाई पिता पूरा जाति लोड़ा निवासी ग्राम भू-स्वामी	73/3/1	3.128	3.128 ✓
	योग	1	3.128	3.128 ✓
5	रूपाबाई बेवा मानसिंह जाति लोड़ा निवासी ग्राम भू-स्वामी	73/3/2	0.237	0.237 ✓
	योग	1	0.237	0.237 ✓
6	रामचन्द्र पिता नन्दराम जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी	131/2 104/1/7	1.265 0.100	1.265 ✓ 0.100 ✓
	योग	2	1.365	1.365 ✓
7	बापूलाल पिता गिरधारी जाति लोड़ा निवासी ग्राम भू-स्वामी	107/2	0.055	0.055 ✓
	योग	1	0.055	0.055 ✓
8	हजारी, रामचन्द्र, केशरबाई, गुलाबबाई, प्रेमबाई पिता नंदा मु. रोशनीबाई बेवा नंदा जाति लोड़ा नि ग्राम भू-स्वामी	112	0.013	0.013 ✓
	योग	1	0.013	0.013 ✓

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	कुल प्रभावित भूमि हे.में
1	2	3	4	6
9	धनसिंह, प्रेमनारायण, जगदीश पिता पन्नालाल जाति अहिर निवासी ग्राम भू-स्वामी	152/2 152/3 152/4	1.581 0.506 0.885	1.581 ✓ 0.506 ✓ 0.885 ✓
	योग	3	2.972	2.972 ✓
10	रंगलाल पिता बापूलाल जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी	154/1	0.477	0.477 ✓
	योग	1	0.477	0.477 ✓
11	पर्वतसिंह पिता बजेसिंह जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी	154/2	0.475	0.475 ✓
	योग	1	0.475	0.475 ✓
12	रामप्रसाद पिता गिरधारी जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी	154/3	0.475	0.475 ✓
	योग	1	0.475	0.475 ✓
13	बनेसिंह पिता गिरधारी जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी	126/2	0.100	0.100 ✓
	योग	1	0.100	0.100 ✓
14	जगदीश पिता करणसिंह जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी	152/1/3	0.027	0.027 ✓
	योग	1	0.027	0.027 ✓
15	बजेसिंह पिता गोस्धन जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी	34/1	0.007	0.007 ✓
	योग	1	0.007	0.007 ✓
16	नरसंग पिता सालगराम जाति दांगी निवासी ग्राम भू-स्वामी	8/1/1	0.009	0.009 ✓
	योग	1	0.009	0.009 ✓
17	रामप्रसाद पिता छोटेलाल	32/160/2/3	0.214	0.214 ✓
	योग	1	0.214	0.214 ✓
	कुलयोग :-	22	10.395	10.395 ✓

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 13306-प्र. क्र. 26-अ-82-2015-2016

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं.30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम गोपालपुरा के लिए डूब में शेष प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

--: अनुसूची :-

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि :- ग्राम गोपालपुरा

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	प्रभावित भूमि
1	2	3	4	5
1	बापूलाल पिता किशनलाल जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	148/2/1 3/2/2	0.035 0.580	0.035 / 0.580 /
	योग	2	0.615	0.615 /
2	दरियावसिंह पिता किशनलाल जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	3/2/3	0.830	0.830 /
	योग	1	0.830	0.830 /
3	राधाकिशन पिता प्रभूदयाल जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	28/8/1	0.505	0.505 /
	योग	1	0.505	0.505 /
4	रामप्रसाद पिता मांगीलाल जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी	28/14/1/2	0.632	0.632 /
	योग	1	0.632	0.632 /
5	लक्ष्मीनारायण पिता करणसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	28/19/3	2.000	2.000 /
	योग	1	2.000	2.000 /
6	मांगीदयाल पिता किशना जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी	64	0.014	0.014 /
	योग	1	0.014	0.014 /
7	मानसिंह पिता धीरपसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	148/5/1 148/2/2	0.115 0.165	0.115 / 0.165 /
	योग	2	0.280	0.280 /
8	फतेसिंह पिता बक्ता जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	171/2	0.632	0.632 /
	योग	1	0.632	0.632 /
9	लालजी पिता बक्ता जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	173/19/2	0.975	0.975 /
	योग	1	0.975	0.975 /

स.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	प्रभावित भूमि
1	2	3	4	5
10	भंवरलाल, फूलसिंह, हरिसिंह पिता धन्ना जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी	160/1/2	0.036	0.036 ✓
	योग	1	0.036	0.036 ✓
11	देवसिंह पिता प्यारजी जाति सौधिया नि. ग्राम भू-स्वामी	148/5/2	0.115	0.115 ✓
	योग	1	0.115	0.115 ✓
12	मोतीलाल पिता अमरसिंह जी जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी	121/1/1/2	0.006	0.006 ✓
	योग	1	0.006	0.006 ✓
13	मांगीलाल, रामचन्द्र, बद्रीलाल पिता भंवरलाल अमृतबाई पिता भंवरलाल जाति सुतार नि. ग्राम भू-स्वामी	38	0.005	0.005 ✓
	योग	1	0.005	0.005 ✓
14	भंवरलाल, फूलसिंह, पिता धन्ना जी जाति लोड़ा नि. ग्राम भू-स्वामी	121/1/1/1	0.006	0.006 ✓
	योग	1	0.006	0.006 ✓
15	गजरीबाई पति गंगाराम जाति सौधिया नि. ग्राम भू-स्वामी	91/3	0.001	0.001 ✓
	योग	1	0.001	0.001 ✓
16	रामबाबू पिता मांगीलाल जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी	111/4/1/1	0.025	0.025 ✓
	योग	1	0.025	0.025 ✓
17	लक्ष्मीनारायण पिता उंकार सिंह जाति सौधिया नि. ग्राम भू-स्वामी	110/4/2	0.001	0.001 ✓
	योग	1	0.001	0.001 ✓
18	करणसिंह पिता किशना जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	3/1/2	0.580	0.580 ✓
	योग	1	0.580	0.580 ✓
	कुलयोग :-	20	7.258	7.258 ✓

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 13459-प्र. क्र. 26-अ-82-2015-2016

राजगढ़, दिनांक 2 मई 2017

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं.30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में बांकपुरा तालाब की दायीं एवं बायीं नहर निर्माण तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ की ग्राम कानड़ियाखेड़ी, गुलजारपुरा एवं समेली तथा बायीं नहर निर्माण में अर्जित की जा रही भूमि ग्राम जगनियापुरा एवं बांकपुरा के डूब में प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

-: अनुसूची :-

बांकपुरा तालाब परियोजना की दायीं नहर में प्रभावित भूमि :- ग्राम कानड़ियाखेड़ी

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल भूमि
1	2	3	4	5	6	7
1	रोड़जी पिता मांगीलाल जाति अनुसूचित जाति नि.ग्राम भू-स्वामी	76/2/1	0.843	0.000	0.070	0.070
	योग	1	0.843	0.000	0.070	0.070
2	मिश्री पिता मांगीलाल जाति अनुसूचित जाति नि.ग्राम भू-स्वामी	76/2/2	0.843	0.000	0.070	0.070
	योग	1	0.843	0.000	0.070	0.070
3	शम्भू पिता मांगीलाल जाति अनुसूचित जाति नि.ग्राम भू-स्वामी	76/2/3	0.843	0.000	0.070	0.070
	योग	1	0.843	0.000	0.070	0.070
4	हजारी पिता धूल्या जाति अनुसूचित जाति नि.ग्राम भू-स्वामी	76/4	2.529	0.200	0.000	0.200
	योग	1	2.529	0.200	0.000	0.200
	ग्राम कानड़ियाखेड़ी का महायोग	4	5.058	0.200	0.210	0.410

बांकपुरा तालाब परियोजना की दायीं नहर में प्रभावित भूमि :- ग्राम गुलजारपुरा

1	कंवरलाल पिता बागजी जाति सौधिया नि.ग्राम कानड़ियाखेड़ी भू-स्वामी	20/1/1	0.654	0.000	0.200	0.200
	योग	6/1	0.442	0.000	0.072	0.072
	योग	2	1.096	0.000	0.272	0.272
2	हरीसिंह पिता कुमरसिंह जाति सौधिया नि.ग्राम कानड़ियाखेड़ी भू-स्वामी	18/1/1	0.549	0.000	0.070	0.070
	योग	6/3	0.443	0.000	0.072	0.072
	योग	2	0.992	0.000	0.142	0.142
3	बनेसिंह पिता खीमजी जाति सौधिया नि.ग्राम कानड़ियाखेड़ी भू-स्वामी	18/1/2	0.237	0.000	0.070	0.070
	योग	6/6	0.295	0.000	0.040	0.040
	योग	3/43	0.316	0.000	0.120	0.120
	योग	3	0.848	0.000	0.230	0.230

स.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल भूमि
1	2	3	4	5	6	7
4	भवरलाल पिता खीमजी जाति सौंधिया नि.ग्राम कानड़ियाखेड़ी भू-स्वामी	18/1/3 ✓ 6/7 ✓ 6/2 ✓	0.177 ✓ 0.295 ✓ 0.252 ✓	0.000 0.000 0.000	0.070 ✓ 0.040 ✓ 0.070 ✓	0.070 ✓ 0.040 ✓ 0.070 ✓
	योग	3	0.724 ✓	0.000	0.180 ✓	0.180 ✓
5	मोगजी पिता खीमजी जाति सौंधिया नि.ग्राम कानड़ियाखेड़ी भू-स्वामी	18/1/4 ✓ 6/9 ✓	0.346 ✓ 0.295 ✓	0.000 0.000	0.070 ✓ 0.070 ✓	0.070 ✓ 0.070 ✓
	योग	2 ✓	0.641 ✓	0.000	0.140 ✓	0.140 ✓
6	गजराजसिंह पिता हीरालाल जाति सौंधिया नि.ग्राम कानड़ियाखेड़ी भू-स्वामी	6/8 ✓	0.886 ✓	0.000	0.125 ✓	0.125 ✓
	योग	1	0.886 ✓	0.000	0.125 ✓	0.125 ✓
7	परथीसिंह पिता देवीलाल जाति सौंधिया नि.ग्राम कानड़ियाखेड़ी भू-स्वामी	6/5 ✓	0.443 ✓	0.000	0.060 ✓	0.060 ✓
	योग	1	0.443 ✓	0.000	0.060 ✓	0.060 ✓
8	धीरपसिंह पिता देवीलाल जाति सौंधिया नि.ग्राम कानड़ियाखेड़ी भू-स्वामी	6/4 ✓	0.443 ✓	0.000 ✓	0.072 ✓	0.072 ✓
	योग	1	0.443 ✓	0.000 ✓	0.072 ✓	0.072 ✓
	ग्राम गुलजारपुरा का महायोग	15	6.073 ✓	0.000	1.221 ✓	1.221 ✓

बांकपुरा तालाब परियोजना की दायीं नहर में प्रभावित भूमि :- ग्राम समेली

1	ममताबाई पति उमरावसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	74/5 ✓	2.023 ✓	0.000	0.144 ✓	0.144 ✓
	योग	1	2.023 ✓	0.000	0.144 ✓	0.144 ✓
2	सुंदरबाई बेवा भोनजी सोरमबाई, धीरपबाई पुत्री भोनीजी जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	75 ✓	0.316 ✓	0.000	0.136 ✓	0.136 ✓
	योग	1	0.316	0.000	0.136	0.136
3	मांगीलाल पिता देवजी जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	84/2 ✓ 116/85/1 ✓	0.358 ✓ 0.105 ✓	0.000 0.000	0.112 ✓ 0.080 ✓	0.112 ✓ 0.080 ✓
	योग	2	0.463	0.000	0.192	0.192
4	बापूलाल, प्रेमसिंह, नारायणसिंह, मोगजी पिता नारु जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	84/1 ✓ 116/85/3 ✓	0.211 ✓ 0.253 ✓	0.000 0.000	0.080 ✓ 0.096 ✓	0.080 ✓ 0.096 ✓
	योग	2 ✓	0.464 ✓	0.000 ✓	0.176 ✓	0.176 ✓
5	दरयावसिंह, लक्ष्मणसिंह, हरीसिंह पिता दौलजी भवरीबाई बेवा दौलजी जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	116/85/2 ✓	0.464 ✓	0.000	0.112 ✓	0.112 ✓
	योग	1	0.464 ✓	0.000 ✓	0.112 ✓	0.112 ✓
6	शैतानबाई पति मांगीलाल जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	117/85 ✓	0.506 ✓	0.000 ✓	0.130 ✓	0.130 ✓
	योग	1	0.506 ✓	0.000 ✓	0.130 ✓	0.130 ✓
7	कालू पिता मोहनलाल जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	101/5 ✓	2.529 ✓	0.000	0.400 ✓	0.400 ✓
	योग	1	2.529 ✓	0.000	0.400 ✓	0.400 ✓

स.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल भूमि
1	2	3	4	5	6	7
8	बीरम, मांगीलाल पिता अमरसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	101/8/1	1.038	0.000	0.180	0.180
	योग	1	1.038	0.000	0.180	0.180
	ग्राम समेली का महायोग	10	7.803	0.000	1.470	1.470

बांकपुरा तालाब परियोजना की बायीं नहर में प्रभावित भूमि :- ग्राम जगनियापुरा

1	कवरलाल, कानजी पिता भावसिंह, हरिसिंह पिता मोहनलाल जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	208/1	1.012	0.000	0.084	0.084
	योग	1	1.012	0.000	0.084	0.084
2	रूपसिंह पिता भावसिंह, मोरसिंह ना.बा.पिता भावसिंह पिता मेहताब, लालसिंह, अमरसिंह पिता मांगीलाल हि.33 पैसा.मोरसिंह ना.बा. इंदरसिंह ना.बा. पिता मांगीलाल पिता देवजी हि.17 पैसा. किशनलाल पिता सवला हि. 17 पैसा हरिसिंह पिता मोहनलाल हि. 7 पैसा. मांगीलाल पिता देवसिंह हि. 26 पैसा जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	208/2 211/8/ 274/211/ 209	0.278 0.190 0.632 1.290	0.000 0.000 0.000 0.000	0.096 0.048 0.045 0.168	0.096 0.048 0.045 0.168
	योग	4	2.390	0.000	0.357	0.357
3	मोहनलाल पिता मेहताब जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	211/24	0.253	0.000	0.202	0.202
	योग	1	0.253	0.000	0.202	0.202
4	मांगीलाल पिता दोला हि. 33 पै. नारायणसिंह पिता दौला, कमलाबाई पुत्री दोला हि. 60 पैसा, रूपसिंह पिता भावसिंह, लालसिंह पिता मांगीलाल हि. 7 पैसा जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	211/18	0.379	0.000	0.076	0.076
	योग	1	0.379	0.000	0.076	0.076
5	प्यारजी पिता उंकार जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	211/19	0.063	0.000	0.036	0.036
	योग	1	0.063	0.000	0.036	0.036
6	कवरलाल पिता मानसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	50/1	0.199	0.000	0.199	0.199
	योग	1	0.199	0.000	0.199	0.199
7	बजेसिंह, मोगजी पिता धूलजी, नाथीबाई बैवा धूलजी जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	50/2	0.029	0.000	0.029	0.029
	योग	1	0.029	0.000	0.029	0.029
8	कुमरसिंह पिता मांगीलाल हि. 4 पैसा, धीरसिंह पिता गोपीलाल हि. 5 पैसा, लालजी पिता प्यारजी हि. 3 पैसा, मांगीलाल पिता देवजी हि. 17 पैसा, प्यारजी, अनारसिंह पिता उंकार हि. 17 पैसा, मांगीलाल पिता केशरसिंह, मांगीलाल पिता मोहनलाल हि. 37 पैसा, कमलसिंह पिता सजनसिंह हि. 3 पैसा, भावसिंह पिता मेहताब हि. 7 पैसा बिरमसिंह, बनेसिंह, छोटेलाल पिता बिहारीलाल हि. 7 पैसा जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	60 189	0.557 0.632	0.000 0.000	0.212 0.196	0.212 0.196
	योग	2	1.189	0.000	0.408	0.408
9	मानसिंह पिता सरदारसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	19/2	0.490	0.000	0.208	0.208
	योग	1	0.490	0.000	0.208	0.208
10	रामकरण पिता खूमराज, नवलबाई बैवा खूमराज जाति सौंधिया	229/43/1/2	0.040	0.000	0.040	0.040
	योग	1	0.040	0.000	0.040	0.040
	ग्राम जगनियापुरा का महायोग	14	6.044	0.000	1.639	1.639

स.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल भूमि
1	2	3	4	5	6	7
बांकपुरा तालाब परियोजना की बायीं नहर में प्रभावित भूमि :- ग्राम बांकपुरा						
1	मेहताबबाई बेवा गोपीलाल जाति अनुसूचित जाति नि.ग्राम दौलतारिया भू-स्वामी	53/4	1.130	0.000	0.025	0.025
	योग	1	1.130	0.000	0.025	0.025
2	रामकरण ना.बा. पिता खूमराज, ललताबाई, धांपूबाई ना.बा. पुत्री खूमराज सर. माता नवलबाई बेवा खूमराज, मांगीलाल, धीरसिंह, कुमरसिंह पिता गोपीलाल हि. 3 पैसा, नरसेसिंह पिता लक्ष्मण हि. 3 पैसा, कवरलाल पिता बिहारीलाल हि. 8 पैसा, फतेसिंह, मांगजी पिता धूलजी, नाथीबाई बेवा धूलजी हि. 1 पैसा, न्यालीबाई पति रतनसिंह हि. 3 पैसा, पूरजी पिता नाथू हि. 4 पैसा, रतनसिंह पिता मेरू हि. 4 पैसा, बापू, दरियाबसिंह, मांगीलाल पिता रुघनाथ हि. 4 पैसा, मोहनलाल पिता मेहताब हि. 14 पैसा भावसिंह पिता मेहताब हि. 18 पैसा सुंदरबाई, घीसाबाई हि. 10 पैसा, फतेसिंह, नारू, मांगीलाल पिता बिहारीलाल हि. 4 पैसा जुआरसिंह पिता छीतालाल, जगन्नाथ पिता कालू हि. 4 पैसा पप्पूसिंह पिता भावसिंह हि. 7 पैसा जाति साँधिया नि.ग्राम जगन्नाथपुरा	54	2.074	0.000	0.290	0.290
		55/1	6.260	0.000	0.370	0.370
	योग	2	8.334	0.000	0.660	0.660
3	गंगाराम पिता हरिसिंह जाति भील नि.ग्राम भू-स्वामी	60/1/2	1.000	0.000	0.110	0.110
	योग	1	1.000	0.000	0.110	0.110
4	रोडजी पिता प्रभुलाल जाति अनुसूचित जाति नि.ग्राम भू-स्वामी	60/1/3	1.000	0.000	0.100	0.100
	योग	1	1.000	0.000	0.100	0.100
5	बजेसिंह पिता मेहताब, रूपाबाई पत्नि बजेसिंह जाति अनुसूचित जाति नि.ग्राम भू-स्वामी	60/5	1.420	0.000	0.025	0.025
	योग	1	1.420	0.000	0.025	0.025
6	नरभा पिता बक्सू जाति अनुसूचित जाति नि.ग्राम भू-स्वामी	58/3	1.012	0.000	0.080	0.080
	योग	1	1.012	0.000	0.080	0.080
7	भागचन्द पिता छीतर जाति अनुसूचित जाति नि.ग्राम भू-स्वामी	58/4	0.759	0.000	0.100	0.100
	योग	1	0.759	0.000	0.100	0.100
8	कालू, रामचरण, हिन्दुसिंह पिता मांगीलाल, कालीबाई बेवा मांगीलाल हि. 50 पै. रसूबाई बेवा अमरा हि.50 पै. जाति अनुसूचित जाति नि.ग्राम भू-स्वामी	63	0.430	0.000	0.132	0.132
	योग	1	0.430	0.000	0.132	0.132
9	गिरधारी पिता सालगराम, सूरजबाई पति गिरधारी जाति अनुसूचित जाति नि.ग्राम दौलतारिया	62/9	1.130	0.000	0.118	0.118
	योग	1	1.130	0.000	0.118	0.118
10	गोकल पिता रतनलाल, ममताबाई पति गोकल जाति अनुसूचित जाति नि.ग्राम दौलतारिया भू-स्वामी	62/10	1.130	0.000	0.200	0.200
	योग	1	1.130	0.000	0.200	0.200

स.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल भूमि
1	2	3	4	5	6	7
11	फूलजी पिता गुलाब जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	51/1/1✓ 50/1/1✓	0.101✓ 0.418✓	0.000✓ 0.000✓	0.035✓ 0.200✓	0.035✓ 0.200✓
	योग	2 ✓	0.519✓	0.000✓	0.235✓	0.235✓
12	देवीसिंह, भंवरलाल पिता कालू जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	51/1/2✓	0.101✓	0.000✓	0.035✓	0.035✓
	योग	1	0.101✓	0.000✓	0.035✓	0.035✓
13	पवन पिता लक्ष्मीनारायण, हरिशंकर पिता नारायण जाति कुम्हार नि.ग्राम ब्यावरा	24/4/1✓	1.265✓	0.000✓	0.248✓	0.248✓
	योग	1	1.265✓	0.000✓	0.248✓	0.248✓
14	अमरसिंह पिता धूल्या जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	47/4✓	0.509✓	0.000✓	0.051✓	0.051✓
	योग	1	0.509✓	0.000✓	0.051✓	0.051✓
15	राधेश्याम पिता रामसिंह, रामप्यारबाई पत्नि राधेश्याम जाति अनुसूचित जाति नि.ग्राम भू-स्वामी	29 ✓	0.898✓	0.000✓	0.277✓	0.277✓
	योग	1	0.898✓	0.000✓	0.277✓	0.277✓
16	भेरूलाल पिता रामलाल, रेशमबाई पत्नि रामलाल जाति अनुसूचित जाति नि.ग्राम भू-स्वामी	22/17✓	1.130✓	0.000✓	0.120✓	0.120✓
	योग	1	1.130✓	0.000✓	0.120✓	0.120✓
17	रामलाल पिता देवाजी, संपतबाई पत्नि रामलाल जाति अनुसूचित जाति नि.ग्राम भू-स्वामी	22/18✓	1.130✓	0.000✓	0.165✓	0.165✓
	योग	1	1.130✓	0.000✓	0.165✓	0.165✓
18	बजसिंह पिता भंवरलाल जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	266/22/1✓	0.278✓	0.000✓	0.120✓	0.120✓
	योग	1	0.278✓	0.000✓	0.120✓	0.120✓
19	रामबाबू पिता बद्रीलाल, रामकलाबाई पति रामबाबू जाति अनुसूचित जाति नि.ग्राम दौलतारिया	22/14✓	1.130✓	0.000✓	0.032✓	0.032✓
	योग	1	1.130✓	0.000✓	0.032✓	0.032✓
20	कालू पिता मोती हि.67 पै. झुझारसिंह, कमलसिंह पिता नारू, ईमरतबाई बेवा ना. हि.17 पै.रोड़जी ना. बा.पिता देवीसिंह सर.माता स्वयं देवीसिंह पिता कालू हि.16 पै. जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	227/22 ✓	0.506✓	0.000✓	0.072✓	0.072✓
	योग	1	0.506✓	0.000✓	0.072✓	0.072✓
21	घोसालाल पिता पर्वतसिंह, भूलीबाई पत्नि घोसालाल जाति अनुसूचित जाति नि.ग्राम दौलतारिया भूमि स्वामी	22/12✓	1.130✓	0.000✓	0.072✓	0.072✓
	योग	1	1.130✓	0.000✓	0.072✓	0.072✓

स.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल भूमि
1	2	3	4	5	6	7
22	किशनलाल, पन्नालाल, गंगाबाई पति किशन जाति अनुसूचित जाति नि.ग्राम दौलतारिया	22/8 ✓	1.130 ✓	0.000 ✓	0.110 ✓	0.110 ✓
	योग	1	1.130 ✓	0.000 ✓	0.110 ✓	0.110 ✓
23	चैनसिंह पिता गेंदाजी, राजबाई पति चैनसिंह जाति अनुसूचित जाति नि.ग्राम दौलतारिया	22/5 ✓	1.130 ✓	0.000 ✓	0.228 ✓	0.228 ✓
	योग	1	1.130 ✓	0.000 ✓	0.228 ✓	0.228 ✓
24	गोपाल पिता गेंदाजी, सुगनबाई पति गोपाल जाति अनुसूचित जाति नि. दौलतारिया	22/6 ✓	1.130 ✓	0.000 ✓	0.228 ✓	0.228 ✓
	योग	1 ✓	1.130 ✓	0.000 ✓	0.228 ✓	0.228 ✓
	ग्राम बांकपुरा का महायोग	26	29.331 ✓	0.000 ✓	3.543 ✓	3.543 ✓

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) ब्यावरा जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 13374-प्र. क्र. 39-अ-82-2016-2017

राजगढ़, दिनांक 27 अप्रैल 2017

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं.30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम टाण्डी के लिए डूब में शेष प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

—: अनुसूची :-

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि :- ग्राम टाण्डी

स.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	प्रभावित रकबा
1	2	3	4	5
1	केशरसिंह, देवसिंह पिता नानजी, भेरूसिंह पिता नाथूलाल, भगवान, कालूसिंह पिता अनारसिंह, अनिल पिता दरियावसिंह, होकमबाई बेबा दरियावसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	1/1 164/380/1 297/1	0.645 1.290 0.873	0.645 1.260 0.500
	योग	3	2.808	2.405
2	धूलीबाई बेबा अनारसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	9 347	0.063 1.720	0.063 0.200
	योग	2	1.783	0.263
3	मोहनलाल पिता अमरसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	22/3 335/3 349/1/5	0.360 0.028 0.090	0.272 0.028 0.090
	योग	3	0.478	0.390

4	जगदीश पिता अमरसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	22/4 335/2 349/1/2	0.364 0.028 0.096	0.364 0.028 0.096
	योग	3	0.488	0.488
5	सर्जनसिंह पिता अमरसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	22/5 335/4 349/1/4	0.364 0.028 0.096	0.364 0.028 0.096
	योग	3	0.488	0.488
6	शिवसिंह पिता माधोसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	26 27/2 323/2 332/2 333/2 343/2 334/2 346/2 349/2	0.089 0.423 0.765 0.158 0.322 0.038 0.063 2.529 0.188	0.076 0.200 0.230 0.158 0.322 0.038 0.063 2.023 0.188
	योग	9	4.575	3.298
7	मांगीलाल पिता अमरसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	27/1/5 335/1 349/1/1	0.280 0.027 0.096	0.280 0.002 0.096
	योग	3	0.403	0.378
8	सम्पतबाई पत्नि शिवसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	357/1 346/1	0.620 0.835	0.620 0.292
	योग	2	1.455	0.912
9	रामनारायण पिता शिवसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	34	0.405	0.405
	योग	1	0.405	0.405
10	बापूलाल पिता गंगाराम जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	72 174/2	0.164 0.177	0.025 0.177
	योग	2	0.341	0.202
11	मांगीलाल पिता धूलजी इन्दरसिंह, बापूलाल, भारतसिंह पिता करणसिंह, सम्पतबाई बेवा करणसिंह, शैतानबाई, रतनबाई, द्रोपतीबाई, सुन्दरबाई, भूलीबाई, केसरबाई, बल्लभबाई, प्रेमबाई पिता धूलजी, गेंदीबाई, मेहताब जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	80 101 118 178 331 341 342	1.859 0.025 1.012 0.126 0.025 0.139 0.164	0.010 0.025 0.275 0.126 0.025 0.050 0.081
	योग	7	3.350	0.592
12	रामप्रसाद पिता मोती, कमलाबाई बेवा मोती, कस्तूरीबाई, नौरंगबाई पिता खीमा जाति नाई नि.ग्राम भू-स्वामी	127/1	0.019	0.019
	योग	1	0.019	0.019
13	कालूराम पिता घीसालाल जाति नाई नि.ग्राम भू-स्वामी	127/2	0.019	0.019
	योग	1	0.019	0.019

14	भंवरलाल पिता गंगाराम जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	128	0.063	0.063
	योग	1	0.063	0.063
15	गोकुल पिता कालू जाति अनुसूचित जाति नि.ग्राम भू-स्वामी	139/2	0.043	0.043
	योग	1	0.043	0.043
16	शेतानबाई बेवा मांगीलाल, देवसिंह पिता मांगीलाल, द्रोपतबाई बेवा जगदीश, राहुल पिता जगदीश ना.बा.सर.माता द्रोपतबाई बेवा जगदीश जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	146/1/1	0.173	0.108
		152/1/4	0.584	0.060
		155/373/1	0.020	0.020
		163/378/1	0.100	0.100
	योग	4	0.877	0.288
17	फतेसिंह पिता उंकार जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	151/372/1	0.051	0.051
		163/378/2	0.267	0.267
	योग	2	0.318	0.318
18	धीरपसिंह पिता उंकार जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	151/372/2	0.050	0.050
		155/373/2	0.087	0.087
	योग	2	0.137	0.137
19	सूरजसिंह पिता धूलजी जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	162/2	0.443	0.222
		231/2	0.574	0.344
		232/2	0.080	0.080
		233/2	0.130	0.130
		165/2	0.367	0.018
	योग	5	1.594	0.794
20	योगेन्द्र पिता धूलजी, भंवरीबाई बेवा धूलजी जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	162/3	0.442	0.442
		231/3	0.573	0.286
		232/3	0.080	0.080
		233/3	0.131	0.131
		165/3	0.367	0.018
	योग	5	1.593	0.957
21	कालू पिता अनारसिंह जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	164/380/2	0.430	0.421
		योग	1	0.430
22	भेरुसिंह पिता धूलजी, सौरमबाई बेवा धूलजी जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	165/1	0.367	0.018
		173/1	0.206	0.041
		173/2	0.207	0.041
		173/3	0.207	0.041
	योग	4	0.987	0.141
23	मांगीलाल पिता रूपा जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	165/384/1	1.150	1.059

24	अमृतलाल पिता प्रभुलाल जाति अनुसूचित जाति नि.ग्राम भू-स्वामी	165/384/2	1.012	1.012
	योग	1	1.012	1.012
25	हिन्दुसिंह, छोटेलाल, राजेन्द्र पिता भीमा, गुलाबबाई बेवा भीमा, रेशमबाई, कैलाशबाई पिता भीमा जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	167 168 169 181/377	0.316 0.506 0.139 0.417	0.047 0.202 0.063 0.020
	योग	4	1.378	0.332
26	धूल्या, गोपी पिता गेन्दाशंकर, बापू पिता देवाजी, हरकूबाई बेवा जालम, अयोध्या बेवा जालम जाति अनुसूचित जाति नि.ग्राम भू-स्वामी	170 172 208	1.151 0.051 0.595	0.345 0.051 0.238
	योग	3	1.797	0.634
27	हरकूबाई बेवा जालम, गोपी, कालू पिता गेंदा हि.50 पै. शंकर, नाथू पिता देव्या, गुलाबबाई बेवा देव्या हि.50 पै.जाति अनुसूचित जाति नि.ग्राम भू-स्वामी	171/1	1.935	0.096
	योग	1	1.935	0.096
28	रमेश पिता कालू जाति अनुसूचित जाति नि.ग्राम भू-स्वामी	171/2	0.442	0.044
	योग	1	0.442	0.044
29	विजयसिंह पिता गंगाराम जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	174/1 175	0.671 0.860	0.604 0.860
	योग	2	1.531	1.464
30	इन्दरसिंह पिता करणसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम टाण्डी	179/1	0.759	0.607
	योग	1	0.759	0.607
31	भेरूसिंह पिता मांगीलाल जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	179/2	0.544	0.544
	योग	1	0.544	0.544
32	सम्पतबाई बेवा पूरजी, बनेसिंह पिता पूरजी जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	180/1	1.467	0.293
	योग	1	1.467	0.293
33	प्रभू पिता किशन जाति अनुसूचित जाति नि.ग्राम भू-स्वामी	181	0.696	0.557
	योग	1	0.696	0.557
34	श्रीलाल, भगवानसिंह पिता नारायणसिंह, बल्लभबाई बेवा नारायणसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	241/1 345/2/1	0.007 0.626	0.007 0.626
	योग	2	0.633	0.633
35	रामप्रसाद पिता गणपत जाति अनुसूचित जाति नि.ग्राम भू-स्वामी	362/4 367/1	0.506 0.494	0.253 0.198
	योग	1	1.000	0.451

36	भूलीबाई बेवा प्यारजी जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	357/2	0.088	0.088
	योग	1	0.088	0.088
37	मांगीलाल पिता धूलजी जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	362/3	1.833	0.825
		362/1	1.846	0.554
		362/2	1.846	0.646
	योग	3	5.525	2.025
38	कमलसिंह पिता अमरसिंह जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	334/1/5	0.013	0.013
		335/5	0.028	0.028
		349/1/3	0.104	0.104
	योग	3	0.145	0.145
39	हिन्दूसिंह पिता गंगाराम जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	234	0.190	0.190
	योग	1	0.190	0.190
40	घनसिंह पिता विजयसिंह जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	225	0.632	0.379
		226	0.101	0.101
	योग	2	0.733	0.480
41	नोरंगबाई बेवा शिवसिंह, सुजानबाई पिता शिवसिंह जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	367/2	1.189	0.337
	योग	1	1.189	0.337
42	गणपत पिता भागचन्द जाति अनुसूचित जाति नि.ग्राम भू-स्वामी	369/1	1.833	1.466
	योग	1	1.833	1.466
43	दयाराम पिता पन्नालाल जाति अनुसूचित जाति	223/2	1.648	0.092
	योग	1	1.648	0.092
44	बाबू पिता कालू जाति अनुसूचित जाति नि.ग्राम भू-स्वामी	249/1/1	0.653	0.653
	योग	1	0.653	0.653
45	भेरूसिंह पिता धूलजी जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	230	0.101	0.101
		231/1	0.573	0.458
		232/1	0.080	0.080
		233/1	0.131	0.131
	योग	4	0.885	0.770
46	सौरमबाई बाई बेवा धूलजी जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	239	0.038	0.038
	योग	1	0.038	0.038

47	मांगीलाल पिता गोपीलाल जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	240/1	0.784	0.784
		241/2	0.006	0.006
		345/1	0.677	0.677
	योग	3	1.467	1.467
48	रामसिंह पिता नरबा जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	355	0.164	0.164
		356/2	0.159	0.159
		358	0.051	0.051
	योग	3	0.374	0.374
49	श्रीमति रामकलाबाई उर्फ कलाबाई पति कुमेरसिंह जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	276/1/2/2	0.126	0.040
		योग	1	0.126
50	करणसिंह पिता उंकर जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	284/1/3	0.030	0.006
		योग	1	0.030
51	सत्यनारायण ना.बा.सर.पिता कुमेरसिंह पिता शिवसिंह जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	324/2	0.253	0.253
		योग	1	0.253
52	शिवसिंह, अमरसिंह पिता माधो हि.1/2 मांगीलाल, करणसिंह पिता धूलजी, गेंदीबाई, मेहताबबाई बेवा धूलजी हि.1/2 जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	327	0.038	0.038
		योग	1	0.038
53	कनीराम पिता बंशीलाल जाति सुतार नि.ग्राम भू-स्वामी	338	0.164	0.164
		योग	1	0.164
54	लालसिंह पिता मांगीलाल जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	339/2	0.152	0.013
		340/1/1/1	0.202	0.026
		340/1/1/2	0.203	0.027
		340/1/2	0.455	0.402
		340/2	0.860	0.358
		345/2/2	0.050	0.050
	योग	6	1.922	0.876
55	रोड़जी ना.बा.शिवसिंह पिता माधो जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	346/3	2.276	0.455
		योग	1	2.276
56	बीरम, रोड़ीबाई, सुन्दरबाई पिता गम्बा, धूलीबाई बेवा छोटेलाल, राहुल, महन्द्रियह, दिलीप, संदीप ना.बा.सर.माता धूलीबाई बेवा छोटेलाल जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	356/1	0.031	0.031
		योग	1	0.031
57	बीरमसिंह पिता भोना जाति अनुसूचित जाति नि.ग्राम भू-स्वामी	367/3	0.012	0.004
		योग	1	0.012
कुलयोग :-		124	56.618	30.739

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 13375

(अंतर्गत धारा - 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 1 में कुण्डलिया वृहद परियोजना तहसील सारंगपुर जिला राजगढ़ कुण्डलिया बॉध निर्माण के डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे कमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।
अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

ग्राम - कडलावद		तहसील - सारंगपुर		जिला राजगढ़
क्र.	विवरण	कुल भूमि	अर्जित की जाने वाली भूमि	
1	निजी भूमि 1. कुण्डलिया बॉध परियोजना के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से	382.697	318.836	
	योग	382.697	318.836	

अनुसूची (2)

(1) कुण्डलिया बॉध परियोजना में प्रभावित होने से

	कृषक का नाम/पिता का नाम	भूमि सर्वे कमांक	कुल रकबा	अर्जित किये जाने वाला रकबा
1	2	3	4	5
1	रामकरण अर्जुन सीताबाई भगवतबाई संजूबाई पवित्रा गायत्री पिता बद्रीलाल सजनबाई बेवा बद्रीलाल जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1/1	0.354	0.354
	योग	707/1	0.127	0.127
	योग		0.481	0.481
2	कंचनबाई बैवा देवा रामूबाई पति माधुलाल जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1/2 1/6	0.481	0.481
	योग	707/2	0.062	0.062
	योग		0.543	0.543
3	गोपालसिंह आ गंगाधर जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1/3/1	1.283	1.283
		4/10	0.095	0.095
		17/1	0.088	0.088
		464/1/1	0.632	0.500
		725	0.152	0.152
		721/1	0.025	0.025
	योग		2.275	2.143
4	कृष्णपालसिंह आ गंगाधर जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	464/1/2	0.632	0.500
		558	0.708	0.708
		638/1	0.177	0.177
		694	0.177	0.177
	योग		1.694	1.562
	हरिशचन्द्र आ गंगाधर जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	155/1	0.063	0.063

5		464/1/3	0.633	0.500
	योग		0.696	0.563
6	माखनसिंह उर्फ मोहनसिंह आ गंगाधर जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	464/1/4	0.633	0.500
		607/1	0.025	0.025
	योग		0.658	0.525
7	देवीसिंह पिता शिवसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1/3/2/1	0.705	0.705
		260/1	0.240	0.240
	योग		0.945	0.945
8	चैनसिंह पिता शिवसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1/3/2/2	0.079	0.079
		260/4	0.240	0.240
		696	0.215	0.215
	योग		0.534	0.534
9	सौरभ बाई पति हरिसिंह जाति दांगी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1/3/2/3	0.500	0.500
	योग		0.500	0.500
10	गौरीलाल पिता काशीराम इंदर सिंह देवीसिंह पवित्राबाई पानीबाई पिता नानूराम मु. कमलाबाई बेवा नानूराम जाति लुहार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1/5/1	0.380	0.380
		264/3	0.063	0.063
		266	0.354	0.354
		383	0.911	0.911
		612	0.076	0.076
	योग		1.784	1.784
11	भवरिया पिता देवा जाति बागरी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1/5/2	0.380	0.380
	योग		0.380	0.380
12	मोहनलाल पिता जगन्नाथ जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1/7/1	1.180	1.180
	योग		1.180	1.180
13	मुकेश पिता मोहनलाल जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1/7/2	0.590	0.590
	योग		0.590	0.590
14	कृष्णाकुंवर पति भगवानसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1/8	1.012	1.012
	योग		1.012	1.012
15	भैरूलाल पिता देवा जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1/9/1	0.189	0.189
		4/2/1	0.329	0.329
		4/9/1	0.126	0.126
	योग		0.644	0.644
16	बाबूलाल पिता देवा जी जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1/9/2	0.190	0.190
		4/2/2	0.329	0.329
		4/9/2	0.126	0.126
	योग		0.645	0.645

17	लालसिंह पिता देवा जी जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1/9/3	0.190	0.190
		4/2/3	0.329	0.329
		4/9/3	0.126	0.126
	योग		0.645	0.645
18	उदय सिंह पिता देवा जी जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1/9/4	0.190	0.190
		4/2/4	0.329	0.329
		4/9/4	0.126	0.126
	योग		0.645	0.645
19	भंवरलाल गोकूलप्रसाद मोहनलाल गंगाबाई मांगीबाई कमलाबाई रोडीबाई श्यामबाई पिता जगन्नाथ हि 1/3 मदनलाल पिता नंदा हि01/3 नारायण पिता नंदा हि 1/3 . जाति बागरी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1/10 4/16	1.518	1.518
		4/14	0.505	0.505
	योग		2.023	2.023
20	भंवरलाल पिता देवा धापूबाई बैवा देवा जाति बागरी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1/11	0.379	0.379
		योग		0.379
21	रामसिंह बापूलाल पिता मेहताब जाति कुम्हार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1/12	0.632	0.632
		योग		0.632
22	गंगाबाई पति रामलाल जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	2	1.138	1.138
		योग		1.138
23	माधुलाल मुन्नालाल कंवरलाल पिता पूनाजी रोडीबाई पति मांगीलाल जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	3	0.557	0.557
		7	0.051	0.051
		25	0.759	0.759
		213	0.051	0.051
		215	0.759	0.759
		672	0.328	0.328
		681	0.367	0.367
		686	0.330	0.330
		792	0.177	0.177
		682	0.342	0.342
		684	0.038	0.038
		731/1	0.107	0.107
	731/2	0.108	0.108	
योग		3.974	3.974	
24	बाबूलाल पिता कालुराम जाति कुल्मी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	4/3	0.209	0.209
		4/13/3	0.671	0.671
		289/3	0.673	0.673
		717/2	0.170	0.100
	योग		1.723	1.653

25	भगवानसिंह पिता बापूलाल जाति कलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	4/4	0.089	0.089
		5/2	0.379	0.379
		6	0.240	0.240
		137/1/2	0.518	0.518
		141	0.089	0.089
		142/2	0.278	0.278
		852/2	0.057	0.057
	योग		1.650	1.650
26	रामेश्वर पिता कालूराम जाति कुल्मी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	4/5	0.291	0.291
		4/6	0.278	0.278
		4/13/1	0.100	0.100
		38/2	0.082	0.082
		39/2	0.013	0.013
	योग		0.764	0.764
27	गोकुल प्रसाद पिता जगन्नाथ जाति कुल्मी निवासी ग्राम भूमि स्वामी	4/7	0.379	0.379
		योग		0.379
28	भैरूलाल पिता घीसा जाति अनु. जाति पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	4/12	0.873	0.873
		95/5	1.265	1.265
		योग		2.138
29	शिवनारायण पिता कालुराम जाति कुल्मी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	4/13/2	0.671	0.671
		289/2	0.224	0.224
		योग		0.895
30	रामकरण पिता कालूराम जाति कुल्मी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	4/13/4	0.670	0.670
		योग		0.670
31	ताराचंद पिता कालूराम जाति कुल्मी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	4/13/5	0.670	0.670
		योग		0.670
32	कमल सिंह पिता दुलेसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	4/15/1	0.316	0.316
		134/1/1	0.126	0.126
		136/2/1	0.235	0.235
		199/1/1	0.152	0.152
		132/1/1	0.314	0.314
		143/3/1	0.126	0.126
	योग		1.269	1.269
33	भगवत सिंह पिता दुले सिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	4/15/2	0.316	0.316
		132/1/2	0.314	0.314
		136/2/2	0.234	0.234
		143/3/2	0.126	0.126
		199/1/2	0.153	0.153
		134/1/2	0.126	0.126
	योग		1.269	1.269
34	तेजसिंह पिता बापूलाल जाति कलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	5/1	0.291	0.291

		8/1	0.367	0.367
		24	0.417	0.417
		137/1/1	0.607	0.607
		142/1	0.279	0.279
		852/1	0.057	0.057
	योग		2.018	2.018
35	बापूलाल पिता नवल जाति सुतार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9	1.391	1.391
		10/2	0.368	0.368
		700	0.417	0.417
	योग		2.176	2.176
36	बापूलाल पिता मांगीलाल जाति सुतार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	10/1	1.895	1.895
		156	0.177	0.177
		11	0.126	0.126
		12	0.228	0.228
	योग		2.426	2.426
37	राधेश्याम गोकूलप्रसाद पिता मांगीलाल जाति ब्राह्मण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	14/3	0.936	0.936
		13	0.139	0.139
	योग		1.075	1.075
38	गोकूलप्रसाद पिता मांगीलाल जाति ब्राह्मण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	144/2	0.443	0.443
		145/2	0.194	0.194
		146/6	0.113	0.113
		196	0.063	0.063
		197/1	0.816	0.816
		258/7	0.185	0.185
	योग		1.814	1.814
39	महादेवी पति दरयाव सिंह जाति अनु जाति पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	14/1	0.632	0.632
		26/1	0.835	0.835
		16/2	0.480	0.480
	योग		1.947	1.947
40	रामसिंह पिता बद्रीलाल जाति नाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	14/2	0.379	0.379
		योग	0.379	0.379
41	दरयाव सिंह पिता गोपीलाल जाति अनु जाति पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	15/1	0.537	0.537
		703/2	0.126	0.126
		योग	0.663	0.663
42	संतोष सिंह पिता प्रभुनाथसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	15/2	0.537	0.537
		36	1.404	1.404
		199/2	0.306	0.306
		272/1	0.698	0.210
		272/2		
		272/3	0.065	0.065

		625/2	0.065	0.065
	योग		3.075	2.587
43	प्रभुलाल जसोदा बाई पिता रामलाल जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	16/1/1	0.184	0.184
		220	0.101	0.101
		223/4	0.392	0.392
	योग		0.677	0.677
44	रामकरण विष्णु पिता मेहताब व भूरीबाई बेवा मेहताब पिता मांगीलाल जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	16/1/2	0.184	0.184
		223/1	0.185	0.185
		223/3	0.143	0.143
	योग		0.512	0.512
45	भूराबाई पति मेघराज जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम हिरनगांव जिला शाजापुर भूमि स्वामी	17/2	0.089	0.089
		18/2	0.852	0.852
		345	0.126	0.126
		347	0.164	0.164
		348/2	0.575	0.575
	352/1/1	0.253	0.180	
योग		2.059	1.986	
46	कमल सिंह आ. दूलेसिंह लोकेन्द्र सिंह ना बा सर पिता भगवान सिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	18/1	0.426	0.426
		योग		0.426
47	रामचंद्र पिता देवा जाति अनु. जाति पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	19/1	0.057	0.057
		20/1	0.069	0.069
		21/1	0.670	0.670
		22/1/1	0.012	0.012
		22/2 23	0.177	0.177
योग		0.985	0.985	
48	रामचंद्र पिता देव्या जाति अनु. जाति पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	762/1/2	0.125	0.125
		760/1/2	0.077	0.077
		763/1/2	0.022	0.022
		764/1/2	0.083	0.083
		865/1/2	0.030	0.030
		866/1/2	0.020	0.020
		870/1/2	0.079	0.079
		871/1/1/2	0.031	0.031
		871/2/1/2	0.030	0.030
		872/1/2	0.013	0.013
योग		0.510	0.510	
49	गंगाराम विष्णु पिता देवा जाति अनु. जाति पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	19/2	0.057	0.057
		20/2	0.070	0.070
		21/2	1.012	1.012
	योग		1.139	1.139

50	अयोध्याबाई बैवा हीरा सिद्धलाल पिता हिरा रमेश कैलाश पिता हीरा ना बा सर माता अयोध्या बाई बैवा हीरा जाति बागरी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	26/2	0.834	0.834
	योग		0.834	0.834
51	होकमचंद पिता मांगीलाल जाति सुतार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	27	0.898	0.898
		98	0.342	0.342
	योग		1.240	1.240
52	शिवनारायण पिता मांगीलाल जाति सुतार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	28	0.860	0.860
		96	0.076	0.076
		97	1.391	1.391
	योग		2.327	2.327
53	कमलाबाई वि. देवीसिंह जाति नाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	29	0.430	0.430
	योग		0.430	0.430
54	मनोहर कन्हैया पिता गंगाराम संपतबाई वि. गंगाराम जाति नाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	30/1	1.091	1.091
		240	0.607	0.607
		31	0.013	0.013
		239/3	0.126	0.126
		239/4	0.632	0.632
	योग		2.469	2.469
55	राधेश्याम गोपाल पिता बापूलाल जाति कुम्हार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	30/2	0.363	0.363
	योग		0.363	0.363
56	मांगीलाल पिता दरयाव जाति लुहार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	32	0.101	0.101
		33/3	0.668	0.668
		95/3	0.152	0.152
		198/3	0.889	0.889
		248/2	0.130	0.130
		250/2	0.171	0.171
		251/2	0.240	0.240
		281	0.658	0.658
		611/3	0.131	0.131
		613/2	0.063	0.063
		614/3	0.042	0.042
		40/3	0.304	0.304
		177	0.025	0.025
		252/3	0.017	0.017
		279/3/3	0.332	0.332
		143/2/3	0.295	0.295
	151/3	0.080	0.080	
	247/1/1	0.025	0.025	
	247/4/3	0.010	0.010	
	योग		4.333	4.333
	दूलेशिंह पिता दरियाव सिंह जाति लोहार	33/1	0.888	0.888

57	पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	611/1	0.130	0.130
		613/4	0.063	0.063
		614/1	0.042	0.042
		40/1	0.304	0.304
		41/1	1.609	0.440
		143/2/1	0.295	0.295
		151/1	0.080	0.080
		198/1	0.890	0.890
		247/5	0.100	0.100
		253	0.190	0.190
		254	0.164	0.164
		255	0.038	0.038
		278/1	0.965	0.965
		204/1	0.173	0.173
		247/1/3	0.026	0.026
		247/4/1	0.010	0.010
		252/1	0.017	0.017
		279/3/1	0.332	0.332
			योग	6.316
58	बापूलाल पिता दरियाव सिंह जाति लोहार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	33/2	0.789	0.789
		41/2	0.300	0.250
		611/2	0.131	0.131
		613/3	0.064	0.064
		614/2	0.042	0.042
		40/2	0.303	0.303
		182	0.025	0.025
		198/2	0.889	0.889
		204/2	0.346	0.346
		247/4/2	0.010	0.010
		247/1/2	0.025	0.025
		252/2	0.017	0.017
		248/1	0.148	0.148
		250/1	0.171	0.171
		251/1	0.253	0.253
		278/2	0.613	0.613
		279/3/2	0.332	0.332
143/2/2	0.295	0.295		
151/2	0.080	0.080		
	योग	11.535	4.783	
59	मांगीलाल, बापूलाल, दूलेसिंह पिता दरियाव जाति लोहार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी (कुंआ शामिल)	613/1	0.025	0.025
		योग	0.025	0.025

60	जानीबाई पति गुलाब जाति गुजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	34	0.152	0.152
	योग		0.152	0.152
61	प्रभुनाथ पिता दूलेसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	35	2.289	2.289
		37	2.289	2.289
	योग		4.578	4.578
62	गोपाल पिता प्रभुलाल जाति कुल्मी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	38/1	0.082	0.082
		39/1	0.012	0.012
		289/1	0.898	0.898
		717/1	0.171	0.040
	योग		1.163	1.032
63	श्री राम मंदिर श्री नरसिंह मंदिर पु. भरतदास गुरु महंत व्यवस्थापक कलेक्टर महोदय जिला राजगढ़	92	2.655	0.050
		93	0.772	0.310
		125	6.185	6.185
		103	1.830	1.500
		120/1	0.114	
		105	1.354	0.934
		799	2.175	2.175
		801	0.076	0.076
		802	0.582	0.582
		803	0.392	0.392
		804	0.076	0.076
		114	0.063	0.063
		115	0.139	0.139
		116	0.101	0.101
		117	0.481	0.481
		118	0.417	0.417
		120/2	0.122	0.122
		121	0.126	0.126
		122	0.772	0.772
		152	0.253	0.253
		100	0.772	0.772
	101	1.037	1.037	
	102	0.076	0.076	
	104	0.810	0.810	
	योग		21.380	17.449
64	गंगाबाई पति प्रभुलाल जाति लोहार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	94	0.772	0.772
	योग		0.772	0.772
65	भगवान सिंह मोडसिंह राय सिंह नारायण मनोहर सागर सिंह होकम बाई पिता प्रभुलाल जाति लुहार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	95/1/1	0.304	0.304
		239/5	0.595	0.595
	योग		0.899	0.899
	सिद्धनाथ एलकारसिंह पिता नंद सिंह जाति	95/1/2	0.126	0.126

66	राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	95/4/1	0.221	0.101
		149/1/1	0.193	0.193
		199/3/1	0.097	0.097
		624/3	0.227	0.227
		625/4	0.065	0.065
	योग		0.929	0.809
67	बालूसिंह पिता गेन्दसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	95/4/2	0.347	0.327
		149/1/2	0.193	0.193
		199/3/2	0.097	0.097
		624/2	0.226	0.226
	योग		0.863	0.843
68	शंकर सिंह पिता समंदरसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	95/4/3	0.347	0.347
		149/1/3	0.193	0.193
		199/3/3	0.097	0.097
		625/3/1	0.226	0.226
	योग		0.863	0.863
69	मेहरबान सिंह पिता समंदरसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	95/4/4	0.347	0.347
		149/1/4	0.193	0.193
		199/3/4	0.097	0.097
		624/1	0.142	0.142
	625/4/2	0.085	0.085	
योग		0.864	0.864	
70	रामलाल राधेश्याम पिता भैरू जाति अनु. जाति पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	99/1	0.379	0.379
		762/4	0.335	0.050
	योग		0.714	0.429
71	धुला पिता नान्या जाति अनु. जाति पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	99/2/1	0.142	0.142
		762/5/1	0.126	0.126
		980/5/1	0.107	0.080
		764/4/1	0.084	0.084
		865/4/1	0.030	0.030
		866/4/1	0.020	0.020
		870/4/1	0.079	0.079
		872/3/1	0.013	0.013
		871/2/4/1	0.032	0.032
	871/1/4/1	0.032	0.032	
योग		0.665	0.638	
72	बालु पिता पीरू जाति अनु. जाति पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	99/2/2	0.143	0.143
		762/5/2	0.126	0.126
		980/5/2	0.107	0.080
		764/4/2	0.084	0.084
		865/4/2	0.030	0.030
		866/4/2	0.021	0.021
		870/4/2	0.079	0.079
		871/2/4/2	0.030	0.030
	872/3/2	0.013	0.013	

	योग		0.633	0.606
73	दरियाव सिंह पिता गोपीलाल जाति मेघवाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	99/3	0.284	0.284
	योग		0.284	0.284
74	गंगाधर पिता मोती जाति अनु. जाति पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	763/2/1	0.008	0.008
		764/2/1	0.082	0.082
		865/2/1	0.030	0.030
		866/2/1	0.020	0.020
		870/2/1	0.079	0.079
		871/2/2/1	0.030	0.030
		871/1/2	0.032	0.032
		873/1	0.007	0.007
		980/2	0.215	0.040
		760/2/1	0.077	0.077
		762/2/1	0.126	0.126
	योग		0.706	0.531
75	किशन पिता मोती जाति अनु. जाति पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	763/2/2	0.007	0.007
		764/2/2	0.082	0.082
		865/2/2	0.030	0.030
		866/2/2	0.021	0.021
		870/2/2	0.079	0.079
		871/2/2/2	0.030	0.030
		873/2	0.006	0.006
		760/2/2	0.078	0.078
		871/1/2/2	0.031	0.031
		762/2/2	0.126	0.126
	योग		0.490	0.490
76	देवा पिता शोभा जाति अनु. जाति पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	732/1/1	0.012	0.012
	योग		0.012	0.012
77	देव्या पिता शोभा जाति अनु. जाति पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	99/4	0.285	0.285
	योग		0.285	0.285
78	सिद्ध पिता पन्ना जाति अनु. जाति पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	99/5/1	0.057	0.057
		762/3/1	0.050	0.050
		763/3/1	0.006	0.006
		764/3/1	0.033	0.033
		866/3/1	0.008	0.008
		870/3/1	0.032	0.032
		871/2/3/1	0.012	0.012
		871/1/3/1	0.001	0.001
		872/2/1	0.005	0.005
	योग		0.204	0.204
	अनार पिता पन्ना जाति अनु. जाति पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	99/5/2	0.057	0.057
		762/3/2	0.050	0.050
		763/3/2	0.006	0.006

79		764/3/2	0.033	0.033
		866/3/2	0.009	0.009
		870/3/2	0.032	0.032
		871/1/3/2	0.013	0.013
		871/2/3/2	0.012	0.012
		872/2/2	0.005	0.005
		980/3/2	0.043	0.023
		760/3/2	0.031	0.031
	योग		0.291	0.271
80	गोकल पिता पन्ना जाति अनु. जाति पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	99/5/3	0.057	0.057
		762/3/3	0.050	0.050
		980/3/3	0.043	0.022
		763/3/3	0.006	0.006
		764/3/3	0.034	0.034
		866/3/3	0.008	0.008
		870/3/3	0.031	0.031
		871/3/3	0.012	0.012
		871/3/2/3	0.018	0.018
		872/2/3	0.005	0.005
		760/3/3	0.031	0.031
			योग	
81	बापू पिता पन्ना जाति अनु. जाति पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	99/5/4	0.057	0.057
		762/3/4	0.050	0.050
		980/3/4	0.043	0.022
		763/3/4	0.006	0.006
		764/3/4	0.034	0.034
		866/3/4	0.008	0.008
		870/3/4	0.031	0.031
		871/2/3/4	0.012	0.012
		871/1/3/4	0.001	0.001
		872/2/4	0.005	0.005
		760/3/4	0.030	0.030
	योग		0.277	0.256
82	हरिसिंह पिता दुर्जनसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	109/1	0.040	0.040
		110/1		
		604/1	0.019	0.019
		605	0.063	0.063
		606/1	0.026	0.026
		925/2/1	0.138	0.012
	योग		0.286	0.160
83	भगवतसिंह पिता दूर्जन सिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	109/2	0.004	0.004
		110/2	0.036	0.036
		528/1	0.312	0.015
		606/2	0.107	0.107
		925/2/2	0.138	0.012
	योग		0.597	0.174

84	शिवराजसिंह पिता दूर्जन सिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	109/3 110/3	0.040	0.040
		705/1	0.098	0.098
		883/1	0.290	0.290
		925/2/3	0.138	0.012
	योग		0.566	0.440
85	मनोहरसिंह पिता दुर्जनसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	109/4 110/4	0.040	0.040
		687/1	0.466	0.200
		528/2	0.485	0.025
		606/3	0.107	0.107
	925/2/4	0.138	0.010	
योग		1.236	0.382	
86	चैनसिंह पिता दूर्जनसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	109/5 110/5	0.040	0.040
		887/5	0.068	0.068
		887/6	0.189	0.025
		705/2	0.098	0.098
	925/2/5	0.138	0.010	
योग		0.533	0.241	
87	अर्जुनसिंह पिता प्रभुनाथ सिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	109/6 110/6	0.032	0.032
		687/2	0.233	0.120
		887/7	0.284	0.040
		604/2	0.054	0.054
योग		0.603	0.246	
88	घनश्याम पिता प्रभुनाथसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	109/7 110/7	0.042	0.042
		530/2	0.338	0.010
		604/3	0.054	0.054
		882	0.126	0.126
		883/2	0.089	0.089
		888	0.076	0.076
	925/2/7	0.085	0.005	
योग		0.810	0.402	
89	राजवर्धन सिंह पिता प्रभुनाथसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	109/8 110/8	0.092	0.092
		530/3	0.321	0.020
		884/8	0.061	0.061
		604/4	0.054	0.054
	705/3	0.196	0.196	
योग		0.724	0.423	
90	अमृतबाई पति कन्हैयालाल जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	112	0.342	0.300
		योग	0.342	0.300

91	रामगापोल पिता भरतदास, रामबाबू पिता हरिदास कलावती पिता हरिदास माता मुन्नीबाई जाति बैरागी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	113	0.265	0.185
	योग		0.265	0.185
92	रामचंद्र पिता सालगराम जाति ब्राह्मण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	123	0.746	0.746
		124	0.063	0.063
	योग		0.809	0.809
93	रामसिंह अनार सिंह कन्हैयालाल बनेसिंह मांगीलाल शंकरसिंह पप्पुलाल पिता नारायण बाबूलाल राधेश्याम शिवलाल पिता दरियाव सिंह बंशीलाल गंगाराम भेरूलाल हरिसिंह पिता धूल जी जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	131	0.152	0.152
	योग		0.152	0.152
94	गोकूल रामकैलाश बाबूलाल प्रेमबाई आ. रतनलाल जाति दांगी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	132/2	0.594	0.594
		133	0.291	0.291
		136/1	0.127	0.127
	योग		1.012	1.012
95	रोडूलाल सिद्धीबाई पिता माधु जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	135	0.304	0.304
		134/2	0.405	0.405
		219	0.898	0.898
		225	0.417	0.417
	योग		2.024	2.024
96	नारायण दरियाव धूलजी भूली केशर बाई सुलनीबाई पिता पुरा जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	137/2	0.222	0.222
		139	0.645	0.645
		160	0.088	0.088
		161	0.088	0.088
		163	0.177	0.177
		165	0.126	0.126
		282	0.114	0.114
योग		1.372	1.372	
97	बापूलाल राधेश्याम शिवलाल पिता दरियाव जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	137/3	0.689	0.689
		138/2	0.218	0.218
		164/2	0.020	0.020
		170/1	0.055	0.055
		171	0.063	0.063
		178/2	0.113	0.113
		180	0.051	0.051
		183/2	0.120	0.120
		224/2	0.149	0.149
योग		2.956	1.478	

88	अमरा रूगनाथ जगन्नाथ पिता गणपत जाति अनु. जाति पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	140	0.253	0.253
		209	1.442	1.442
	योग		1.695	1.695
99	गोपाल पिता गुलाब जाति बागरी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	143/1/1	0.562	0.562
	योग		0.562	0.562
100	नारान पिता गुलाब जाति बागरी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	143/1/2	0.562	0.562
	योग		0.562	0.562
101	राधेश्याम पिता मांगीलाल जाति ब्राह्मण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	144/1	0.442	0.442
		145/1	0.195	0.195
		258/1	0.185	0.185
		277/1	0.298	0.298
	योग		1.942	1.120
102	विनोद पिता प्रेमनारायण जाति ब्राह्मण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	146/1	0.750	0.750
		197/2	0.423	0.423
		206/3	0.069	0.069
		257	0.039	0.039
	258/4	0.148	0.148	
योग		1.429	1.429	
103	संजय पिता प्रेमनारायण जाति ब्राह्मण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	146/2	0.749	0.749
		197/3	0.424	0.424
		206/4	0.069	0.069
	258/5	0.186	0.186	
योग		1.428	1.428	
104	रामेश्वर पिता शिवलाल जाति ब्राह्मण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	146/3	0.614	0.614
		205/5	0.250	0.250
		206/1	0.047	0.047
		246/1	0.089	0.089
		258/2	0.124	0.124
	276/1	0.206	0.206	
योग		1.330	1.330	
105	रामनारायण पिता शिवलाल जाति ब्राह्मण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	146/4	0.500	0.500
		205/2	0.167	0.167
		206/2	0.047	0.047
		246/2	0.089	0.089
		258/3	0.123	0.123
	276/2	0.207	0.207	
योग		1.133	1.133	
	धनश्याम पिता शिवलाल जाति ब्राह्मण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	146/5	0.500	0.500
		205/1	0.167	0.167

106		206/5	0.046	0.046
		246/5	0.088	0.088
		258/6	0.124	0.124
		276/3	0.207	0.207
	योग		1.132	1.132
107	गिरवर सिंह पिता मोखम सिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	147/1	0.461	0.461
		147/2/5	0.041	0.041
		192/1/2	0.356	0.356
		273/1/4	0.291	0.070
		275/5	0.286	0.286
		621/1/3	0.103	0.103
योग		1.538	1.317	
108	मनोहर सिंह पिता मोखम सिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	147/2/1	0.531	0.531
		275/1	0.285	0.285
		192/2/1	0.214	0.214
		273/1/1	0.291	0.070
		621/2/1	0.052	0.052
योग		1.373	1.152	
109	भगवान सिंह पिता मोखम सिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	147/2/3	0.642	0.642
		192/2/2	0.214	0.214
		275/3	0.286	0.286
		273/1/2	0.291	0.070
		621/1/1	0.053	0.053
		621/2/3	0.052	0.052
योग		1.538	1.317	
110	ओछपकुंवर पति राजेंद्र जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	147/2/4	0.630	0.630
		189	0.025	0.025
		192/1/1	0.137	0.137
		192/2/3	0.066	0.066
		273/1/3	0.290	0.290
		275/4	0.286	0.286
		621/1/2	0.104	0.104
योग		1.538	1.538	
111	रामलाल पिता नंदराम जाति कलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	149/2	0.076	0.076
		150	0.079	0.079
	योग		0.155	0.155
112	शिवलाल नानूराम पिता देवा हि 1/2 धुला पिता प्यारा हि 1/2 जाति कुम्हार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	153	0.089	0.089
		722	0.038	0.038
	योग		0.127	0.127
	केसरसिंह पिता मोतीलाल जाति कलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	154	0.152	0.152

113		181	0.063	0.063
		162	0.013	0.013
		184	0.288	0.288
	योग		0.516	0.516
114	शिवसिंह पिता सजन सिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	155/2	0.063	0.063
		262	0.139	0.139
		400/23	0.330	0.330
		400/25	0.342	0.342
		400/26	0.506	0.506
		400/24	0.506	0.506
		456/15	0.215	0.150
		607/2	0.026	0.026
		633/2	0.034	0.034
		706	0.215	0.215
		732/1	0.063	0.063
		724/3	0.076	0.076
	योग		2.515	2.450
115	पवन कुमार पिता देवीलाल ना बा सर माता लीलाबाई व लीलाबाई पत देवीलाल जाति नाथ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	157	0.190	0.190
		158	0.038	0.038
	योग		0.228	0.228
116	भागीरथ बंशीलाल गंगाराम भैरूलाल हरिप्रसाद पिता धूला जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	166	0.126	0.126
		168	0.063	0.063
		172/1	0.240	0.240
		224/3	0.149	0.149
	योग		0.578	0.578
117	भंवरलाल पिता पूरालाल जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	169	0.164	0.164
		224/4	0.149	0.149
		170/2	0.122	0.122
		172/2	0.241	0.241
	योग		0.676	0.676
118	राजाराम पिता हरिसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	175/2	0.004	0.004
		188/2	0.063	0.063
		190/2	0.021	0.021
		191/2	0.097	0.097
		193/2	0.265	0.265
		194/2	0.029	0.029
		195/2	0.021	0.021
		235/2	0.270	0.270
		236/2	0.008	0.008
		280/2	0.481	0.481
		302/2	0.404	0.404
		327/2	0.185	0.185
	328/2	0.203	0.203	

★		340/2	0.241	0.241
		341/2	0.034	0.034
		342/2	0.038	0.038
		329/2	0.675	0.220
		330/2	1.672	0.110
		775/2	0.025	0.025
		योग	4.736	2.719
119	आत्माराम पिता हरिसिंह जाति गूजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	175/3	0.004	0.004
		188/3	0.063	0.063
		190/3	0.021	0.021
		191/3	0.097	0.097
		193/3	0.264	0.264
		194/3	0.030	0.030
		327/3	0.186	0.186
		328/3	0.202	0.202
		341/3	0.033	0.033
		342/3	0.038	0.038
		195/3	0.021	0.021
		235/3	0.270	0.270
		236/3	0.009	0.009
		280/3	0.481	0.481
		340/3	0.240	0.240
		329/3	0.674	0.110
			775/3	0.025
	777/2	0.025	0.025	
	योग	2.683	2.119	
120	गजराज सिंह पिता मोखम सिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	176	0.025	0.025
		273/2	0.101	0.035
		273/3	0.063	0.030
		274	0.126	0.126
		275/2	0.286	0.286
		185	0.253	0.253
		186	0.215	0.215
		187	0.304	0.304
		621/2/2	0.155	0.155
			योग	2.957
121	नारायण दरियाव धूलजी पिता पुरा जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	179	0.025	0.025
		योग	0.025	0.025
	कविता बाई पिता देवसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	188/1	0.064	0.064
		190/1	0.021	0.021
		191/1	0.097	0.097
		193/1	0.265	0.265
		194/1	0.030	0.030

122		195/1	0.021	0.021
		236/1	0.008	0.008
		280/1	0.480	0.480
		328/1	0.202	0.202
		340/1	0.240	0.240
		341/1	0.034	0.034
		342/1	0.038	0.038
		302/1	0.404	0.404
		327/1	0.185	0.185
		775/1	0.025	0.025
		777/1	0.026	0.026
		329/1	0.674	0.350
		330/1	1.672	0.180
		175/1	0.005	0.005
योग		4.491	2.675	
123	मांगूसिंह छोटूसिंह अंतरसिंह पिता राजसिंह सरे कुंवर पति रामसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	200/1	0.519	0.519
		201/2	0.063	0.063
		249/1	0.019	0.019
		616/1	0.177	0.177
		622/1	0.316	0.316
		623/1	0.215	0.215
		640/1	0.038	0.038
		641/1	0.089	0.089
		864/1	0.050	0.050
योग		1.486	1.486	
124	पप्पुकुंवर पति मांगूसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	200/2	0.518	0.518
		201/1	0.063	0.063
		249/2	0.019	0.019
		620	0.038	0.038
		623/2	0.228	0.085
		640/2	0.038	0.038
		641/2	0.088	0.088
		864/2	0.051	0.051
		622/2	0.418	0.418
योग		1.461	1.318	
125	दिलीपसिंह पिता उमरावसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	202/1/1	0.126	0.126
		202/1/2	0.126	0.126
		202/1/3	0.117	0.117
		207/1	0.333	0.333
		208/1	0.021	0.021
योग		0.723	0.723	
	हरिसिंह विक्रमसिंह पिता पदम सिंह गुलाबकुंवर बेवा पदमसिंह जाति राजपूत	202/2	0.139	0.139
		270/2	0.810	0.810

126	निवासी ग्राम भूमि स्वामी	271/19	2.529	0.050
		615/2	0.202	0.202
		268	0.240	0.240
		335	0.367	0.330
	योग		4.287	1.771
127	आनंदकुंवरबाई पति नारायणसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	203	0.468	0.468
		योग	0.468	0.468
128	श्यामाबाई पति तेज सिंह जाति कलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	205/3	0.250	0.250
		205/4	0.250	0.250
		योग	0.500	0.500
129	दुलेसिंह पिता छत्रसालसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	207/2 208/2	0.354	0.354
		योग	0.354	0.354
130	राजेंद्र सिंह पिता दिलीपसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	207/3 208/3	0.354	0.354
		योग	0.354	0.354
131	निर्मय सिंह पिता सेवालाल जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	212/1	0.538	0.538
		214/1	0.513	0.513
		237/1	0.013	0.013
		238/1	0.569	0.569
		योग	1.633	1.633
132	रामबाबू पिता भागीरथ नाबा सर माता धापूबाई बैवा भागीरथ जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	212/2	0.537	0.537
		237/2	0.012	0.012
		214/2	0.512	0.512
		योग	1.061	1.061
133	सौरभबाई पति मोहनलाल जाति कलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	216	0.569	0.569
		योग	0.569	0.569
134	नारायण पिता देवीलाल जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	218/1	0.379	0.379
		223/2	0.493	0.493
		योग	0.872	0.872
135	गंगाराम पिता देवीलाल जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	218/2	0.380	0.380
		465	0.506	0.506
		806	0.177	0.177
		योग	1.063	1.063
136	तंवरसिंह पिता भंवरसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	218/3	0.051	0.051
		योग	0.051	0.051
	गंगाधर पिता गुलाब रोडीबाई वि. गुलाब जाति दांगी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	226/1	0.417	0.417
		226/2	1.328	1.328

137		229	2.086	2.086
		232/5	0.696	0.696
		298/8	0.506	0.506
	योग		5.033	5.033
138	राधेश्याम पिता भैरूसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम तीतरी भूमि स्वामी	227	1.151	1.151
		392/9/3	0.101	0.101
		393/3	0.733	0.733
		395/1/3	0.253	0.253
		308/2/1/4	0.080	0.080
	योग		2.318	2.318
139	भंवरलाल पिता बिजेसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	228	2.339	2.339
	योग		2.339	2.339
140	हरीसिंह पिता भैरूसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	232/1	0.164	0.164
		योग		0.164
141	कालूसिंह पिता गंगाराम जाति नायक पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	232/2	0.038	0.038
		232/3/3	0.674	0.674
		233	1.328	1.328
		298/2	0.506	0.506
		287/1	0.594	0.594
	योग		3.140	3.140
142	गोरधनसिंह पिता गंगाराम जाति नायक पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	232/3/1	0.674	0.674
		286/1	1.378	1.378
		287/2	0.671	0.671
		323	0.898	0.898
	योग		3.621	3.621
143	बाबुलाल पिता गंगाराम जाति नायक पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	232/3/2	0.674	0.674
		286/2	2.049	2.049
		योग		2.723
144	भंवरलाल देवसिंह सौरमबाई पिता मुन्ना जाति दांगी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	232/4	0.319	0.319
		योग		0.319
145	भगवतीबाई पति कालूसिंह जाति नाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	235/1	0.270	0.270
		योग		0.270
146	कालूराम रामसिंह बाबूलाल विष्णुप्रसाद गोरधन सौरमबाई प्रेमबाई पिता बद्रीलाल सम्पत बाई बेवा बद्रीलाल जाति नाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	238/2	0.569	0.569
		239/2	0.759	0.759
		242/1	0.190	0.190
		योग		1.518

147	दीपक गोविंद पिता भवानीशंकर नावा सरपर माता उमाबाई पति भवानीशंकर जाति ब्राह्मण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	239/1/1	0.045	0.045
		243/1	0.076	0.076
		244/1	0.076	0.076
		245/1	0.032	0.032
		285	2.554	2.554
		326	0.721	0.721
		771/1	0.057	0.057
		774/1	0.031	0.031
	776/1	0.050	0.050	
	योग		3.642	3.642
148	सावित्री बाई पति दिनेश जाति ब्राह्मण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	239/1/2	0.044	0.044
		243/2	0.076	0.076
		244/2	0.379	0.379
		245/2	0.031	0.031
		283/2	0.961	0.961
		771/2	0.057	0.057
		774/2	0.032	0.032
	776/2	0.051	0.051	
	योग		3.262	1.631
149	रामेश्वर रामनारायण घनश्याम आ. शिवलाल राजबाई बेवा शिवलाल जाति ब्राह्मण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	239/6	0.253	0.253
	योग		0.253	0.253
150	रतनबाई पुत्री लक्ष्मण जाति ब्राह्मण पता निवासी खिलचीपुर भूमि स्वामी	241	0.468	0.468
	योग		0.468	0.468
151	मांगीलाल पिता घीसालाल जाति कुल्मी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	259/1	0.831	0.831
		336/1	0.372	0.372
		337/1	0.063	0.063
	योग		1.266	1.266
152	मांगीलाल पिता भारता जाति गुर्जर पता निवासी तीतरी ग्राम भूमि स्वामी	389/2	0.506	0.506
		390	0.430	0.430
		392/4	0.379	0.379
		392/6	0.038	0.038
		392/12	0.696	0.696
		389/1	2.227	2.227
	392/3	0.126	0.126	
योग		4.402	4.402	
153	संतोषसिंह पि. प्रभूनाथसिंह ना.बा.सर.	259/2	1.660	1.660
	योग		1.660	1.660
154	पुष्पाकुवर पति कल्लुसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	260/2	0.088	0.088
		630	0.240	0.240
		631	0.129	0.129
		638/3	0.177	0.177
	728	0.101	0.101	
योग		0.735	0.735	

155	गंगाकुंवर पति कल्लुसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	260/3	0.153	0.153
	योग		0.153	0.153
156	प्रेमसिंह पिता शिवसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	260/5	0.240	0.240
	योग		0.240	0.240
157	ईश्वरसिंह पिता प्रहलाद सिंह लाडकुंवरबाई बेवा प्रहलाद सिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	263	0.139	0.139
		264/2	0.089	0.089
		270/1	0.810	0.610
	योग		1.038	0.838
158	बालू पिता हिश जाति गूजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	264/1/1	0.093	0.093
		265/1	0.147	0.147
		593/1	0.030	0.030
		595/1	0.013	0.013
		596/1	0.080	0.080
		597/1	0.051	0.051
	600/1	0.012	0.012	
योग		0.426	0.426	
159	अमरसिंह पिता गिरधारीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	264/1/2	0.139	0.139
		265/2	0.221	0.221
		593/2	0.045	0.045
		595/2	0.019	0.019
		596/2	0.120	0.120
		713	0.202	0.021
	597/2	0.076	0.076	
600/2	0.019	0.019		
योग		0.841	0.660	
160	मानसिंह पिता गिरधारीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	264/1/3	0.046	0.046
		265/3	0.075	0.075
		593/3	0.014	0.014
		596/3	0.040	0.040
		597/3	0.025	0.025
		600/3	0.007	0.007
	595/3	0.006	0.006	
योग		0.213	0.213	
161	दिनेश पिता गोर्धनलाल जाति ब्राह्मण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	283/1	1.518	1.518
	योग		1.518	1.518
162	दयाराम रामचंद्र पिता छीता दरियावबाई वि. छीता जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	288/1	0.702	0.702
		311/2	0.380	0.380
		312/2	0.051	0.051
		320	0.190	0.190
		697/2	0.139	0.139
		688/2	0.196	0.050

		997/1	1.518	0.160
	योग		3.176	1.672
163	राधेश्याम पिता किशनलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	288/2/1	0.234	0.234
		311/1/1	0.206	0.206
		697/1/1	0.046	0.046
	योग		0.486	0.486
164	करण सिंह पिता किशनलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	288/2/2	0.234	0.234
		311/1/2	0.173	0.173
		312/4/1	0.032	0.032
		386/4/2	0.325	0.325
		697/1/2	0.046	0.046
	योग		0.810	0.810
165	सुखदेव पिता किशनलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	288/2/3	0.234	0.234
		312/4/2	0.208	0.208
		688/1	0.196	0.050
		697/1/3	0.047	0.047
	योग		1.224	0.539
166	नारायण करणसिंह रामसिंह गंगाबाई पिता शिवसिंह सुरजसिंह सोरमबाई सुरतबाई पिता मागीलाल छीतीबाई पिता भवरजी हि. 3/4 तोलाराम पिता देवीसिंह धरमसिंह सुदानसिंह रेखाबाई पिता राधेश्याम हि.1/4 जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम तीतरी भूमि स्वामी	290	0.190	0.190
		318	0.253	0.253
		योग		0.443
167	मांगीलाल राधेश्याम प्रभुलाल पिता गोपी, सम्पत बाई लीलाबाई सजन बाई कलाबाई पिता गोपी जाति बागरी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	291	0.039	0.039
		योग		0.039
168	जसन पिता भेरु जाति नायक पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	292	0.696	0.696
		467	0.620	0.020
	योग		1.316	0.716
169	मांगीलाल राधेश्याम प्रभुलाल पिता गोपी जाति बागरी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	293	0.379	0.379
		294	0.595	0.595
		295	0.683	0.683
	योग		1.657	1.657
170	इसराईल ईस्माईल इकबाल शहजाद पिता अलीहुसैन जाति मुसलमान निवासी ग्राम खिलचीपुर तहसील खिलचीपुर भूमि स्वामी	298/1/1	0.309	0.309
		योग		0.309

171	रामगोपाल चंपालाल जानी बाई बैवा नानूराम जाति दांगी पता निवासी ग्राम अंबावता तहसील खिलचीपुर भूमि स्वामी	298/1/2	1.265	1.265
	योग		1.265	1.265
172	रामकरण ताराचंद पिता कालूराम जाति कुल्मी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	298/1/3	1.000	1.000
	योग		1.000	1.000
173	नूरमोहम्मद पिता पीरखां जाति मुसलमान पता निवासी ग्राम खिलचीपुर भूमि स्वामी	298/1/5	1.000	1.000
	योग		1.000	1.000
174	देवीसिंह नारायण पिता नग्गा शांतीबाई पुत्री नग्गा जाति गुर्जर निवासी ग्राम भूमि स्वामी	298/3	0.164	0.164
		301/1	0.177	0.177
		298/4	0.038	0.038
		301/2	0.126	0.126
		298/5	0.253	0.253
		301/3	0.354	0.354
		324	0.974	0.974
		325	0.696	0.696
		343	0.569	0.569
		349	0.253	0.253
		351	0.493	0.493
		348/1	0.323	0.323
योग		4.42	4.42	
175	हरिसिंह रामसिंह पिता मांगीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	298/6	1.012	1.012
	योग		1.012	1.012
176	रामसिंह पिता मांगीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	298/7	1.012	1.012
	योग		1.012	1.012
177	मोड़सिंह पित सिद्धु जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	299	0.595	0.595
	योग		0.595	0.595
178	कालु पिता मोतीलाल जाति दांगी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	300	0.708	0.708
	योग		0.708	0.708
179	मोहनलाल पिता भैरु जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	303	0.164	0.164
		392/9/4	0.101	0.101
		393/4	0.734	0.734
		395/1/4	0.253	0.253
		308/2/2/2	0.220	0.220
		योग		1.472
	भूरालाल पिता भैरु जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	305/1/2	0.190	0.190
		308/2/1/2	0.030	0.030

180		393/5	0.734	0.734
		395/1/5	0.253	0.253
		392/9/5	0.102	0.102
	योग		1.309	1.309
181	जगदीश पिता शंकरलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	305/2	0.240	0.240
		308/3/2	0.294	0.294
		309/3	0.721	0.721
		310/2	0.474	0.474
		386/4/3	0.325	0.325
		397/1	0.229	0.091
		397/2	0.152	0.060
		397/3	0.467	0.198
		397/4	0.202	0.080
	योग		3.104	2.483
182	रूगनाथ देवीसिंह पिता कालूजी जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	307	0.531	0.531
		308/1	0.291	0.291
	योग		0.822	0.822
183	रामचंद्र पिता शंकरलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	308/3/1	2.863	2.863
		308/3/3/2	1.644	1.644
	योग		4.507	4.507
184	बंशीलाल किशनलाल पिता जालम सिंह गंगाराम पिता भैरू जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम तीतरी भूमि स्वामी	308/3/3/1	0.189	0.189
		योग		0.189
185	बंशीलाल पिता जाला जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम तीतरी भूमि स्वामी	308/4	0.794	0.794
		योग		0.794
186	आत्माराम पिता शंकरलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	309/1	0.721	0.721
		310/1	0.475	0.475
		386/4/1	0.324	0.324
		400/17/1	0.130	0.130
	योग		1.650	1.650
187	करणसिंह पिता शंकरलाल जाति गुर्जर निवासी तीतरी	309/2	0.253	0.253
		397/5	0.354	0.147
		397/6	0.152	0.060
		397/7	0.089	0.035
		400/11	0.101	0.101
		400/17/2	0.072	0.072
	योग		1.021	0.668
188	प्रभुलाल पिता मांगीलाल, नाबा सरपर मांगीलाल पिता भारता जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम तीतरी भूमि स्वामी	312/1	1.277	1.277
		योग		1.277
	सत्येंद्र सिंह पिता दिलीपसिंह जाति राजपूत	312/3	0.089	0.089

189	पता निवासी ग्राम ओढपुर भूमि स्वामी	386/3	0.126	0.126
		395/2	0.949	0.949
		395/5	3.478	0.870
		464/2	2.529	2.000
	योग		7.171	4.034
190	राधेश्याम विष्णुप्रसाद ओमप्रकाश सुरेशचंद्र गोपाल पिता सिद्धनाथ जाति कुल्मी पता निवासी ग्राम ब्यावरामांडु भूमि स्वामी	314	1.518	1.518
		योग	1.518	1.518
191	रामसिंह पिता शंकरलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	315/2	0.453	0.453
		391/1 392/7/1	0.189	0.189
		योग	0.642	0.642
192	हिन्दु सिंह पिता कालू जाति गूजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	315/3	0.453	0.453
		391/2 392/7/2	0.189	0.189
		योग	0.642	0.642
193	चंदर सिंह पिता कालू जाति गूजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	315/4	0.453	0.453
		योग	0.453	0.453
194	देवसिंह पिता कालू जाति गूजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	315/5	0.453	0.453
		391/3 392/7/3	0.189	0.189
		391/4 392/7/4	0.189	0.189
		योग	0.831	0.831
195	मोड़सिंह पिता अमर सिंह जाति गूजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	315/6	0.453	0.453
		योग	0.453	0.453
196	सूरज सिंह पिता मांगीलाल जाति गूजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	316	1.088	1.088
		381/2	0.940	0.940
		योग	2.028	2.028
197	बंशीलाल पिता भैरूलाल जाति कुल्मी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	317	0.366	0.366
		398	1.368	0.050
		400/15	0.036	
		योग	1.770	0.416
198	कमलसिंह पिता कालूसिंह जाति गुर्जर पता निवासी तीतरी ग्राम भूमि स्वामी	319/1	0.973	0.973
		योग	0.973	0.973
199	ईश्वरसिंह पिता कालू सिंह जाति गूजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	319/2	0.974	0.974
		योग	0.974	0.974
200	केशरबाई पति नारायण जाति दांगी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	336/2	0.324	0.170
		337/2	0.544	0.080
		योग	0.868	0.250

201	बशीलाल पिता मांगीलाल जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	338	0.493	0.493
		339	0.278	0.278
		708	0.291	0.080
	योग		1.062	0.851
202	शफीक मोहम्मद पिता नूर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी ग्राम भूमि स्वामी	346	0.582	0.582
		योग		0.582
203	सिद्धू बाबू गिरिराज आ. रामप्रसाद लीलाबाई बेवा रामप्रसाद गोर्धनलाल पिता लक्ष्मीनारायण जाति कुल्मी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	350	0.936	0.936
		381/1	0.948	0.948
	योग		1.884	1.884
204	विष्णुप्रसाद पिता मांगीलाल जाति कुल्मी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	352/1/2	1.230	1.230
		372/1	2.150	0.530
		375/1	1.081	1.081
	योग		4.461	2.841
205	मनोहरलाल पिता मांगीलाल जाति कुल्मी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	352/2	0.464	0.200
		353	0.253	0.130
		372/2	2.150	0.240
		375/2	0.094	0.094
		376	0.645	0.645
		377	0.304	0.304
		379/1	0.038	0.038
	354	0.266	0.010	
योग		4.214	1.661	
206	अमरा पिता बापूलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम तीतरी भूमि स्वामी	369	1.063	0.150
		योग		1.063
207	दिनेशकुमार पिता मांगीलाल जाति कुल्मी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	372/3	2.150	0.250
		379/2	1.081	1.081
	योग		3.231	1.331
208	नंदकिशोर पिता मांगीलाल जाति कुल्मी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	372/4	2.151	0.820
		379/3	1.081	1.081
	योग		3.232	1.901
209	बशीलाल किशनलाल पिता जालम, गंगाराम पिता भेरू जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम तीतरी भूमि स्वामी	380	0.531	0.531
		योग		0.531
210	देवीसिंह सीताराम बालुप्रसाद प्रेमबाई पिता मेघा रामकुंवर बेवा मेघा जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम तीतरी भूमि स्वामी	382	0.885	0.885
		योग		0.885

211	मोड़सिंह पिता सिद्धु जाति गूजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	384/1/1	0.518	0.518
		384/2	0.885	0.885
		386/1	0.215	0.215
	योग		1.618	1.618
212	विष्णुप्रसाद पिता सिद्धलाल जाति गूजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	384/1/2	0.241	0.241
		387	1.972	1.972
	योग		2.213	2.213
213	राजकुवरबाई पति तोलाराम जाति गूजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	386/2/1	2.000	2.000
	योग		2.000	2.000
214	देवीसिंह बापूलाल पिता नंदराम गोरबाई वि. नंदराम जाति गूजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	386/5	3.035	3.035
	योग		3.035	3.035
215	भागीरथ पिता भेरू जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम तितरी भूमि स्वामी	392/9/1	0.101	0.101
		393/1	0.733	0.733
		395/1/1	0.253	0.253
		308/2/1/3	0.220	0.220
	योग		1.307	1.307
216	सोहन पिता भेरू जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	392/9/2	0.101	0.101
		393/2	0.733	0.733
		395/1/2	0.253	0.253
		305/1/1	0.189	0.189
		308/2/1/1	0.031	0.031
	योग		1.307	1.307
217	मानसिंह प्रहलाद सिंह चंदर सिंह घीसूसिंह करण सिंह मदन सिंह गीताबाई पिता पुरा जी जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम तितरी भूमि स्वामी	392/10	1.265	1.265
		395/3	1.770	1.710
	योग		3.035	2.975
218	पीरूलाल लालूराम चंदरबाई गीताबाई सौरभबाई पिता रामरतन जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम तितरी भूमि स्वामी	392/11	2.023	2.023
	योग		2.023	2.023
219	रुगनाथ सूरज पूनमचंद पिता लक्ष्मीनारायण जाति कलाल पता निवासी ग्राम पठारी भूमि स्वामी	392/13	2.529	2.529
	योग		2.529	2.529
220	भेरू पिता दौला जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	393/6	1.000	1.000
	योग		1.000	1.000
221	मेघा पिता भेरू जाति बंजारा निवासी ग्राम	400/1	0.342	0.342

	योग		0.342	0.342
222	हिन्दुसिंह पिता दरियावसिंह 1/3, चंदरबाई, शांतिबाई, लीलाबाई पुत्री दरियावबाई 1/3, समंदर भंवरलाल पिता भेरू 1/3 जाति गुर्जर निवासी ग्राम भूमि स्वामी हि. 1/रू	400/2	0.215	0.215
	योग		0.215	0.215
223	शैतानबाई सौरमबाई नर्मदाबाई पिता समन्दर सिंह जाति गर्जर निवासी ग्राम तितरी	400/28	3.794	0.740
	योग		3.794	0.740
224	देवीसिंह पिता मांगू जाति गुर्जर निवासी ग्राम भूमि स्वामी	400/29	1.012	0.500
	योग		1.012	0.500
225	चैना पिता लाला जाति अनु. जाति निवासी ग्राम भूमि स्वामी	456/10	0.228	0.060
	योग		0.228	0.060
226	भंवरलाल पिता रूगनाथ जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	462/3	0.413	0.330
	योग		0.413	0.330
227	अमरसिंह पिता बापू जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	468	4.553	0.080
	योग		4.553	0.080
228	जीतकुंवर पति तंवरसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	530/4	0.964	0.070
		604/6	0.161	0.161
	योग		1.125	0.231
229	कालूराम पिता घासीराम जाति कुल्मी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	542/1	0.594	0.021
	योग		0.594	0.021
230	नारायणसिंह पिता सजनसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	559/1	0.506	0.506
		617	0.051	0.051
		618	0.164	0.164
		633/1	0.017	0.017
		637	0.291	0.291
		643/1	0.421	0.421
		644/1	0.563	0.563
		679	0.139	0.139
		685	0.670	0.670
		676	0.316	0.316
		724/2	0.076	0.076
		724/1	0.076	0.076
	योग		3.290	3.290

231	महेन्द्रसिंह पिता रणजीतसिंह नि. आमगढ़ा व भगवानसिंह पिता हनुमतसिंह नि. कलमंडीखुर्द झालावाड़ जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	563/2	0.253	0.120
		863	0.025	0.025
	योग		0.278	0.145
232	जगन्नाथ सिंह पिता उमरावसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	591/1/1	0.594	0.594
	योग		0.594	0.594
233	बहादूरसिंह पिता उमरावसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	591/2/1	0.594	0.594
		592/2	0.063	0.063
	योग		0.657	0.657
234	भरतकुमार पिता कैलाशचन्द्र जाति महाजन	591/2/1/1	0.253	0.143
	योग		0.253	0.143
235	उदय सिंह पिता राय सिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम उज्जैन भूमि स्वामी	591/2/2	0.506	0.020
	योग		0.506	0.020
236	देवीसिंह पिता लालसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	592/1	0.063	0.063
	योग		0.063	0.063
237	दयाराम रामचंद्र गंगाबाई रोड़ीबाई पिता छिता दरियाव बाई बेवा छिता जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	608/1	0.013	0.013
	योग		0.013	0.013
238	हरिसिंह रामसिंह सौरमबाई गीताबाई पिता मांगू जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	608/2	0.013	0.013
	योग		0.013	0.013
239	देवसिंह नारायण रूकमाबाई शांति बाई कंवरीबाई पिता नग्गा जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	608/3	0.025	0.025
	योग		0.025	0.025
240	सिद्ध बालूसिंह चैनसिंह कांतीबाई सेंतोष बाई कृष्णाबाई पिता गंगाराम जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	608/4	0.013	0.013
	योग		0.013	0.013
241	भगवान सिंह मोड़सिंह राय सिंह नारायण मनोहर सागर सिंह होकम सिंह पिता प्रभुलाल जाति लुहार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	615/1	0.202	0.202
	योग		0.202	0.202
242	मोड़सिंह पिता प्रभुलाल जाति लुहार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	616/2	0.151	0.151

	योग		0.151	0.151
243	आनंदकुंवरबाई पति नारायणसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	626	0.303	0.303
		628	0.038	0.038
		636/4	0.051	0.051
		642	0.139	0.139
	योग		0.531	0.531
244	मांगूसिंह छोटूसिंह अंतर सिंह पिता पूरसिंह हि. 1/4 रामसिंह पिता नवलसिंह हि. 25 पै. जगन्नाथ बहादूरसिंह पि. उमरावसिंह कंचनबाई बेवा उमरावसिंह भूमि स्वामी हि. 1/4 नंदनाल दत्तक पुत्र मानसिंह हि. 25 पै. धावूबाई पुत्री हरिसिंह हि. 1/4 जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	629	0.202	0.202
	योग		0.202	0.202
245	कुसुमबाई पति जगदीशसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम तीतरी भूमि स्वामी	632	0.291	0.291
	योग		0.291	0.291
246	विष्णु अशोक धारा सिंह शारदा बाई कलीबाई पिता सिद्ध गीताबाई विधवा सिद्ध मदन पिता माधू रोडीबाई वि. माधू जाति अनु. जाति पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	634/1	0.013	0.013
	योग		0.013	0.013
247	अमरसिंह पिता सेवा जाति बागरी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	634/2	0.012	0.012
	योग		0.012	0.012
248	मान्या पिता देवा खीमा पिता भीमा जाति बागरी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	634/3	0.013	0.013
	योग		0.013	0.013
249	धूला पिता नाथू जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम बाबरामांडू भूमि स्वामी	635/1	0.013	0.013
	योग		0.013	0.013
250	गुरुप्रसाद रामचंद्र पिता मुन्ना जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	635/2	0.013	0.013
	योग		0.013	0.013
251	भांग्या पिता पन्ना जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	635/3	0.012	0.012
	योग		0.012	0.012
252	रोडलाल सम्पत बाई दुर्गाबाई द्रोपतीबाई पिता गोपी जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	635/4	0.013	0.013
	योग		0.013	0.013

253	भेरूलाल लालसिंह बाबूसिंह उदय सिंह पिता देवा चम्पालाल गोश्वनलाल पिता हिरा लीलाबाई सौरमबाई शांताबाई पिता सेवालाल जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	636/1	0.038	0.038
	योग		0.038	0.038
254	बालूसिंह पिता रत्ता जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	636/2	0.025	0.025
	योग		0.025	0.025
255	परसा पिता नाथू जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	636/3	0.025	0.025
	योग		0.025	0.025
256	भगवतसिंह भारतसिंह पिता धीरपसिंह सरकुंवरबाई बेवा धीरपसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	638/2	0.177	0.177
		702	0.164	0.164
	योग		0.341	0.341
257	मनोहरसिंह पिता सज्जनसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	639	0.291	0.291
		719	0.266	0.266
		678	0.642	0.642
		724/4	0.067	0.067
		619/1	0.177	0.177
		643/2	0.401	0.401
		644/2	0.272	0.272
		683	0.101	0.101
योग		2.217	2.217	
258	बंशीलाल पिता मांगीलील जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	645	0.430	0.430
		704	0.164	0.164
	योग		0.594	0.594
259	शिवनारायण बापूलाल पिता कालूराम जाति कुल्मी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	646	0.240	0.220
	योग		0.240	0.220
260	रमेश कालू धापूबाई पिता लछमन जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	670	0.228	0.200
		673	0.379	0.379
		675	0.367	0.367
		720	0.139	0.139
		680	0.177	0.177
		योग		1.290
261	सिद्धलाल पिता धूला जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	671	0.670	0.650
	योग		0.670	0.650
262	घनश्याम पिता प्रभुनाथसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	687/3	0.233	0.233
	योग		0.233	0.233
	सिद्धलाल पिता भेरूलाल जाति बलाई पता	698/2/1	0.079	0.079

263	निवासी ग्राम भूमि स्वामी	699/1	0.246	0.246
	योग		0.325	0.325
264	महेशकुमार पिता भेरूलाल जाति बलाई पता	698/2/2	0.079	0.079
	निवासी ग्राम भूमि स्वामी	699/2	0.247	0.247
	योग		0.326	0.326
265	बंशीलाल पिता नाथू जाति बलाई पता	698/2/3	0.079	0.079
	निवासी ग्राम भूमि स्वामी	699/3	0.247	0.247
	योग		0.326	0.326
266	कैलाश पिता नाथूलाल जाति बलाई पता	698/2/4	0.079	0.079
	निवासी ग्राम भूमि स्वामी	699/4	0.246	0.246
	योग		0.325	0.325
267	कालूराम पिता चम्पालाल जाति बलाई पता	701/1	0.138	0.138
	निवासी ग्राम भूमि स्वामी		0.138	0.138
268	पीरूलाल मांगीलाल हिन्दूलाल पिता देवा रामप्रसाद रेशमबाई सौरम बाई पिता नारायण सम्पत बाइ बेवा नारायण हि 1/3 देवा पिता शोभा हि 1/3 रतनबाई पिता मांग्या हि 1/3 जाति अनु. जाति पता	703/1	0.380	0.380
	निवासी ग्राम भूमि स्वामी		0.380	0.380
269	पवनकुमार पिता शिवनारायण जाति	709	0.215	0.021
	महाजन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	710/2	0.226	0.035
	योग		0.441	0.056
270	रामप्रसाद दत्तकपुत्र किशनलाल जाति कुल्मी	877/2	0.126	0.126
	पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी		0.126	0.126
271	पवनकुमार शिवनारायण बेबीबाई बेवा	716/1	0.266	0.265
	शिवनारायण जाति महाजन पता निवासी	718	0.291	0.291
	ग्राम भूमि स्वामी		0.557	0.556
272	गोरधनलाल रमेश सुरेश रामचंद्र पिता	716/2	0.253	0.253
	कन्हैयालाल ना0बा0सर0 पिता कन्हैयालाल जाति कुल्मी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी		0.253	0.253
273	सेवा पिता हीरा भेरूलाल लालसिंह बाबू	723	0.215	0.215
	उदयसिंह पिता देवा जाति बलाई पता	739	0.557	0.400
	निवासी ग्राम भूमि स्वामी		0.772	0.615

274	बद्री मदन पिता रूगनाथ जाति अनु. जाति पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	726/1	0.044	0.011
	योग		0.044	0.011
275	रामचंद्र पिता गेंदा जाति अनु. जाति पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	726/2	0.044	0.011
	योग	874/1	0.060	0.060
276	नंदराम पिता गंभीर जाति अनु. जाति पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	726/3	0.045	0.011
	योग	862/2	0.100	0.100
277	रतन भेरू संतोष पिता नारायण जाति अनु. जाति पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	726/4	0.044	0.011
	योग	874/2	0.029	0.029
278	दरियाव सिंह शांतीबाई गीताबाई पिता गोपीलाल जाति अनु. जाति पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	732/3	0.013	0.013
	योग		0.013	0.013
279	गणपत पिता नारायण जाति अनु. जाति पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	732/4	0.013	0.013
	योग		0.013	0.013
280	प्रभुलाल लीलाबाई दरियावबाई पिता मांग्या जाति अनु. जाति पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	732/5	0.013	0.013
	योग		0.013	0.013
281	भेरू पिता घीसा जाति अनु. जाति पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	732/6	0.025	0.025
	योग		0.025	0.025
282	नानियाजी पिता पूरा जाति अनु. जाति पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	732/7	0.013	0.013
	योग		0.013	0.013
283	पीरूलाल मांगीलाल हिंदूलाल पिता देवा जाति अनु. जाति पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	732/8	0.013	0.013
	योग		0.013	0.013
284	रामचंद्र मांगीबाई पिता सिद्धनाथ अमर सिंह पिता किशन जाति अनु. जाति पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	732/9	0.013	0.013
	योग		0.013	0.013
285	बद्रीलाल मदनलाल दरोपतीबाई भवरीबाई पिता रूगनाथ सुरजबाई बेवा रूगनाथ भेरू रतन संतोष रूकमाबाई पिता नारायण सुन्दरबाई बेवा नारायण नन्दराम पिता गंभीर रामचन्द्र राजूबाई प्रेमबाई पिता गेंदा जाति अनु. जाति पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	732/10	0.013	0.013
योग			0.013	0.013

286	गंगाधर पिता गुलाब दांगी हि. 1/2 भंवरलाल देवसिंह पिता मुन्नालाल 1/2 जाति दांगी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	736	2.339	2.339
		737	0.519	0.519
		738	0.190	0.190
	योग		3.048	3.048
287	भंवरलाल दयाराम पिता जगन्नाथ जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	740/2/1	0.253	0.253
	योग		0.253	0.253
288	हिरालाल शिवलाल भगवतसिंह पिता भेरू नंदुवाई बेवा भेरू जाति गूजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	740/2/2	2.276	0.930
		741	2.365	1.800
		744	1.213	0.300
		745	0.278	0.100
		746	1.922	0.100
	योग		8.054	3.230
289	भेरूलाल पिता देवीलाल जाति अनु. जाति पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	762/1/1	0.126	0.126
		763/1/1	0.022	0.022
		764/1/1	0.084	0.084
		865/1/1	0.030	0.030
		866/1/1	0.021	0.021
		870/1/1	0.079	0.079
		871/1/1/1	0.032	0.032
		871/2/1/1	0.030	0.030
		872/1/1	0.013	0.013
		760/1/1	0.078	0.078
योग		0.515	0.515	
290	बंशी पिता बापू जाति अनु. जाति पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	762/3/5	0.051	0.051
		980/3/5	0.043	0.022
		99/5/5	0.057	0.057
		763/3/5	0.006	0.006
		764/3/5	0.034	0.034
		866/3/5	0.008	0.008
		870/3/5	0.031	0.031
		871/2/3/5	0.012	0.012
		872/2/5	0.005	0.005
		871/1/3/5	0.001	0.001
		760/3/5	0.031	0.031
योग		0.279	0.258	
	श्रीराम मंदिर पि. गोस्वधनलाल पि. देवीलाल	765	0.291	0.291

291	व्यवस्थापक कलेक्टर महोदय राजगढ़ पता	766	0.051	0.051
	निवासी ग्राम भूमि स्वामी	767	0.304	0.304
	योग		0.646	0.646
292	रमेशचन्द्र पिता रामलाल जाति कलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	769/1	0.189	0.189
		780/3	0.087	0.087
		781/1	0.247	0.247
		857/3/1	0.212	0.212
		782/1	0.070	0.070
		783/3	0.299	0.219
		785	0.316	0.264
		973/1	0.198	0.005
	योग		1.618	1.293
293	भेरूलाल पिता रामलाल जाति कलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	769/2	0.089	0.089
		772/2	0.041	0.041
		773	0.126	0.126
		778	0.063	0.063
		780/2	0.135	0.135
		782/2	0.069	0.069
		783/2	0.270	0.200
		783/5		
		786/1	0.136	0.100
		788/1	0.044	0.044
		789/3	0.076	0.076
		790/3	0.034	0.034
	858/3	0.057	0.057	
861/2	0.022	0.022		
योग		1.162	1.056	
294	कैलाश पिता रामलाल जाति कलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	769/3	0.089	0.089
		772/3	0.041	0.041
		779	0.051	0.051
		780/1	0.135	0.135
		781/2	0.246	0.246
		783/4		
		783/6	0.169	0.140
		786/3	0.136	0.136
		789/2	0.076	0.076
		790/2	0.035	0.035
		857/2	0.193	0.093
		858/2	0.057	0.057
	861/3	0.022	0.022	
योग		1.250	1.121	
	मोहनलाल पिता रामलाल जाति कलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	772/1	0.041	0.041
		784/1	0.100	0.100
		784/2	0.218	0.218
		786/2	0.272	0.200
		788/2	0.045	0.045
		788/3	0.044	0.044

295		790/4	0.035	0.035
		855/1	0.184	0.184
		855/3	0.183	0.183
		857/3/2	0.175	0.175
		859	0.025	0.025
		973/3	0.284	0.025
	योग		1.606	1.275
296	पवनकुमार पिता देवीलाल ना0गा0सर0 माता लीलाबाई पति देवीलाल जाति नाथ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	787	0.114	0.114
	योग		0.114	0.114
297	रामगोपाल मुन्नीबाई कमलाबाई श्यामबाई आ भारतदास जाति बैरागी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	793/1	0.152	0.152
	योग		0.152	0.152
298	माखनलाल पिता सिद्धलाल जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	808/1	0.854	0.529
		729/1	0.120	0.120
	योग		0.974	0.649
299	भेरूलाल पिता सिद्धलाल जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	808/2	0.854	0.529
		729/2	0.120	0.120
	योग		0.974	0.649
300	रामा पिता नंदराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	858/1	0.088	0.088
		860	0.315	0.315
		861/1	0.045	0.045
	योग		0.448	0.448
301	रामचन्द्र पिता गेंदा जाति अनु. जाति पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	862/1	0.100	0.100
	योग		0.100	0.100
302	प्रभू पिता मांग्या रामचंद्र राजूबाई प्रेमबाई पिता गेंदा जाति अनु. जाति पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	862/3	0.078	0.078
		869	0.202	0.202
		760/4/3	0.104	0.104
		981/1/2	1.454	0.170
		867	0.101	0.101
योग		1.939	0.655	
303	सिद्ध अनार गोकूल बापू बंशी पिता पन्ना जाति अनु. जाति पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	865/2/3	0.060	0.060
	योग		0.060	0.060
304	बालू पिता पीरू जाति अनु. जाति पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	871/1/4/2	0.032	0.032
		760/5/2	0.077	0.077
	योग		0.109	0.109
305	जगदीश पिता रामप्रसाद जाति कुल्मी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	879	0.228	0.220
	योग		0.228	0.220
	भंवरलाल पिता गोवर्धनसिंह जाति राजपूत	884/9	0.183	0.183

306	पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	885	0.215	0.200
		886	0.190	0.190
		925/1/2	0.974	0.040
		925/1/3	0.328	0.028
	योग		1.890	0.641
307	भैरूलाल पिता जगन्नाथ जाति कलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	929/1	0.423	0.120
	योग		0.423	0.120
308	सुगनबाई बेवा देवीलाल हेमराज बालीबाई पिता देवीलाल ना बा सर माता सुग बाई बेवा देवीलाल जाति कलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	929/2	0.424	0.120
	योग		0.424	0.120
309	कमलाबाई पति पूनमचंद जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	972	1.226	0.220
	योग		1.226	0.220
310	सिद्धु पिता पन्ना जाति अनु. जाति पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	980/3/1	0.043	0.030
		760/3/1	0.031	0.031
	योग		0.074	0.061
311	बद्रीलाल पिता रूगनाथ जाति अनु. जाति पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	760/4/2/1	0.025	0.025
	योग		0.025	0.025
312	मदनलाल पिता रूगनाथ जाति अनु. जाति पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	760/4/2/2	0.075	0.075
	योग		0.075	0.075
313	धूला पिता नान्या जाति अनु. जाति पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	760/5/1	0.077	0.077
	योग		0.077	0.077
314	राधाबाई पति पीरूलाल जाति अनु. जाति पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	981/1/1	0.152	0.052
	योग		0.152	0.052
315	अमरा पिता आदि जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	674	0.278	0.278
	योग		0.278	0.278
316	नारायणीबाई पति जगदीश जाति कुल्मी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	710/1/1	0.071	0.005
	योग		0.071	0.005

317	सत्यनारायण पिता जगदीश जाति कुल्मी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	880	0.240	0.220
		877/1/1	0.017	0.017
		727/3	0.215	0.215
		854/1	0.270	0.190
	योग		0.742	0.642
318	मनीश पिता राधेश्याम जाति कुल्मी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	876/1	0.051	0.051
		727/1/1	0.107	0.107
		877/1/3/1	0.009	0.009
		853/2/1	0.076	0.076
		854/3/1	0.135	0.095
		878/1	0.012	0.012
		881/2/1	0.060	0.060
	योग		0.450	0.410
319	ललित पिता मांगीलाल जाति कुल्मी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	875	0.202	0.202
		727/2	0.215	0.215
		853/1	0.152	0.152
		854/2	0.270	0.190
		881/1	0.120	0.120
		877/1/2	0.017	0.017
	योग		0.976	0.896
320	मनोज पिता राधेश्याम जाति कुल्मी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	727/1/2	0.108	0.108
		853/2/2	0.076	0.076
		854/3/2	0.135	0.095
		876/2	0.051	0.051
		877/1/3/2	0.008	0.008
		878/2	0.013	0.013
		881/2/2	0.060	0.060
	योग		0.451	0.411
321	गोपाल पिता बापूलाल जाति लोहार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	277/2/1	0.149	0.149
		277/2/2	0.148	0.148
	योग		0.297	0.297
योग			382.697	318.836

नोट :- भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू - अर्जन अधिकारी सारंगपुर कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र.13377-अ-82-2016-2017

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं.30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में पीपल्या सिंचाई परियोजना के बांध, वेस्टवीयर एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित भूमि तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ के ग्राम पीपल्या के लिए डूब में प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

—: अनुसूची :-

पीपल्या सिंचाई परियोजना के बांध, वेस्टवीयर एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित भूमि :- ग्राम पीपल्या

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल भूमि
1	2	3	4	5	6	7
1	किशना, मानसिंह पिता गोदड़ जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी	16 23 26	0.949 1.176 0.860	0.000 0.000 0.700	0.416 0.942 0.000	0.416 0.942 0.700
	योग	3	2.985	0.700	1.358	2.058
2	गुलाब पिता लाला जाति गुर्जर नि.ग्राम भू-स्वामी	20	0.342	0.000	0.312	0.312
	योग	1	0.342	0.000	0.312	0.312
3	नन्दू विधवा धन्ना, धापू रोड़ी, शांति पुत्री धन्ना, रामा, चंदा पिता गोपीलाल जाति अनुसूचित जाति नि.ग्राम भू-स्वामी	27	1.075	0.000	0.430	0.430
	योग	1	1.075	0.000	0.430	0.430
4	नाथू पिता शंकर जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी	210/6	1.644	0.000	0.725	0.725
	योग	1	1.644	0.000	0.725	0.725
5	रमकू पुत्री भेरू जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी	210/7	4.553	0.000	2.080	2.080
	योग	1	4.553	0.000	2.080	2.080
	कुलयोग :-	7	10.599	0.700	4.905	5.605

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 13378-प्र. क्र. -अ-82-2016-2017

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं.30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में पिपल्याकुमार तालाब सिंचाई परियोजना तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ की ग्राम बीजपड़ी, चमारी एवं लसुडली के लिए डूब में प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

-: अनुसूची :-

पिपल्याकुमार तालाब के डूब क्षेत्र में प्रभावित का भू-अर्जन प्रस्ताव भूमि ग्राम बीजपड़ी

स.क्र.	भू-स्वामित्वधारी का नाम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	अर्जन हेतु प्रभावित भूमि का रकबा
1	2	3	4	5
1	मोहनलाल, रामलाल, मदन पिता मांगीलाल, जाति दांगी निवासी लसुडली भूमि स्वामी	33/2	0.820	0.164
	योग:-	1	0.820	0.164
2	शिवलाल पिता भंवरिया जाति मोग्या निवासी ग्राम भूमि स्वाम	33/3 113 160/2/2	0.127 0.275 0.127	0.038 0.165 0.127
	योग:-	3	0.529	0.330
3	मदनलाल पिता मांगीलाल जाति दांगी निवासी ग्राम लसुडली भूमि स्वामी	34	0.951	0.190
	योग:-	1	0.951	0.190
4	प्रेमसिंह पिता गोस्वधनसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भूमि स्वामी	67 80	0.214 0.113	0.149 0.113
	योग:-	2	0.327	0.262
5	रामसिंह पिता चुन्नीलाल जाति मोग्या निवासी ग्राम भूमि स्वामी	68 70 83 84 87 116 169 189	0.255 0.530 0.178 0.202 0.441 0.125 0.166 0.506	0.255 0.212 0.178 0.202 0.441 0.125 0.166 0.506
	योग:-	8	2.403	2.085
6	नारान पिता गोपी जाति मोग्या नि.ग्राम भूमि स्वामी	69/1 73/2 81/4 161/5	0.038 0.095 0.047 0.047	0.038 0.095 0.047 0.047
	योग:-	4	0.227	0.227
7	अमरसिंह पिता गोपी जाति मोग्या नि. ग्राम भूमि स्वामी	69/2 81/3	0.037 0.021	0.037 0.021
	योग:-	2	0.058	0.058

स.क्र.	भू-स्वामित्वधारी का नाम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	अर्जन हेतु प्रभावित भूमि का रकबा
1	2	3	4	5
8	प्रभू पिता गोपी जाति मोग्या नि. ग्राम भूमि स्वामी	69/3 73/3 81/2 161/1	0.037 0.095 0.021 0.094	0.037 0.095 0.021 0.094
	योग:-	4	0.247	0.247
9	रमेश पिता गोपी जाति मोग्या नि. ग्राम भूमि स्वामी	69/4 73/4 81/1 161/3	0.038 0.095 0.021 0.047	0.038 0.095 0.021 0.047
	योग:-	4	0.201	0.201
10	केशर पिता रामा जाति मोग्या नि. ग्राम.आम भूमि स्वामी	72 81/5 103 74 75 161/6 202	0.392 0.083 0.012 0.138 0.190 0.235 0.052	0.392 0.083 0.012 0.138 0.190 0.235 0.052
	योग:-	7	1.102	1.102
11	गीताबाई पति हजारीलाल जाति दांगी नि. गाम भूमि स्वामी	76 77	0.267 0.405	0.267 0.405
	योग:-	2	0.672	0.672
12	मोतीलाल पिता चुन्नीलाल जाति दांगी नि. गाम लसुडली भूमि स्वामी	78 91/3	0.178 0.038	0.178 0.038
	योग:-	2	0.216	0.216
13	कंवरलाल पिता रामलाल, मोमनबाई पति कंवरलाल जाति मोग्या नि.ग्राम भू स्वामी	79/1	0.267	0.267
	योग:-	1	0.267	0.267
14	गोकुल पिता मानसिंह उमरावबाई पुत्री मानसिंह, भोनीसिंह, भेरूसिंह पिता कालू लीला, कंचनबाई, मांगीबाई पुत्री कालू जाति मोग्या नि.ग्राम भू स्वामी	82 104 122 163 190	0.267 0.012 0.227 0.506 0.506	0.267 0.012 0.227 0.506 0.506
	योग:-	5	1.518	1.518
15	बीरमसिंह पिता रामसिंह जाति मोग्या नि.ग्राम भूमि स्वामी	88 188/2	0.166 0.253	0.166 0.253
	योग:-	2	0.419	0.419
16	अमरा पिता नाथू जाति मोग्या नि.ग्राम भूमि स्वामी	90 121/1 123 186/1	0.227 0.063 0.154 0.215	0.227 0.063 0.154 0.215
	योग:-	4	0.659	0.659

स.क.	भू-स्वामित्वधारी का नाम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	अर्जन हेतु प्रभावित भूमि का रकबा
1	2	3	4	5
17	रामलाल पिता चुन्नीलाल जाति दांगी नि.ग्राम लसुडली भूमि स्वामी	91/1 120 194/1	0.038 0.215 0.253	0.038 0.215 0.253
	योग:-	3	0.506	0.506
18	सरदारबाई बेवा नारान जाति दांगी नि.ग्राम भूमि स्वामी	91/2	0.037	0.037
	योग:-	1	0.037	0.037
19	मांगीलाल, नारान पिता हरजी जाति मोग्या नि.ग्राम भूमि स्वामी	92 95 98 100 105 117/1	0.125 0.113 0.012 0.190 0.012 0.106	0.125 0.113 0.012 0.190 0.012 0.106
	योग:-	6	0.558	0.558
20	अयोध्याबाई बेवा गोरधन, प्रकाश, रामप्रसाद, पिता गोरधन, डालीबाई पुत्री गोरधन मोहनलाल पिता दोलाबाई बेवा दोला जाति मोग्या नि.ग्राम हा.मु.लेकोडा तह व जिला उज्जैन भूमि स्वामी	93 96 99 101 114 168 187	0.076 0.036 0.053 0.178 0.267 0.166 0.454	0.076 0.036 0.053 0.178 0.267 0.166 0.454
	योग:-	7	1.230	1.230
21	कालू पिता गोपी जाति मोग्या नि.ग्राम भूमि स्वामी	94 115	0.089 0.113	0.089 0.113
	योग:-	2	0.202	0.202
22	सोनिया, रेखा, मंशा ना.बा. पिता जगदीश, चन्दाबाई पति स्व. जगदीश अ.पा.कर्ता माता चन्दाबाई पति स्व. जगदीश जाति मोग्या नि.ग्राम भूमि स्वामी	97 173	0.024 0.214	0.024 0.214
	योग:-	2	0.238	0.238
23	कैलाश पिता नाथूलाल जाति मोग्या नि.ग्राम भूमि स्वामी	102 170	0.190 0.154	0.190 0.154
	योग:-	2	0.344	0.344
24	गंगाराम पिता भंवरलाल जाति मोग्या नि.ग्राम भूमि स्वामी	117/2 118 159 160/1 175 177 182/2 182/3	0.048 0.036 0.506 0.168 0.114 0.125 0.127 0.127	0.048 0.036 0.506 0.168 0.114 0.125 0.127 0.127
	योग:-	8	1.251	1.251

स.क.	भू-स्वामित्वधारी का नाम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	अर्जन हेतु प्रभावित भूमि का रकबा
1	2	3	4	5
25	रामलाल, नारान, मोतीलाल पिता चुन्नीलाल जाति दांगी मांगीलाल, नारान पिता हरजी जाति मोग्या नि.ग्राम भूमि स्वामी	119	0.052	0.052
	योग:-	1	0.052	0.052
26	इन्दरसिंह पिता गोपी जाति मोग्या नि.ग्राम भूमि स्वामी	121/2 156/1	0.062 0.184	0.062 0.184
	योग:-	2	0.246	0.246
27	कालू पिता केशर जाति मोग्या नि.ग्राम भूमि स्वामी	124	0.256	0.256
	योग:-	1	0.256	0.256
28	रामसिंह पिता देवसिंह जाति मोग्या नि.ग्राम भूमि स्वामी	125 142/2	0.150 0.278	0.135 0.278
	योग:-	2	0.428	0.413
29	अमरसिंह पिता रतनलाल जाति दांगी नि.ग्राम लसुडली भूमि स्वामी	131	0.214	0.011
	योग:-	1	0.214	0.011
30	धीसालाल पिता गिरधारी, बन्नीलाल, पिता मोतीलाल जाति दांगी नि.ग्राम लसुडली भूमि स्वामी	135 136/1	0.480 0.020	0.288 0.020
	योग:-	2	0.500	0.308
31	रामसिंह पिता देवीसिंह जाति साँध्या नि.ग्राम भूमि स्वामी	136/2	0.486	0.486
	योग:-	1	0.486	0.486
32	गौरा बाई पुत्री भंवरिया जाति मोग्या नि.ग्राम भू स्वामि	137 138/2 172 174 181/2 192	0.012 0.872 0.024 0.125 0.172 0.518	0.012 0.872 0.024 0.125 0.172 0.518
	योग:-	6	1.723	1.723
33	कन्हैयालाल पिता देवीलाल जाति दांगी नि.ग्राम लसुडली भूमि स्वामी	138/1/1 138/1/2	0.366 0.140	0.366 0.140
	योग:-	2	0.506	0.506
34	फूलबाई पत्नि रामचरण जाति मोग्या नि.ग्राम भूमि स्वामी	138/1/3	0.253	0.253
	योग:-	1	0.253	0.253
35	हेमराज पिता श्रीलाल जाति मोग्या नि.ग्राम भूमि स्वामी	138/1/4	0.113	0.113
	योग:-	1	0.113	0.113
36	देवीलाल पिता मदन जाति दांगी नि.ग्राम लसूलडी भूमि स्वामी	139/1 140/1 143/1 144/1 145/2/3	0.247 0.229 0.211 0.173 0.051	0.247 0.229 0.211 0.173 0.051
	योग:-	5	0.911	0.911

स.क.	भू-स्वामित्वधारी का नाम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	अर्जन हेतु प्रभावित भूमि का रकबा
1	2	3	4	5
37	प्रभूलाल पिता मदन जाति दांगी नि.ग्राम भूमि स्वामी	139/2 140/2 143/3 144/3 145/2/2	0.247 0.229 0.210 0.173 0.051	0.247 0.229 0.210 0.173 0.051
	योग:-	5	0.910	0.910
38	मदन पिता देवसिंह जाति मोग्या नि. ग्राम भूमि स्वामी	142/1 160/3	0.277 0.085	0.277 0.085
	योग:-	2	0.362	0.362
39	कनीराम पिता देवसिंह जाति मोग्या नि. ग्राम भूमि स्वामी	142/3	0.278	0.278
	योग:-	1	0.278	0.278
40	माधूलाल पिता मदनलाल जाति दांगी नि.ग्राम लसूडली भूमि स्वामी	143/2 146/2/1 144/2 145/2/1	0.211 0.186 0.172 0.052	0.211 0.186 0.172 0.052
	योग:-	4	0.621	0.621
41	नाथूलाल पिता नारान जाति दांगी नि.ग्राम लसूडली भूमि स्वामी	145/1/1 146/1 207/157	0.050 0.696 0.053	0.050 0.557 0.053
	योग:-	3	0.799	0.660
42	अमरसिंह पिता नारान जाति दांगी नि.ग्राम लसूडली भूमि स्वामी	145/1/2	0.052	0.052
	योग:-	1	0.052	0.052
43	कालू पिता नारान जाति दांगी नि.ग्राम लसूडली भूमि स्वामी	145/1/3	0.052	0.052
	योग:-	1	0.052	0.052
44	मोतीलाल पिता रामबक्ष जाति दांगी नि. ग्राम लसूडली भूमि स्वामी	148/1/1 148/1/3 148/1/5 148/2 148/3	0.330 0.174 0.175 0.497 0.497	0.099 0.052 0.052 0.149 0.149
	योग:-	5	1.673	0.501
45	शिवसिंह पिता गोरीलाल जाति दांगी नि. ग्राम लसूडली भूमि स्वामी	148/1/4 148/1/2	0.158 0.157	0.047 0.157
	योग:-	2	0.315	0.204
46	बद्रीलाल, खुशाल पिता गोर्धन, अनोखबाई बैवा गोर्धन जाति दांगी नि.ग्राम लसूडली भूमि स्वामी	149/1	0.879	0.791
	योग:-	1	0.879	0.791
47	नन्दलाल, गोकुल, बदरी पिता रामलाल जाति दांगी नि.ग्राम लसूडली भूमि स्वामी	149/2	0.878	0.878
	योग:-	1	0.878	0.878

स.क.	भू-स्वामित्वधारी का नाम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	अर्जन हेतु प्रभावित भूमि का रकबा
1	2	3	4	5
48	सेतानबाई बेवा शिवसिंह, महेश पिता शिवसिंह जाति दांगी नि.ग्राम लसुडली भूमि स्वामी	151 152 154 184	0.150 0.267 0.178 0.393	0.150 0.267 0.178 0.393
	योग:-	4	0.988	0.988
49	कनीराम, मांगीलाल, प्रहलाद पिता किशन जाति मोग्या नि.ग्राम भूमिस्वामी	155	0.214	0.214
	योग:-	1	0.214	0.214
50	भेरुसिंह पिता भंवरिया जाति मोग्या नि. ग्राम भूमि स्वामी	156/2	0.184	0.184
	योग:-	1	0.184	0.184
51	कमलसिंह पिता नारान जाति मोग्या नि. ग्राम भूमि स्वामी	157/1 167/2	0.164 0.243	0.164 0.243
	योग:-	2	0.407	0.407
52	देवसिंह पिता मेहताब जाति सौंधिया नि.ग्राम हरियाली भूमि स्वामी	157/2	0.253	0.253
	योग:-	1	0.253	0.253
53	मु.मिश्रीबाई, लीलाबाई, वि.लक्ष्मीनारायण, कालू, गोस्धन, लाडकुंवरबाई, शारदी पुत्री लक्ष्मीनारायण अ.पा.कर्ता मारा स्वयं लीलाबाई वि.लक्ष्मीनारायण, कृष्णा, प्रेम पुत्री लक्ष्मीनारायण अ.पा.कर्ता.माता मिश्रीबाई वि. लक्ष्मीनारायण जाति मोग्या नि.ग्राम भूमि स्वामी	158/1 195	0.268 0.518	0.268 0.518
	योग:-	2	0.786	0.786
54	रामेश्वर पिता गंगाराम अ.पा.क.गंगाराम पिता भंवरलाल जाति मोग्या नि.ग्राम भूमि स्वामी	158/2	0.250	0.250
	योग:-	1	0.250	0.250
55	मांगीलाल पिता भंवरिया जाति मोग्या नि.ग्राम भूमि स्वामी	160/2/1	0.126	0.126
	योग:-	1	0.126	0.126
56	नारान, अमरसिंह प्रभू रमेश पिता गोपी प्रेमीबाई प्रेमबाई उमरावबाई पुत्री गोपी जाति मोग्या नि. ग्राम भूमिस्वामी	161/4	0.047	0.047
	योग:-	1	0.047	0.047
57	विजयसिंह पिता बापू जाति सौंध्या नि.ग्राम भूमि स्वामी	162/1	0.164	0.164
	योग:-	1	0.164	0.164
58	शांतिबाई पति मांगीलाल जाति मोग्या नि.ग्राम भूमि स्वामी	162/2	0.253	0.253
	योग:-	1	0.253	0.253

स.क्र.	भू-स्वामित्वधारी का नाम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	अर्जन हेतु प्रभावित भूमि का रकबा
1	2	3	4	5
59	कैलाश पिता नाथू जाति मोग्या नि.ग्राम भूमि स्वामी	164	0.518	0.518
	योग:-	1	0.518	0.518
60	रामचरण पिता अमरसिंह जाति मोग्या नि.ग्राम भूमि स्वामी	165 166	0.518 0.518	0.518 0.518
	योग:-	2	1.036	1.036
61	सुगनबाई पति मदनलाल जाति मोग्या नि. ग्राम भूमि स्वामी	167/1	0.631	0.631
	योग:-	1	0.631	0.631
62	श्रीलाल पिता भंवरलाल, जाति मोग्या नि.ग्राम भू स्वामि	171 180 181/1	0.138 0.595 0.172	0.138 0.595 0.172
	योग:-	3	0.905	0.905
63	शिव पिता गंगाधर जाति दांगी निवासी ग्राम लसुडली भूमि स्वामी	176 183	0.113 0.481	0.113 0.481
	योग:-	2	0.594	0.594
64	विक्रमसिंह पिता मानसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम लसुडली भूमि स्वामी	178 185	0.113 0.381	0.113 0.381
	योग:-	2	0.494	0.494
65	राजूबाई पिता गोपी जाति मोग्या नि. ग्राम भूमि स्वामी	186/2	0.214	0.214
	योग:-	1	0.214	0.214
66	शिवचरण पिता देवीलाल जाति दांगी नि.ग्राम लसुडली भूमि स्वामी	188/1	0.646	0.646
	योग:-	1	0.646	0.646
67	प्रेमसिंह पिता गोरधनसिंह, पेफकुवर पति स्व. गोरधनसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम लसुडली भूमि स्वामी	191 193	0.543 0.518	0.543 0.518
	योग:-	2	1.061	1.061
68	गोकुल पिता मदनसिंह जाति मोग्या नि.ग्राम भू स्वामी	194/2	0.277	0.277
	योग:-	1	0.277	0.277
69	कनीराम, मांगीलाल, कैलाशनारानबाई, उमरावबाई पिता मोतीलाल जाति मोग्या नि. ग्राम भूमि स्वामी	196 197 199	0.255 0.695 0.150	0.255 0.695 0.150
	योग:-	3	1.100	1.100
70	संपतबाई पिता अमरसिंह जाति मोग्या नि. ग्राम भूमि स्वामी	200	0.391	0.391
	योग:-	1	0.391	0.391
	ग्राम बीजपड़ी का कुलयोग :-	170	39.028	35.109

स.क.	भू-स्वामित्वधारी का नाम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	अर्जन हेतु प्रभावित भूमि का रकबा
1	2	3	4	5
पिपल्याकुमार तालाब के डूब क्षेत्र में प्रभावित का भू-अर्जन प्रस्ताव भूमि ग्राम चमारी				
1	केशरसिंह पिता दुलेसिंह जाति राजपूत नि. गाम भूमि स्वामी	177/2 177/4	0.301 0.302	0.301 0.302
	योग:-	2	0.603	0.603
2	तरवरसिंह, लक्ष्मणसिंह, कल्याणसिंह, अभयसिंह पिता गुलाबसिंह मु. दयालकुंवर बेवा गुलाबसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भू स्वामी	177/3 177/6	0.301 0.301	0.301 0.301
	योग:-	2	0.602	0.602
3	भंवरकुंवर बेवा देवीसिंह उर्फ प्रेमसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	177/5 336/1	0.302 0.225	0.302 0.025
	योग:-	2	0.527	0.327
4	गंगासिंह पिता तेजसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	178 222 226 251	1.999 0.089 0.125 0.053	1.999 0.062 0.125 0.005
	योग:-	4	2.266	2.191
5	अमृतसिंह, शिवराजसिंह, पि. मानसिंह, उदेसिंह, अर्जुनसिंह, पि. चैनसिंह, केशरसिंह, लालसिंह, सोनाथसिंह पिता नारायणसिंह मु. रसातकुंवरबाई बेवा भूमि स्वामी नारायणसिंह हि. 2/3 दुलेसिंह बालूसिंह, अर्जुनसिंह, गोपालसिंह, गंगासिंह, पिता किसनसिंह भूमि स्वामी सैतानबाई बेवा किसनसिंह, अमरसिंह पिता हनुमंतसिंह मु. रूपकुंवरबाई बेवा हनुमंतसिंह, शंकरसिंह पिता भूमि स्वामी दलपतसिंह, फलकुंवर बेवा प्रभूनाथसिंह हि. 2 पै सोभागसिंह गजरासिंह पि. भगवतसिंह पि. भगवतसिंह रघुवीरसिंह, चन्दरसिंह आ. झुझारसिंह भूमि स्वामी हि. 1/6 विक्रमसिंह पि. फतेसिंह, हरिसिंह आ. बनेसिंह, शंभूसिंह आ. भोमसिंह, मांगीलाल, सुल्तानसिंह आ. रामनाथसिंह भूमि स्वामी शंकरसिंह सुबानसिंह पि. मोडसिंह संपतकुंवर, प्रेमकुंवर, पुत्री मोडसिंह धनसिंह बृजपालसिंह पि. पदमसिंह, धापूकुंवर बेवा भीमसिंह पिकी नावा पुत्री भीमसिंह हि. 16 पै. जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	179 180 181 201 231	2.566 1.505 1.085 0.101 0.518	2.566 1.505 1.085 0.101 0.518
	योग:-	5	5.775	5.775
6	उम्मेदसिंह पिता मेहताबसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	182/1	0.253	0.253
	योग:-	1	0.253	0.253
7	विक्रमसिंह पिता मेहताबसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	182/2/1	0.645	0.645
	योग:-	1	0.645	0.645
8	हिम्मतसिंह पिता मेहताबसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	182/2/2	0.644	0.644
	योग:-	1	0.644	0.644

स.क्र.	भू-स्वामित्वधारी का नाम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	अर्जन हेतु प्रभावित भूमि का रकबा
1	2	3	4	5
9	शिवसिंह, उम्मेदसिंह, मनोहरसिंह पिता मेहताबसिंह कृष्णपासिंह पिता गोकुलसिंह दीपकुंवरबाई बेवा गोकुलसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भूमि स्वामी	183	1.178	0.825
	योग:-	1	1.178	0.825
10	उमरावसिंह पिता केसरसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	202	0.190	0.006
	योग:-	1	0.190	0.006
11	अमृतसिंह पिता मानसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	203 233 234	0.190 0.214 0.190	0.006 0.214 0.190
	योग:-	3	0.594	0.410
12	अर्जुनसिंह पिता चैनसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	204 212/1 223 328/5	0.049 0.036 0.142 0.547	0.049 0.036 0.142 0.047
	योग:-	4	0.774	0.274
13	दीपसिंह पिता उदेसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भूमि स्वामी	205 212/2 328/2	0.053 0.036 0.548	0.053 0.036 0.274
	योग:-	3	0.637	0.363
14	धनसिंह पिता पदमसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	206	0.012	0.012
	योग:-	1	0.012	0.012
15	अमरसिंह आ.हनुमंतसिंह, फूलकुंवरबाई बेवा प्रभूनाथसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भूमि स्वामी	207/1	0.026	0.023
	योग:-	1	0.026	0.023
16	गंगासिंह पिता किसनसिंह मु.सैतानकुंवरबाई पति किसनसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	207/2	0.027	0.024
	योग:-	1	0.027	0.024
17	शंकरसिंह आ.दलपतसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	208 327/2	0.036 0.464	0.036 0.140
	योग:-	2	0.500	0.176
18	सोनाथसिंह पिता नारायणसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	210 319/1 328/1	0.214 0.216 0.128	0.214 0.108 0.064
	योग:-	3	0.558	0.386

स.क्र.	भू-स्वामित्वधारी का नाम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	अर्जन हेतु प्रभावित भूमि का रकबा
1	2	3	4	5
19	अमृतसिंह शिवराजसिंह पिता मानसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	211 237 330	0.089 0.203 3.047	0.089 0.203 0.609
	योग:-	3	3.339	0.901
20	धनसिंह ब्रजराजसिंह पिता पदमसिंह, पिकीबाई ना.बा. पुत्री भीमसिंह अ.पा. माता धापूकुवंरबाई बेवा भीमसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	213	0.036	0.036
	योग:-	1	0.036	0.036
21	मोतीसिंह पिता चांदसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	221 225	0.024 0.101	0.024 0.050
	योग:-	2	0.125	0.074
22	गोकुलसिंह पिता मोतीसिंह जाति राजपूत नि. गाम भूमि स्वामी	224	0.101	0.101
	योग:-	1	0.101	0.101
23	शिवसिंह पिता भंवरसिंह जाति राजपूत नि. गाम भूमि स्वामी	227/1	0.069	0.069
	योग:-	1	0.069	0.069
24	जगबहादूरसिंह, रघुवीरसिंह पिता शंकरसिंह जाति राजपूत नि.गाम भूमि स्वामी	227/2	0.069	0.069
	योग:-	1	0.069	0.069
25	शिवराजसिंह पिता मानसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	228 259	0.858 0.065	0.858 0.032
	योग:-	2	0.923	0.890
26	मेहताबसिंह, केसरसिंह, देवीसिंह, पिता दुलेसिंह हि.1/2 रघुवीरसिंह आ. झुझारसिंह हि. 1/2 जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	230	1.454	1.454
	योग:-	1	1.454	1.454
27	जगदीश, रामेश्वर पिता अनारसिंह मु. न्यालबाई बेवा अनारसिंह जाति सौध्या नि.गाम भूमि स्वामी	235/1/1 236/4	0.012 0.026	0.012 0.026
	योग:-	2	0.038	0.038
28	बिजेसिंह पिता मेहताब जाति सौध्या नि.गाम भूमि स्वामी	235/1/2	0.037	0.037
	योग:-	1	0.037	0.037
29	मांगीलाल, सुल्तानसिंह आ.रामनाथसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	235/2 238/1 239/1	0.076 0.016 0.041	0.076 0.016 0.004
	योग:-	3	0.133	0.096

स.क्र.	भू-स्वामित्वधारी का नाम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	अर्जन हेतु प्रमावित भूमि का रकबा
1	2	3	4	5
30	फतेसिंह पिता उदा जाति सौंधिया नि. ग्राम भूमि स्वामी	236/1	0.025	0.025
	योग:-	1	0.025	0.025
31	घीसालाल, तरवरसिंह पिता हिन्दूसिंह जाति सौंधिया नि. भूमि स्वामी	236/2	0.025	0.025
	योग:-	1	0.025	0.025
32	कालूसिंह पिता उदा जाति सौंधिया नि. भूमि स्वामी	236/3	0.025	0.025
	योग:-	1	0.025	0.025
33	हरिसिंह पिता बनेसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भूमि स्वामी	238/2/1 239/2/1	0.016 0.042	0.016 0.004
	योग:-	2	0.058	0.020
34	विक्रमसिंह पिता फतेसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	238/2/2 239/2/2	0.017 0.041	0.017 0.004
	योग:-	2	0.058	0.021
35	मांगूसिंह पिता शम्भूसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	238/3	0.016	0.016
	योग:-	1	0.016	0.016
36	भंवरलाल, देवीसिंह पिता रूपसिंह मु. उच्छवकुवर बेवा रूपसिंह मानकुंवरबाई पुत्री रूपसिंह तरवरलाल पिता नन्दलाल मु. बालकुंवर बेवा नन्दलाल जाति राजपूत नि. भूमि स्वामी	252 261	0.101 0.113	0.038 0.011
	योग:-	2	0.214	0.049
37	बजरंगसिंह कल्याणसिंह पिता गंगासिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भूमि स्वामी	320	0.483	0.383
	योग:-	1	0.483	0.383
38	गंगासिंह पिता किशनसिंह मु. उमराकुवर मु. शैतानकुवर बेवा किशनसिंह जाति राजपूत भूमि स्वामी	327/1	0.483	0.290
	योग:-	1	0.483	0.290
39	महेन्द्रपालसिंह पिता दीपसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भूमि स्वामी,	328/3	0.125	0.062
	योग:-	1	0.125	0.062

स.क.	भू-स्वामित्वधारी का नाम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	अर्जन हेतु प्रभावित भूमि का रकबा
1	2	3	4	5
40	भगवानसिंह पिता अर्जुनसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भूमि स्वामी,	328/4	0.127	0.070
	योग:-	1	0.127	0.070
	ग्राम चमारी का कुलयोग :-	70	23.774	18.290

पिपल्याकुमार तालाब के डूब क्षेत्र में प्रभावित का भू-अर्जन प्रस्ताव भूमि ग्राम लसुडली

1	फर्तेंसिंह पिता किशन जाति दांगी ग्राम भूमि स्वामी	426/1	0.355	0.035
	योग:-	1	0.355	0.035
2	कालू पिता किशन जाति दांगी ग्राम भूमि स्वामी	426/2	0.354	0.035
	योग:-	1	0.354	0.035
3	मोहनलाल रामलाल मदन पिता मांगीलाल दांगी ग्राम भूमि स्वामी	609 611 612	0.785 0.125 0.166	0.706 0.125 0.166
	योग:-	3	1.076	0.997
4	गंगाबाई पति रोडा भवरीबाई सुमित्राबाई पिता रोडा नारान पिता जगन्नाथ, कंचन, सरदार पुत्री जगन्नाथ जाति दांगी ग्राम भूमि स्वामी	610	0.845	0.676
	योग:-	1	0.845	0.676
5	मोतीलाल, हीरालाल, बजेसिंह, चम्पालाल, हरिसिंह पिता रामबक्ष मु. मीराबाई बेवा रामबक्ष जड़ाबबाई, सम्पतबाई, पुत्री रामबक्ष, भागीरथ पिता मोहनलाल, केशरबाई, कमलाबाई पुत्री मोहनलाल, कंवरलाल, रामनारायण, शिवसिंह पिता गोरीलाल, धापूबाई बेवा गोरीलाल, अयाध्याबाई पुत्री गोरीलाल, घीसालाल, प्रहलाद पिता गिरधारी, कमलाबाई, कौसाल्याबाई पिता गिरधारी, गजराबाई बेवा गिरधारी दत्तक पानीबाई पिता रामा बापूलाल पिता भंवरलाल, धन्नालाल पिता सालगराम पुरीलाल प्रेमलाल पिता प्रभू, रूकमणीबाई बेवा प्रभू जाति दांगी ग्राम भूमि स्वामी	614	0.696	0.405
	योग:-	1	0.696	0.405
6	जगन्नाथ पिता लालू, राजलबाई पति जगन्नाथ जाति चमार नि.ग्राम भूमि स्वामी	618/2	0.582	0.029
	योग:-	1	0.582	0.029

स.क्र.	भू-स्वामित्वधारी का नाम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	अर्जन हेतु प्रभावित भूमि का रकबा
1	2	3	4	5
7	भंवरिया पिता नाथू जाति मोग्या नि. ग्राम भूमि स्वामी नि.बीजपट्टी	619/1	0.417	0.042
	योग:-	1	0.417	0.042
	ग्राम लसुइली का कुलयोग :-	9	4.325	2.219
	महायोग:-	249	67.127	55.618

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) खिलचीपुर तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 13379-प्र. क्र. अ-82-2015-2016

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र.30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में मालीपुरा तालाब सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ के ग्राम मालीपुरा, विरेन्द्रपुरा, सरेड़ी के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र.30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

—: अनुसूची :-

मालीपुरा सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव ग्राम मालीपुरा

तहसील :- राजगढ़

जिला :- राजगढ़

स.क्र.	भू-स्वामित्वधारी का नाम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	सिंचित	असिंचित	कुल भूमि
1	2	3	4	5	6	7
1	फुलसिंह पिता जालम जाति सौधिया नि. ग्राम भू-स्वामी	3/4	2.529	0.710	0.000	0.710
	योग:-	1	2.529	0.710	0.000	0.710
2	देव जी पिता बाग जी जाति सौधिया नि. ग्राम भू-स्वामी	3/5/1	3.179	0.260	0.000	0.260
		3/5/2	0.614	0.300	0.000	0.300
	योग:-	2	3.793	0.560	0.000	0.560
3	भगवान सिंह पिता गंगाराम जाति सौधिया नि. ग्राम भू-स्वामी	3/6/1/1	1.245	0.725	0.000	0.725
	मांगीलाल पिता भंवरजी जाति सौधिया नि. ग्राम भू-स्वामी	3/6/1/2	2.053	1.230	0.000	1.230
	योग:-	2	3.298	1.96	0.00	1.955
4	रामसिंह पिता जालम जाति सौधिया नि. ग्राम भू-स्वामी	3/7	2.529	0.126	0.000	0.126
	योग:-	1	2.529	0.126	0.000	0.126
5	रुगनाथ, बनेसिंह, कालू, प्रेमसिंह पिता किशनलाल, भंवरि बाई धापूबाई पुत्री किशन केमरसिंह, शेतानबाई सम्पतबाई पुत्री बाबूलाल केशरबाई वेवा बापूलाल जाति सौधिया नि. ग्राम भू-स्वामी	22/5	3.035	0.000	0.051	0.051
	योग:-	1	3.035	0.000	0.051	0.051
6	बनेसिंह पिता छीतर जाति सौधिया नि. ग्राम भू-स्वामी	22/2	1.467	0.000	0.345	0.345
	योग:-	1	1.467	0.000	0.345	0.345

7	कुमेरसिंह, सम्पतबाई, शान्तीबाई पिता बापूलाल मु. केशरबाई बेवा बापूलाल जाति सौधिया नि. ग्राम भू- स्वामी	22/3	2.908	0.000	0.900	0.900
	योग:-	1	2.908	0.000	0.900	0.900
8	गेन्दीबाई पुत्री देवजी जाति सौधिया नि. ग्राम भू- स्वामी	22/4	3.724	1.120	0.160	1.280
	योग:-	1	3.724	1.120	0.160	1.280
	महायोग :-	10	23.283	4.471	1.456	5.927 ✓
(1) मालीपुरा तलाब के निर्माण में बांध, वेस्टवियर एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव ग्राम विरेन्द्रपुरा						
1	भवरलाल पिता हीरालाल जाति सौधिया नि. ग्राम फूलखेड़ी भू- स्वामी	216/4	1.341	0.000	0.025	0.025
	योग:-	1	1.341	0.000	0.025	0.025
2	बनेसिंह पिता लक्ष्मण जाति सौधिया नि. ग्राम भू- स्वामी	217/1	2.023	0.000	1.770	1.770
	योग:-	1	2.023	0.000	1.770	1.770
3	कालू पिता रोड़ जी जाति सौधिया नि. ग्राम भू- स्वामी	217/2	2.023	0.000	0.758	0.758
	योग:-	1	2.023	0.000	0.758	0.758
4	पूरा, अनार, कंकूबाई, सरदार बाई पिता नाथू भूलीबाई बेवा नाथ नि. ग्राम फूलखेड़ी भू- स्वामी	217/4 218/11	1.341 0.253	0.000 0.063	0.304 0.000	0.304 0.063
	योग:-	2	1.594	0.063	0.304	0.367
5	अभयसिंह पिता लक्ष्मण, अभयसिंह पिता लक्ष्मण,	217/6/1 217/6/2	1.011 0.506	0.000 0.000	0.395 0.111	0.395 0.111
	योग:-	2	1.517	0.000	0.506	0.506
6	मांगीलाल पिता गंगाराम जाति गर्जर नि. ग्राम मोतीपुरा भूमि स्वामी	217/3/1 217/2 ने से	1.011 1.265	0.000 0.000	0.360 1.075	0.360 1.075
	योग:-	2	2.276	0.000	1.435	1.435
7	प्यारजी पिता लक्ष्मण जाति सौधिया नि. ग्राम भू- स्वामी	218/2	0.506	0.000	0.013	0.013
	योग:-	1	0.506	0.000	0.013	0.013
8	कनीराम पिता हीरा नि. ग्राम फूलखेड़ी भूमि स्वामी	219/2	1.983	0.000	0.025	0.025
	योग:-	1	1.983	0.000	0.025	0.025
	महायोग :-	11	13.263	0.063	4.836	4.899 ✓
(3) मालीपुरा तलाब के निर्माण में बांध, वेस्टवियर एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव ग्राम सरेंडी						
1	सूल्तान सिंह अशोक, सत्यनारायण, सुमेर पिता दौलजी कलाबाई बेवा दौलजी, लक्ष्मीनाराण हीरालाल पिता मांगीलाल गीताबाई, सम्पतबाई, कंचनबाई पुत्रिया मांगीलाल जाति सौधिया नि. ग्राम भू- स्वामी	29	0.063	0.000	0.000	0.000
	योग:-	1	0.063	0.000	0.000	0.000
2	सूल्तान पिता दौलजी कमलाबाई बेवा दौल जी जाति सौधिया नि. ग्राम भू- स्वामी	30/1/1	0.014	0.014	0.000	0.014
	योग:-	1	0.014	0.014	0.000	0.014

3	सत्यनारायण पिता दोल जी जाति सौधिया नि. ग्राम भू- स्वामी	30/1/2	0.014	0.014	0.000	0.014
	योग:-	1	0.014	0.014	0.000	0.014
4	अशोक पिता दोल जी जाति सौधिया नि. ग्राम भू- स्वामी	30/1/3	0.013	0.013	0.000	0.013
	योग:-	1	0.013	0.013	0.000	0.013
5	सुमेरसिंह पिता दोल जी जाति सौधिया नि. ग्राम भू- स्वामी	30/1/4	0.013	0.013	0.000	0.013
	योग:-	1	0.013	0.013	0.000	0.013
6	हीरालाल पिता मांगीलाल जाति सौधिया नि. ग्राम भू- स्वामी	30/2	0.055	0.055	0.000	0.055
	योग:-	3	0.055	0.055	0.000	0.055
7	लक्ष्मीनारायण पिता मांग्या जाति सौधिया नि. ग्राम भू- स्वामी	30/3	0.055	0.055	0.000	0.055
	योग:-	1	0.055	0.055	0.000	0.055
8	सूलतान पिता दोलजी कमलाबाई बेवा दोल जी जाति सौधिया नि. ग्राम भू-स्वामी	31/1/1	0.023	0.023	0.000	0.023
	योग:-	1	0.023	0.023	0.000	0.023
9	सत्यनारायण पिता दोल जी जाति सौधिया नि. ग्राम भू- स्वामी	31/1/2	0.023	0.023	0.000	0.023
	योग:-	1	0.023	0.023	0.000	0.023
10	अशोक पिता दोल जी जाति सौधिया नि. ग्राम भू- स्वामी	31/1/3	0.024	0.024	0.000	0.024
	योग:-	1	0.024	0.024	0.000	0.024
11	सुमेरसिंह पिता दोल जी जाति सौधिया नि. ग्राम भू- स्वामी	31/1/4	0.023	0.023	0.000	0.023
	योग:-	1	0.023	0.023	0.000	0.023
12	हीरालाल पिता मांगीलाल जाति सौधिया नि. ग्राम भू- स्वामी	31/2	0.094	0.094	0.000	0.094
	योग:-	1	0.094	0.094	0.000	0.094
13	लक्ष्मीनारायण पिता मांग्या जाति सौधिया नि. ग्राम भू- स्वामी	31/3	0.094	0.094	0.000	0.094
	योग:-	1	0.094	0.094	0.000	0.094
14	हीरालाल पिता मांगीलाल जाति सौधिया नि. ग्राम भू- स्वामी	32/2	0.109	0.000	0.009	0.009
	योग:-	1	0.109	0.000	0.009	0.009
15	लक्ष्मीनारायण पिता मांग्या जाति सौधिया नि. ग्राम भू- स्वामी	32/3	0.110	0.000	0.010	0.010
	योग:-	1	0.110	0.000	0.010	0.010
16	हीरालाल पिता मांगीलाल जाति सौधिया नि. ग्राम भू- स्वामी	37/2 36/2	0.603 1.479	0.350 0.000	0.000 0.125	0.350 0.125
	योग:-	1	2.082	0.350	0.125	0.475
17	लक्ष्मीनारायण पिता मांग्या जाति सौधिया नि. ग्राम भू- स्वामी	37/3 36/3	0.602 1.472	0.235 0.000	0.000 0.025	0.235 0.025
	योग:-	2	2.074	0.235	0.025	0.260

18	बीरमसिंह मांगीबाई पिता रामलाल गेन्दीबाई बेवा रामलाल हि.25 पेसा घीसा दव्या झब्बा रतन मोडसिंह पिता किशनलाल हि.25 पेसा बालु कालु प्रेमबाई शांतिबाई पिता रुगनाथ भूलीबाई बेवा कनीराम हि. 25 पेसा भरुसिंह पिता बदन जी हि.25 पेसा जाति सौधिया नि. ग्राम भू- स्वामी	39	1.846	0.000	0.126	0.126
	योग:-	1	1.846	0.000	0.126	0.126
19	लाल जी पिता देवीलाल जाति सौधिया नि. ग्रा. भू- स्वामी	40/1/1/1	0.948	0.000	0.380	0.380
	योग:-	1	0.948	0.000	0.380	0.380
20	फतेसिंह, मेहताबसिंह, प्रेमसिंह पिता रोड जी जाति सौधिया नि. ग्रा. भू- स्वामी	40/4/1	2.530	0.000	0.759	0.759
	योग:-	1	2.530	0.000	0.759	0.759
21	रामलाल पिता केशरसिंह जाति सौधिया नि. ग्रा. भू- स्वामी	40/4/2	1.264	0.000	0.272	0.272
	योग:-	1	1.264	0.000	0.272	0.272
22	देवसिंह पिता फतेसिंह जाति सौधिया नि. ग्राम भू- स्वामी	40/6/1/2	0.836	0.000	0.077	0.077
	योग:-	1	0.836	0.000	0.077	0.077
23	शेतानबाई पति देवसिंह जाति सौधिया नि. ग्राम भू -स्वामी	40/6/1/3	0.506	0.506	0.000	0.506
		42/2	0.949	0.549	0.400	0.949
	योग:-	2	1.455	1.055	0.400	1.455
24	भारतसिंह पिता नाथू जाति सौधिया नि. ग्राम भू -स्वामी	42/1/1	1.681	0.000	1.656	1.656
	योग:-	1	1.681	0.000	1.656	1.656
25	लक्ष्मीनारायण पिता घीसालाल जाति सौधिया नि. ग्राम भू- स्वामी	42/1/2	1.758	0.000	1.733	1.733
	योग:-	1	1.758	0.000	1.733	1.733
26	कुमेरसिंह पिता घीसालाल जाति सौधिया नि. ग्राम भू- स्वामी	42/1/3	1.758	0.000	1.733	1.733
	योग:-	1	1.758	0.000	1.733	1.733
27	मांगीलाल पिता बापूलाल जाति खाती नि. ग्राम भू- स्वामी	40/6/1/1	0.428	0.428	0.000	0.428
	योग:-	1	0.428	0.428	0.000	0.428
28	देवीसिंह पिता मांगीलाल सौधिया नि. ग्राम भू-स्वामी	44/3/2/1	0.591	0.000	0.250	0.250
	योग:-	1	0.591	0.000	0.250	0.250
29	गोरीलाल पिता मांगीलाल सौधिया नि. ग्राम भू-स्वामी	44/3/2/2	0.590	0.000	0.250	0.250
	योग:-	1	0.590	0.000	0.250	0.250
30	बनेसिंह पिता मांगीलाल सौधिया नि. ग्राम भू-स्वामी	44/3/2/3	0.590	0.000	0.250	0.250
	योग:-	1	0.590	0.000	0.250	0.250

31	मांगीलाल पिता झब्बा जी जाति सौधिया नि. ग्राम भू- स्वामी	44/4/1	0.633	0.500	0.133	0.633
	योग:-	1	0.633	0.500	0.133	0.633
32	बनेसिंह झब्बा जी जाति सौधिया नि. ग्राम भू- स्वामी	44/4/2	0.632	0.500	0.132	0.632
	योग:-	1	0.632	0.500	0.132	0.632
33	नारायणसिंह झब्बा जी जाति सौधिया नि. ग्राम भू- स्वामी	44/4/3	0.638	0.500	0.138	0.638
	योग:-	1	0.638	0.500	0.138	0.638
34	हरिसिंह पित्त झब्बा जी जाति सौधिया नि. ग्राम भू- स्वामी	44/4/4	0.641	0.500	0.141	0.641
	योग:-	1	0.641	0.500	0.141	0.641
35	भगवानसिंह झब्बा जी जाति सौधिया नि. ग्राम भू- स्वामी	44/4/5	0.625	0.500	0.125	0.625
	योग:-	1	0.625	0.500	0.125	0.625
36	राघेरयाम झब्बा जी जाति सौधिया नि. ग्राम भू- स्वामी	44/4/6	0.625	0.500	0.125	0.625
	योग:-	1	0.625	0.500	0.125	0.625
37	लक्ष्मण सिंह पिता प्रभुनाथ सिंह जाति राजपूत नि. राजगढ़ भू- स्वामी	44/3/1/1	1.666	1.000	0.000	1.000
	योग:-	1	1.666	1.000	0.000	1.000
38	कैलाश पिता गोरीलाल गायत्री बाई ना.बा. दुर्गेश ना.बा. पिता घीसालाल सर.पर.भँवरीबाई बेवा घीसालाल जाति सौधिया नि. ग्राम भू- स्वामी	44/3/1/2	0.357	0.000	0.357	0.357
	योग:-	1	0.357	0.000	0.357	0.357
39	नवनीत प्रसाद, मुकेश कान्ताबाई पिता शिवनारायण गीताबाई बेवा शिवनारायण जाति ब्राह्मण नि. ग्राम भू- स्वामी	44/5/1	0.948	0.500	0.000	0.500
	योग:-	1	0.948	0.500	0.000	0.500
40	दुर्गाप्रसाद पिता कँवरलाल जाति ब्राह्मण नि. ग्राम भू - स्वामी	44/5/2	0.948	0.000	0.063	0.063
	योग:-	1	0.948	0.000	0.063	0.063
41	कैलाश शर्मा पिता कँवरलाल जाति ब्राह्मण नि. ग्राम भू - स्वामी	44/5/3	0.949	0.000	0.063	0.063
	योग:-	1	0.949	0.000	0.063	0.063
42	यादवप्रसाद पिता कँवरलाल जाति ब्राह्मण नि. ग्राम भू - स्वामी	44/5/4	0.949	0.253	0.000	0.253
	योग:-	1	0.949	0.253	0.000	0.253
43	गुड्डीबाई पति यादवप्रसाद शर्मा जाति ब्राह्मण नि. ग्राम भू-स्वामी	44/2	1.265	0.700	0.565	1.265
	योग:-	1	1.265	0.700	0.565	1.265
44	धीरपसिंह पिता विजय सिंह जाति सौधिया नि. ग्राम भू- स्वामी	45/6/1	1.897	0.000	0.759	0.759
	योग:-	1	1.897	0.000	0.759	0.759

45	भँवरीबाई बेवा घीसालाल जाति सौंधिया नि. ग्राम -स्वामी	45/6/2	1.897	0.000	0.759	0.759
	योग:-	1	1.897	0.000	0.759	0.759
46	भावसिंह पिता कालूसिंह जाति सौंधिया नि. ग्राम भू- स्वामी	45/4/3/2	0.759	0.000	0.125	0.125
	योग:-	1	0.759	0.000	0.125	0.125
47	मांगीलाल पिता कालूसिंह जाति सौंधिया नि. ग्राम भू- स्वामी	45/4/3/3	0.759	0.000	0.125	0.125
	योग:-	1	0.759	0.000	0.125	0.125
48	संदीप सोनी पिता वैदप्रकाश सोनी जाति सूनार नि. राजगढ़	45/4/4/1	0.895	0.000	0.250	0.250
	योग:-	1	0.895	0.000	0.250	0.250
49	देवसिंह पिता हीरालाल जाति कुमार नि. ग्राम भू- स्वामी	45/4/2	1.581	0.000	0.250	0.250
	योग:-	1	1.581	0.000	0.250	0.250
50	कमलाबाई बेवा कँवरलाल अनीताबाई पति राजू जाति सौंधिया नि. ग्राम तलाईखेड़ा	47/4	5.059	0.000	0.500	0.500
	योग:-	1	5.059	0.000	0.500	0.500
51	प्यार जी पिता मोतीलाल जाति सौंधिया नि. ग्राम मालीपुरा भू-स्वामी	49/2	4.528	0.00	0.640	0.640
	योग:-	1	4.528	0.00	0.640	0.640
	महायोग :-	55	49.409	7.966	13.305	21.271
	1 ग्राम मालीपुरा, 2 विरेन्द्रपुरा, 3 सरैडी की भूमि का महायोग	76	85.955	12.500	19.597	32.097

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 13612

राजगढ़, दिनांक 5 मई 2017

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं.30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में रतनपुरिया तालाब सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम रतनपुरिया, पाटडीखुर्द, खारपरस, भवानीपुरा एवं लावाबे के लिए डूब में प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

रतनपुरिया तालाब परियोजना के बाँध एवं डूब प्रभावित भूमि :-ग्राम रतनपुरिया				
स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	प्रभावित भूमि कुल रकबा
1	2	3	4	7
1/	सरदार मेहताब हीराबईसुन्दरीबाई पिता भंवरलाल जाति गुजर निग्राम भूमि स्वामी	149 ✓ 142/1 ✓ 150 ✓	1.885 ✓ 3.550 ✓ 2.099 ✓	1.080 ✓ 0.300 ✓ 1.500 ✓
	योग	2 ✓	7.534 ✓	2.880 ✓
2/	हीरालाल पिता छीता जाति लोडा निवासी ग्राम प्रेमपुरा भूमि स्वामी	149/1 ✓	0.168 ✓	0.096 ✓
	योग	1 ✓	0.168 ✓	0.096 ✓
3/	जसा तूलसी पिता मोती जाति लोडा निवासी ग्राम भूमि स्वामी	151 ✓	0.734 ✓	0.734 ✓
	योग	1	0.734 ✓	0.734 ✓
4/	मांगीलाल दालू कंचन दरियाव पिता उम्मेदा घीसीबाई वेवा उम्मेदा जाति लोडा निवासी ग्राम प्रेमपुरा भूमि स्वामी	152 ✓	0.481 ✓	0.481 ✓
	योग	1 ✓	0.481 ✓	0.481 ✓
5/	हरिसिंह सोहलाल पिता नगा धापू भवरी ग्यारसी पिता चम्पा गेंदीबाई विधवा चम्पा जाति लोडा निवासी ग्राम भूमि स्वामी	153 ✓	0.405 ✓	0.405 ✓
	योग	1 ✓	0.405 ✓	0.405 ✓
6/	मदनलाल पिता बंशीलाल जाति गुर्जर नि.ग्राम भूमि स्वामी	154 ✓	0.670 ✓	0.670 ✓
	योग	1 ✓	0.670 ✓	0.670 ✓
7/	रतनलाल पिता गंगाराम जाति गुर्जर नि.ग्राम भूमि स्वामी	155/1 ✓ 155/2/2 ✓	0.278 ✓ 0.140 ✓	0.278 ✓ 0.140 ✓
	योग	2 ✓	0.418 ✓	0.418 ✓
8/	रतनलाल पिता गंगाराम जाति गुर्जर नि.ग्राम भूमि स्वामी	155/2/1 ✓	0.139 ✓	0.139 ✓
	योग	1 ✓	0.139 ✓	0.139 ✓

स.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	प्रभावित भूमि कुल रकबा
1	2	3	4	7
9	मांगीलाल पिता देवीराम जाति लोडा निवासी ग्राम भूमि स्वामी	156/1 ✓	0.323 ✓	0.323 ✓
	योग	1 ✓	0.323 ✓	0.323 ✓
10	घोसालाल मांगीलाल सुन्दरबाई नरबंदी बाई पिता देवीराम जाति लोडा निवासी ग्राम भूमि स्वामी	156/2 ✓	0.322 ✓	0.322 ✓
	योग	1 ✓	0.322 ✓	0.322 ✓
11	प्रभुलाल पिता कनौराम सूरजबाई पुत्री कनौराम जाति लोडा निवासी ग्राम भूमि स्वामी	157 ✓	0.455 ✓	0.455 ✓
	योग	1 ✓	0.455 ✓	0.455 ✓
12	करणसिंह, कालूराम, मोतीसिंह पिता मांगीलाल, गुलाबबाई बेवा मांगीलाल, उमेश, दिनेश पिता मानसिंह पिता नानूबाई पिता हरलाल जाति लोडा 430/1050 भाग भूमि स्वामी प्रभूलाल, मानीबाई पिता हरलाल जाति लोडा नि.ग्राम राजगढ़ 620/1050 भाग भूमि स्वामी	158 ✓	0.430 ✓	0.220 ✓
	योग	1	0.430 ✓	0.220 ✓
13	मानीबाई पिता भंवरलाल राधेलाल पारीबाई, नाथीबाई पिता उदा, गोपीलाल जाति लोडा नि.ग्राम भूमि स्वामी	160/1 ✓	0.551 ✓	0.551 ✓
	योग	1 ✓	0.551 ✓	0.551 ✓
14	देवचंदपिता गंगाराम जाति लोडा नि.ग्राम भूमि स्वामी	160/2 ✓	0.183 ✓	0.183 ✓
	योग	1	0.183 ✓	0.183 ✓
15	गिरधारी श्रीलाल डूगरसिंह पिता रत्ता जाति लोडा निवासी ग्राम भूमि स्वामी	162/1 ✓	0.185 ✓	0.185 ✓
	योग	1	0.185 ✓	0.185 ✓
16	धापू भवरी ग्यारसी पिता चपा जाति लोडा निवासी ग्राम भूमि स्वामी	162/1/1 ✓	0.185 ✓	0.185 ✓
	योग	1	0.185 ✓	0.185 ✓
17	केशरबाई बेवा ग्यारसीराम जाति लोडा निवासी ग्राम भवानीपुरा भूमि स्वामी	162/2 ✓	2.327 ✓	2.327 ✓
	योग	1	2.327 ✓	2.327 ✓
18	भवरीबाई धापूबाई ग्यारसीबाई पिता चम्पा गेदीबाई वि० चम्पा हरिसिंह सोहनलालपिता नगा मोत्यावाई वि. नगा जाति लोडा निवासी ग्राम भूमि स्वामी	162/3 ✓	0.885 ✓	0.225 ✓
	योग	1 ✓	0.885 ✓	0.225 ✓
19	काशीराम पिता हीरा जाति लोडा निवासी ग्राम प्रेमपुरा भूमि स्वामी	162/4 ✓	0.632 ✓	0.316 ✓
	योग	1	0.632 ✓	0.316 ✓
20	धुल्या पिता भागीरथ जाति लोडा निवासी ग्राम प्रेमपुरा भूमि स्वामी	162/5 ✓	2.023 ✓	1.810 ✓
	योग	1 ✓	2.023 ✓	1.810 ✓

स.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	प्रभावित भूमि कुल रकबा
1	2	3	4	7
21	ईसर पिता अमरा जाति लोडा निवासी ग्राम प्रेमपुरा भूमि स्वामी	130 ✓ 127/6 ✓	1.214 ✓ 0.329 ✓	0.607 ✓ 0.240 ✓
	योग	2 ✓	1.543 ✓	0.847 ✓
22	मांगीलाल, रामचंद्र पिता भंवरलाल जाति लोडा नि.ग्राम भूमि स्वामी	129/1 ✓	0.282 ✓	0.282 ✓
	योग	1	0.282 ✓	0.282 ✓
23	किशना पिता गेंदा जाति लोडा नि.ग्राम भूमि स्वामी	129/2 ✓	0.182 ✓	0.182 ✓
	योग	1 ✓	0.182 ✓	0.182 ✓
24	संमदर, धीरप, मांगीलाल, उदमसिंह, छोटिया, दरियावबाई, पिता बापूलाल जाति लोडा नि.ग्राम भूमि स्वामी	129/3 ✓	0.182 ✓	0.182 ✓
	योग	1 ✓	0.182 ✓	0.182 ✓
25	मदन पिता गोपीलाल जाति लोडा नि.ग्राम भूमि स्वामी	129/4 ✓	0.182 ✓	0.182 ✓
	योग	1 ✓	0.182 ✓	0.182 ✓
26	बशीलाल, प्रभूलाल, राधिबाई, गंगाबाई, धापूबाई पिता चंपा पिता कस्तूरीबाई बेवा चंपा जाति लोडा नि.ग्राम भूमि स्वामी	129/5 ✓	0.083 ✓	0.083 ✓
	योग	1 ✓	0.083 ✓	0.083 ✓
27	बादामबाई पिता रतनलाल जाति गुर्जर नि.ग्राम भूमि स्वामी	128/1 128/2	0.531 0.607	0.260 0.304
	योग	2 ✓	1.138 ✓	0.564 ✓
28	रामकिशन, रतनलाल, रायसिंह पिता गंगाराम जाति गुर्जर नि.ग्राम भूमि स्वामी	139 ✓ 127/178 ✓	0.873 ✓ 0.240 ✓	0.660 ✓ 0.240 ✓
	योग	2 ✓	1.113 ✓	0.900 ✓
29	बंशीलाल पिता कालू जाति गूजर नि. ग्राम भूमि स्वामी	142/2 ✓	1.265 ✓	0.780 ✓
	योग	1 ✓	1.265 ✓	0.780 ✓
30	केशरबाई पिता अमरसिंह जाति तंवर निवासी ग्राम भूमि स्वामी	127/3 ✓	0.170 ✓	0.120 ✓
	योग	1 ✓	0.170 ✓	0.120 ✓
	कुलयोग :-	35	25.190	17.047 ✓
रतनपुरिया तालाब परियोजना के बाँध एवं डूब प्रभावित भूमि :- ग्राम पाटड़ीखुर्द				
1	अनारसिंह पिता केशरसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भूमि स्वामी	162 ✓ 163 ✓ 174/1 ✓ 206/3/1 ✓	0.860 ✓ 0.379 ✓ 0.607 ✓ 0.174 ✓	0.860 ✓ 0.379 ✓ 0.546 ✓ 0.147 ✓
	योग	4 ✓	2.020 ✓	1.932 ✓
2	गणपतसिंह पिता धूलसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भूमि स्वामी	164/1 ✓ 184/2 ✓ 201/1 ✓	0.101 ✓ 0.084 ✓ 0.186 ✓	0.101 ✓ 0.084 ✓ 0.186 ✓
	योग	3	0.371 ✓	0.371 ✓

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	प्रभावित भूमि कुल रकबा
1	2	3	4	7
3	भारतसिंह पिता धूलसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भूमि स्वामी	164/2 ✓	0.101 ✓	0.101 ✓
	योग	1 ✓	0.101 ✓	0.101 ✓
4	राजेन्द्रसिंह पिता धूलसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भूमि स्वामी	164/3 ✓ 184/1 ✓ 201/2 ✓	0.102 ✓ 0.085 ✓ 0.185 ✓	0.102 ✓ 0.085 ✓ 0.185 ✓
	योग	3 ✓	0.372 ✓	0.372 ✓
5	रेशमबाई पिता मांगीलाल जाति लोड़ा नि.ग्राम भूमि स्वामी	165 ✓	0.923 ✓	0.138 ✓
	योग	1	0.923 ✓	0.138 ✓
6	धीरपसिंह पिता भंवरलाल जाति राजपूत नि.ग्राम भूमि स्वामी	168/1/1 ✓ 206/2/1 ✓	0.506 ✓ 0.174 ✓	0.506 ✓ 0.174 ✓
	योग	2 ✓	0.680 ✓	0.680 ✓
7	कालूसिंह पिता भंवरलाल जाति राजपूत नि.ग्राम भूमि स्वामी	158/4/2 ✓ 168/1/2 ✓ 206/2/2 ✓	0.380 ✓ 0.506 ✓ 0.174 ✓	0.100 ✓ 0.506 ✓ 0.174 ✓
	योग	3 ✓	1.060 ✓	0.780 ✓
8	देवीसिंह पिता लालसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भूमि स्वामी	168/2 ✓ 173 ✓ 175 ✓ 206/4 ✓ 208/1 ✓	1.012 ✓ 0.379 ✓ 0.569 ✓ 0.658 ✓ 0.531 ✓	0.800 ✓ 0.040 ✓ 0.285 ✓ 0.658 ✓ 0.531 ✓
	योग	5	3.149 ✓	2.314 ✓
9	हरिसिंह, मानसिंह उर्फ छोटेसिंह पिता अमरसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भूमि स्वामी	168/3 ✓ 207 ✓ 208/2 ✓	0.948 ✓ 0.557 ✓ 0.190 ✓	0.948 ✓ 0.557 ✓ 0.190 ✓
	योग	3 ✓	1.695 ✓	1.695 ✓
10	हरनाथसिंह पिता नारायणसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भूमि स्वामी	174/2 ✓	0.607 ✓	0.360 ✓
	योग	1	0.607 ✓	0.360 ✓
11	भंवरलाल पिता जयसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भूमि स्वामी	176/1 ✓ 177/1 ✓ 197/1 ✓ 198 ✓ 199/1 ✓ 200/1 ✓	0.148 ✓ 0.447 ✓ 0.118 ✓ 0.025 ✓ 0.101 ✓ 0.042 ✓	0.148 ✓ 0.447 ✓ 0.118 ✓ 0.025 ✓ 0.101 ✓ 0.042 ✓
	योग	6 ✓	0.881 ✓	0.881 ✓

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	प्रभावित भूमि कुल रकबा
1	2	3	4	7
12	नारायणसिंह पिता जयसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भूमि स्वामी	176/2 ✓ 177/2 ✓ 197/2 ✓ 199/2 ✓ 200/2 ✓	0.148 ✓ 0.447 ✓ 0.118 ✓ 0.101 ✓ 0.042 ✓	0.148 ✓ 0.447 ✓ 0.118 ✓ 0.101 ✓ 0.042 ✓
	योग	5 ✓	0.856 ✓	0.856 ✓
13	बजेंसिंह पिता जयसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भूमि स्वामी	176/3 ✓ 177/3 ✓ 197/3 ✓ 199/3 ✓ 200/3 ✓	0.147 ✓ 0.443 ✓ 0.118 ✓ 0.102 ✓ 0.042 ✓	0.147 ✓ 0.443 ✓ 0.118 ✓ 0.102 ✓ 0.042 ✓
	योग	5 ✓	0.852 ✓	0.852 ✓
14	चंदरसिंह पिता रूपसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भूमि स्वामी	178/1 ✓ 179/1 ✓ 196/3 ✓	0.049 ✓ 0.050 ✓ 0.093 ✓	0.049 ✓ 0.050 ✓ 0.093 ✓
	योग	3 ✓	0.192 ✓	0.192 ✓
15	कमलसिंह पिता रूपसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भूमि स्वामी	178/2 ✓ 191/3 ✓ 196/4 ✓	0.049 ✓ 0.030 ✓ 0.092 ✓	0.049 ✓ 0.030 ✓ 0.092 ✓
	योग	3 ✓	0.171 ✓	0.171 ✓
16	हिन्दूसिंह पिता रूपसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भूमि स्वामी	160/2/3 ✓ 178/3 ✓ 191/5 ✓ 196/5 ✓ 203/2 ✓	0.228 ✓ 0.049 ✓ 0.030 ✓ 0.092 ✓ 0.168 ✓	0.228 ✓ 0.049 ✓ 0.030 ✓ 0.092 ✓ 0.168 ✓
	योग	5 ✓	0.567 ✓	0.567 ✓
17	रघुवीरसिंह पिता हरिसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भूमि स्वामी	179/2 ✓ 196/1 ✓	0.051 ✓ 0.280 ✓	0.051 ✓ 0.280 ✓
	योग	2 ✓	0.331 ✓	0.331 ✓
18	महेन्द्रसिंह पिता हरिसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भूमि स्वामी	178/4 ✓ 203/1 ✓	0.148 ✓ 0.168 ✓	0.148 ✓ 0.168 ✓
	योग	2 ✓	0.316 ✓	0.316 ✓
19	समरथसिंह पिता हरिसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भूमि स्वामी	191/2 ✓	0.089 ✓	0.089 ✓
	योग	1	0.089 ✓	0.089 ✓

स.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	प्रभावित भूमि कुल रकबा
1	2	3	4	7
20	देवीसिंह, उम्मेदसिंह पिता कंचनसिंह लाड़कुंवर बेवा कंचनसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भूमि स्वामी	178/5 ✓ 179/3 ✓ 191/1 ✓ 196/2 ✓	0.148 ✓ 0.051 ✓ 0.089 ✓ 0.280 ✓	0.148 ✓ 0.051 ✓ 0.089 ✓ 0.280 ✓
	योग	4 ✓	0.568 ✓	0.568 ✓
21	भंवरलाल पिता धुलसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भूमि स्वामी	180 ✓ 181 ✓	0.063 ✓ 0.266 ✓	0.063 ✓ 0.266 ✓
	योग	2 ✓	0.329 ✓	0.329 ✓
22	ईश्वरसिंह, कल्याणसिंह, गेंदकुंवर, मोहन कुंवर पिता गोविन्दसिंह भवंरीबाई बेवा गोविन्दसिंह, जाति राजपूत नि.ग्राम भूमि स्वामी	182/1 ✓ 183/1 ✓	0.160 ✓ 0.130 ✓	0.160 ✓ 0.130 ✓
	योग	2	0.290 ✓	0.290 ✓
23	मोहनसिंह पिता कुमेरसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भूमि स्वामी	158/2/2 ✓ 182/2 ✓ 183/2 ✓	0.261 ✓ 0.160 ✓ 0.135 ✓	0.261 ✓ 0.160 ✓ 0.135 ✓
	योग	3	0.556 ✓	0.556 ✓
24	प्रेमसिंह पिता कुमेरसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भूमि स्वामी	182/3 ✓ 183/3 ✓	0.160 ✓ 0.152 ✓	0.160 ✓ 0.152 ✓
	योग	2 ✓	0.312 ✓	0.312 ✓
25	रघुनंदनसिंह पिता कमलसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भूमि स्वामी	184/3 ✓ 201/3 ✓	0.084 ✓ 0.186 ✓	0.084 ✓ 0.186 ✓
	योग	2 ✓	0.270 ✓	0.270 ✓
26	किशोरसिंह पिता बलदेवसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम	195/1 ✓	0.073 ✓	0.073 ✓
	योग	1	0.073 ✓	0.073 ✓
27	मानसिंह, छोटेलाल पिता गोरीलाल जाति लोड़ा नि.ग्राम भूमि स्वामी	193/2 ✓ 194/2 ✓ 195/2 ✓	0.296 ✓ 0.890 ✓ 0.079 ✓	0.296 ✓ 0.600 ✓ 0.079 ✓
	योग	3 ✓	1.265 ✓	0.975 ✓
28	चंदरसिंह, कमलसिंह, हिन्दूसिंह पिता रूपासिंह, रघुवीरसिंह, समरथसिंह, महेन्द्रसिंह पिता हरिसिंह, देवीसिंह, उम्मेदसिंह पिता कंचनसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम पाटड़ीखुर्द	202 ✓	0.051 ✓	0.051 ✓
	योग	1	0.051 ✓	0.051 ✓
29	ईश्वरसिंह पिता गोविन्द जाति राजपूत नि.ग्राम भूमि स्वामी	204/1 ✓	0.582 ✓	0.582 ✓
	योग	1 ✓	0.582 ✓	0.582 ✓
30	कुमेरसिंह पिता जगन्नाथ जाति राजपूत नि.ग्राम भूमि स्वामी	204/2 ✓	0.388 ✓	0.388 ✓
	योग	1 ✓	0.388 ✓	0.388 ✓

स.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	प्रभावित भूमि कुल रकबा
1	2	3	4	7
31	मांगीलाल पिता किशनलाल उर्फ रामकिशन जाति तवर नि. ग्राम भूमि स्वामी	205 ✓ 206/1 ✓	0.316 ✓ 0.632 ✓	0.316 ✓ 0.632 ✓
	योग	2 ✓	0.948 ✓	0.948 ✓
32	अनारबाई पति पप्पूसिंह जाति लोड़ नि.ग्राम भूमि स्वामी	210 ✓	0.746 ✓	0.746 ✓
	योग	1	0.746 ✓	0.746 ✓
33	कमलसिंह पिता देवसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भूमि स्वामी	169/2 ✓	0.209 ✓	0.050 ✓
	योग	1	0.209 ✓	0.050 ✓
34	जगदीश खिंची पिता कालूसिंह जातिराजपूत नि.ग्राम	206/3/2 ✓	0.174 ✓	0.174 ✓
	योग	1	0.174 ✓	0.174 ✓
35	उम्मेदसिंह पिता कंचनसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भूमि स्वामी	203/3 ✓	0.174 ✓	0.174 ✓
	योग	1	0.174 ✓	0.174 ✓
	कुलयोग :-	86 ✓	22.168 ✓	19.484 ✓
रतनपुरिया तालाब परियोजना के बाँध एवं डूब प्रभावित भूमि :-ग्राम खारपरस				
1	अनारसिंह पिता धुल्या जाति लोढ़ा नि.ग्रा. भू-स्वामी	28/2/1 ✓ 34/1 ✓	0.234 ✓ 0.685 ✓	0.234 ✓ 0.575 ✓
	योग	2 ✓	0.919 ✓	0.809 ✓
2	रामस्वरूप पिता धुल्या जाति लोढ़ा नि.ग्रा. भू-स्वामी	28/2/2 ✓ 34/2 ✓	0.234 ✓ 0.685 ✓	0.050 ✓ 0.253 ✓
	योग	2 ✓	0.919 ✓	0.303 ✓
3	बीरम पिता कालूसिंह ना० बा० सर० माता कृष्णाबाई पति कालूसिंह जाति सौध्या निवासी ग्राम भूमि स्वामी	47/2 ✓ 43/2 ✓ 50/2 ✓	0.222 ✓ 0.120 ✓ 0.348 ✓	0.066 ✓ 0.060 ✓ 0.278 ✓
	योग	3 ✓	0.690 ✓	0.404 ✓
4	नारानसिंह पिता धुलजी जाति सौध्या निवासी ग्राम भूमि स्वामी	49 ✓ 43/1 ✓ 50/1 ✓	0.190 ✓ 0.120 ✓ 0.158 ✓	0.020 ✓ 0.060 ✓ 0.128 ✓
	योग	3 ✓	0.468 ✓	0.208 ✓
5	जगन्नाथ पिता प्यारजी जाति लोडा निवासी ग्राम भूमि स्वामी	51/1 ✓ 52/1 ✓	0.167 ✓ 0.253 ✓	0.167 ✓ 0.253 ✓
	योग	2 ✓	0.420 ✓	0.420 ✓
6	हजारी पिता प्यारजी जाति लोडा निवासी ग्राम भूमि स्वामी	51/2 ✓	0.167 ✓	0.167 ✓
	योग	1	0.167 ✓	0.167 ✓
7	मोरसिंह पिता प्यारजी जाति लोडा निवासी ग्राम भूमि स्वामी	51/3 ✓	0.167 ✓	0.167 ✓
	योग	1	0.167 ✓	0.167 ✓

स.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	प्रभावित भूमि कुल रकबा
1	2	3	4	5
8	गंगाराम पिता प्यारजी जाति लोडा निवासी ग्राम भूमि स्वामी	51/4 ✓	0.167 ✓	0.167 ✓
	योग	1	0.167 ✓	0.167 ✓
9	लक्ष्मीनारायण हि. 45 पै. हीरालाल हि. 55 पै. पिता भंवरलाल जाति लोडा निवासी ग्राम भूमि स्वामी	51/5 ✓	0.336 ✓	0.336 ✓
	योग	1 ✓	0.336 ✓	0.336 ✓
10	नाथूलाल इंदरसिंह पिता भंवरलाल दयीसीबाई बेवा भंवरलाल जाति लोडा निवासी ग्राम भूमि स्वामी	51/6 ✓	0.336 ✓	0.336 ✓
	योग	1	0.336 ✓	0.336 ✓
11	गोपाल पिता जगन्नाथ जाति लोडा निवासी ग्राम भूमि स्वामी	52/2 ✓	0.253 ✓	0.253 ✓
	योग	1 ✓	0.253 ✓	0.253 ✓
12	फूलसिंह पिता मोडसिंह जाति लोडा निवासी ग्राम भूमि स्वामी	52/3 ✓	0.253 ✓	0.253 ✓
	योग	1 ✓	0.253 ✓	0.253 ✓
13	गंगाराम पिता हरचंद बनसीया पति गंगाराम जाति अनुसुचित जाति निवासी किलखेडा अहस्तातरणीय भूमि स्वामी	55/1/1 ✓	0.822 ✓	0.360 ✓
	योग	1 ✓	0.822 ✓	0.360 ✓
14	बद्रीलाल पिता प्रभुलाल गुलाबबाई पति बद्रीलाल जाति चमार निवासी किलखेडा अहस्तातरणीय भूमि स्वामी	55/1/2 ✓	0.822 ✓	0.300 ✓
	योग	1 ✓	0.822 ✓	0.300 ✓
15	बलराम पिता नाथू मेहलाबबाई पति बलराम जाति अनुसुचित जाति निवासी किलखेडा अहस्तातरणीय भूमि स्वामी	55/1/3 ✓	0.823 ✓	0.240 ✓
	योग	1 ✓	0.823 ✓	0.240 ✓
16	मांगीलाल इन्दरसिंह कन्हैयालाल पितानंदलाल मुण् हरकूबाई बेवा नन्दलाल छीतरलाल लक्ष्मीनारायण जगन्नाथ गंगाबाई कंचनबाई पिताप्यारजी गोपीबाई पति लक्ष्मीनारायण जाति सौध्या निवासी किलखेडा अहस्तातरणीय भूमि स्वामी	55/2 ✓	2.200 ✓	1.280 ✓
	योग	1 ✓	2.200 ✓	1.280 ✓
17	छीतरलाल लक्ष्मीनारायण जगन्नाथगंगाबाई कंचनबाई पिता प्यारजी जाति सौध्या निवासी ग्राम भूमि स्वामी	59 ✓	0.721 ✓	0.361 ✓
	योग	1 ✓	0.721 ✓	0.361 ✓
18	कमलसिंह पिता सबलू पांचूबाई बैवा सबलू जाति लोडा निवासी ग्राम भूमि स्वामी	61 ✓ 62/7 ✓	0.594 ✓ 0.170 ✓	0.060 ✓ 0.080 ✓
	योग	2 ✓	0.764 ✓	0.140 ✓

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	प्रभावित भूमि कुल रकबा
1	2	3	4	5
19	शिव पिता प्रभू पार्वतीबाई पति शिव जाति अनुसुचित जाति नि.ग्रा. कीलखेड़ा अहस्तांतरणीय भू-स्वामी	57/1/3 ✓	1.307 ✓	0.400 ✓
	योग	1 ✓	1.307 ✓	0.400 ✓
20	मोहन पिता मांगू अनारबाई पति मोहन जाति अनुसुचित जाति नि.ग्रा. कीलखेड़ा अहस्तांतरणीय भू-स्वामी	57/1/2 ✓	1.468 ✓	0.350 ✓
	योग	1 ✓	1.468 ✓	0.350 ✓
21	भागीरथ पिता मोती, भंवरीबाई पिता भागीरथ जाति अनुसुचित जन जाति निवासी किलखेड़ा अहस्तांतरणीय भूमि नि.भूमि स्वामी	57/1/7 ✓	1.467 ✓	0.730 ✓
	योग	1 ✓	1.467 ✓	0.730 ✓
22	देवीसिंह पिता धूल्या जाति लोड़ा नि.ग्राम भूमि स्वामी	34/3	0.685	0.210 ✓
	योग	1	0.685 ✓	0.210 ✓
	कुलयोग :-	30	16.174	8.194 ✓
रतनपुरिया तालाब परियोजना के बाँध एवं डूब प्रभावित भूमि :-ग्राम भवानीपुरा				
1	मांगीलाल पिता देवा जाति लोड़ा निवासी ग्राम भूमि स्वामी	2/3 ✓	1.447 ✓	0.320 ✓
	योग	1 ✓	1.447 ✓	0.320 ✓
2	कासीराम पिता किशनलाल जाति लोड़ा निवासी ग्राम प्रेमपुरा भूमि स्वामी	49/4 ✓	6.070 ✓	5.032 ✓
	योग	1 ✓	6.070 ✓	5.032 ✓
3	मांगीलाल पिता गेन्दा जाति लोड़ा निवासी ग्राम भूमि स्वामी	49/3/1 ✓	0.506 ✓	0.506 ✓
	योग	1 ✓	0.506 ✓	0.506 ✓
4	गोरीलाल पिता गेन्दा जाति लोड़ा निवासी ग्राम भूमि स्वामी	49/3/2 ✓	0.506 ✓	0.506 ✓
	योग	1 ✓	0.506 ✓	0.506 ✓
5	भवरीया, बापु कचनबाई बसन्तीबाई पिता धूल्या जाति अनुसुचित जाति निवासी ग्राम भूमि स्वामी	49/5 ✓ 49/6 ✓	0.506 ✓ 1.265 ✓	0.405 ✓ 0.490 ✓
	योग	1 ✓	1.771 ✓	0.895 ✓
6	धीसीबाई पति कांशीराम जाति लोड़ा निग्राम भूमि स्वामी	49/1/4 ✓	2.000 ✓	0.050 ✓
	योग	1 ✓	2.000 ✓	0.050 ✓
7	कमल सिंह पिता कनीराम मांगीलाल पिता हरिसिंह पि पीरू जाति लोड़ा निवासी ग्राम भूमि स्वामी	49/1/6 ✓	1.959 ✓	0.598 ✓
	योग	1 ✓	1.959 ✓	0.598 ✓
8	अमरसिंह पिता डुगां, रामसुखी पति अमरसिंह जाति अनुसुचित जाति नि.ग्राम भूमि स्वामी आहस्तांतरणीय	49/1/9 ✓	0.500 ✓	0.350 ✓
	योग	1 ✓	0.500 ✓	0.350 ✓

स.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	प्रभावित भूमि कुल रकबा
1	2	3	4	7
9	जगन्नाथ हरिसिंह पिता रामलाल जाति सौधिया नि.ग्राम खारपुरस भूमि स्वामी	82/2/1 ✓ 86/1/1 ✓ 82/3/1 ✓ 82/4/1 ✓ 84/2/1 ✓	0.253 ✓ 0.409 ✓ 0.152 ✓ 0.632 ✓ 0.099 ✓	0.213 ✓ 0.091 ✓ 0.091 ✓ 0.013 ✓ 0.099 ✓
	योग	5	1.545 ✓	0.507 ✓
10	बनेसिंह, कुमेरसिंह पिता करणसिंह जाति सौधिया नि.ग्राम खारपुरस भूमि स्वामी	82/2/2 ✓ 86/1/2 ✓ 82/4/2 ✓ 84/2/2 ✓	0.253 ✓ 0.409 ✓ 0.632 ✓ 0.099 ✓	0.213 ✓ 0.091 ✓ 0.013 ✓ 0.099 ✓
	योग	4	1.393 ✓	0.416 ✓
11	प्रभूलाल पिता भेरूसिंह जाति सौधिया नि.ग्राम खारपुरस भूमि स्वामी	82/2/3 ✓ 86/1/3 ✓ 82/3/2 ✓ 82/3/3 ✓ 82/4/3 ✓ 84/2/3 ✓	0.253 ✓ 0.409 ✓ 0.152 ✓ 0.152 ✓ 0.633 ✓ 0.099 ✓	0.213 ✓ 0.091 ✓ 0.091 ✓ 0.091 ✓ 0.013 ✓ 0.099 ✓
	योग	6	1.698 ✓	0.598 ✓
12	अमरसिंह पिता मोतीलाल जाति सौधिया नि.ग्राम खारपुरस भूमि स्वामी	82/2/4 ✓ 86/1/4 ✓ 82/3/4 ✓ 82/4/4 ✓ 84/2/4 ✓	0.253 ✓ 0.409 ✓ 0.152 ✓ 0.633 ✓ 0.099 ✓	0.213 ✓ 0.091 ✓ 0.091 ✓ 0.013 ✓ 0.099 ✓
	योग	5	1.546 ✓	0.507 ✓
13	शिवनारायण, विजयसिंह, सूरजपसिंह मुरलीसिंह पिता लक्ष्मण जाति सौधिया नि.ग्राम खारपुरस भूमि स्वामी	82/2/5 ✓ 86/1/5 ✓ 82/4/5 ✓ 84/2/5 ✓	0.253 ✓ 0.409 ✓ 0.632 ✓ 0.099 ✓	0.213 ✓ 0.091 ✓ 0.013 ✓ 0.099 ✓
	योग	4	1.393 ✓	0.416 ✓
14	गंगाराम पिता मोतीलाल जाति सौधिया नि.ग्राम खारपुरस भूमि स्वामी	82/2/6 ✓ 86/1/6 ✓ 82/3/5 ✓ 82/4/6 ✓ 84/2/6 ✓	0.253 ✓ 0.408 ✓ 0.151 ✓ 0.632 ✓ 0.100 ✓	0.213 ✓ 0.091 ✓ 0.091 ✓ 0.013 ✓ 0.100 ✓
	योग	5	1.544 ✓	0.508 ✓
15	हरिसिंह रामलाल शिवनारायण पि.लक्ष्मण जाति सौधिया निवासी ग्राम खारपुरस भूमि स्वामी	82/5 ✓	2.023 ✓	0.282 ✓
	योग	1	2.023 ✓	0.282 ✓

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	प्रभावित भूमि कुल रकबा
1	2	3	4	5
16	गणपत पिता किशन, नौरंगबाई पति गणपत जाति अनुसूचित जाति नि.ग्रा. भू-स्वामी	49/1/7 ✓	0.700 ✓	0.595 ✓
	योग	1 ✓	0.700 ✓	0.595 ✓
17	किशनलाल पिता सोजी जाति बन्जारा नि.ग्रा. भू-स्वामी	84/1 ✓	0.759 ✓	0.759 ✓
	योग	1 ✓	0.759 ✓	0.759 ✓
18	मोड़सिंह, रंगलाल, बनेसिंह, रुक्मणीबाई पिता हजारी सम्पतबाई बेवा हजारी नि.ग्रा. पाटड़ीखुर्द	49/1/2 ✓	0.482 ✓	0.148 ✓
	योग	1	0.482 ✓	0.148 ✓
	कुलयोग :-	41	27.842	12.993 ✓
रतनपुरिया तालाब परियोजना के बौध एवं डूब प्रभावित भूमि :-ग्राम लावाबे				
1	बिरम,शंकर,रमेश,पिता धुल्या नि.ग्राम भूमि स्वामी	267/3 ✓	2.000 ✓	0.100 ✓
	योग	1 ✓	2.000 ✓	0.100 ✓
2	मांगीलाल पिता बजेंसिंह, प्रेमनारायण पिता कंवरलाल जाति सौधिया नि.ग्राम भूमि स्वामी	272 ✓ 300 ✓	0.455 ✓ 0.391 ✓	0.250 ✓ 0.391 ✓
	योग	2 ✓	0.846 ✓	0.641 ✓
3	धूलीबाई पत्नि प्रेमसिंह जाति सौधिया नि.ग्राम भूमि स्वामी	275 ✓ 313 ✓ 315 ✓	0.126 ✓ 0.810 ✓ 0.973 ✓	0.126 ✓ 0.810 ✓ 0.973 ✓
	योग	3 ✓	1.909 ✓	1.909 ✓
4	लाल पिता मेथा जाति बंजारा नि.ग्राम भूमि स्वामी	277 ✓	0.228 ✓	0.080 ✓
	योग	1 ✓	0.228 ✓	0.080 ✓
5	रघुवीरसिंह पिता हरिसिंह जाति राजपूत नि.गाम भूमि स्वामी	293/1/1 ✓	1.047 ✓	1.047 ✓
	योग	1 ✓	1.047 ✓	1.047 ✓
6	भंवरीबाई बेवा कनीराम जाति लोड़ा नि.ग्राम भूमि स्वामी	293/1/10/1 ✓ 304/1 ✓ 305/1/1 ✓ 307/2/1 ✓ 310/1 ✓	0.250 ✓ 0.180 ✓ 0.038 ✓ 0.062 ✓ 0.556 ✓	0.200 ✓ 0.180 ✓ 0.038 ✓ 0.062 ✓ 0.556 ✓
	योग	5 ✓	1.086 ✓	1.036 ✓
.7	पप्पूसिंह पिता भंवरलाल जाति लोड़ नि.ग्राम भूमि स्वामी	293/1/10/2 ✓ 304/2 ✓ 305/1/2 ✓ 307/2/2 ✓ 310/2 ✓	0.250 ✓ 0.180 ✓ 0.032 ✓ 0.061 ✓ 0.556 ✓	0.200 ✓ 0.180 ✓ 0.032 ✓ 0.061 ✓ 0.556 ✓
	योग	5 ✓	1.079 ✓	1.029 ✓

स.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	प्रभावित भूमि कुल रकबा
1	2	3	4	5
8	उंकर,बीरम पिता नंदराम जाति लोड़ा नि.ग्राम भूमि स्वामी	293/1/10/3 ✓ 304/3 ✓ 305/1/3 ✓ 307/2/3 ✓	0.500 ✓ 0.361 ✓ 0.076 ✓ 0.123 ✓	0.400 ✓ 0.361 ✓ 0.076 ✓ 0.123 ✓
	योग	4 ✓	1.060 ✓	0.960 ✓
9	कमलसिंह पिता रूपसिंह महेन्द्रसिंह पिता हरिसिंह उम्मेदसिंह पिता कंचनसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भूमि स्वामी	293/1/11 ✓	1.000 ✓	0.925 ✓
	योग	1	1.000 ✓	0.925 ✓
10	महेन्द्रसिंह पिता हरिसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भूमि स्वामी	293/1/12 ✓	1.000 ✓	0.800 ✓
	योग	1	1.000 ✓	0.800 ✓
11	बीरम पिता धूलजी जाति अनुसुचित जाति नि.ग्राम भूमि स्वामी	293/1/13 ✓	1.000 ✓	1.000 ✓
	योग	1	1.000 ✓	1.000 ✓
12	चंदरसिंह,कमलसिंह पिता रूपसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भूमि स्वामी	294 ✓	0.696 ✓	0.696 ✓
	योग	1	0.696 ✓	0.696 ✓
13	रतनबाई विधवा घीसालाल जाति सौंधिया नि.ग्राम भूमि स्वामी	296 ✓ 297 ✓ 298 ✓ 301 ✓ 302 ✓	0.316 ✓ 0.063 ✓ 0.481 ✓ 0.025 ✓ 0.885 ✓	0.316 ✓ 0.063 ✓ 0.481 ✓ 0.025 ✓ 0.885 ✓
	योग	5 ✓	1.770 ✓	1.770 ✓
14	भोपा पिता रतनिया भीमा पिता भोपा जाति बंजारा नि.ग्राम भूमि स्वामी	306 ✓	0.607 ✓	0.607 ✓
	योग	1	0.607 ✓	0.607 ✓
15	बजेसिंह,बनेसिंह,बापूलाल,मोहन,राजू पिता तेजा जाति बंजारा नि.ग्राम भूमि स्वामी	307/1 ✓ 308/1 ✓	0.246 ✓ 0.443 ✓	0.246 ✓ 0.443 ✓
	योग	2 ✓	0.689 ✓	0.689 ✓
16	गोरेलाल पिता भोपा जाति बलाई नि.ग्राम भूमि स्वामी	308/2/1 ✓	0.151 ✓	0.151 ✓
	योग	1 ✓	0.151 ✓	0.151 ✓
17	मोती पिता रामलाल जाति बलाई नि.ग्राम भूमि स्वामी	308/2/2 ✓	0.151 ✓	0.151 ✓
	योग	1 ✓	0.151 ✓	0.151 ✓

स.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	प्रभावित भूमि कुल रकबा
1	2	3	4	7
18	लक्ष्मीनाराण पिता भंवरलाल जाति लोड़ा नि.ग्राम भूमि स्वामी	314/1 ✓ 316/2/1 ✓ 319/1 ✓ 322/1 ✓ 323/1 ✓ 324/1 ✓ 327/2 ✓ 328/1 ✓ 328/2 ✓	0.249 ✓ 0.253 ✓ 0.184 ✓ 0.151 ✓ 0.124 ✓ 0.297 ✓ 0.253 ✓ 0.253 ✓ 0.582 ✓	0.249 ✓ 0.253 ✓ 0.184 ✓ 0.151 ✓ 0.124 ✓ 0.297 ✓ 0.253 ✓ 0.253 ✓ 0.582 ✓
	योग	9	2.346 ✓	2.346 ✓
19	नाथूलाल पिता भंवरलाल जाति लोड़ा नि.ग्राम खारपरस	314/2 ✓ 316/2/2 ✓ 319/2 ✓ 322/2 ✓ 323/2 ✓ 324/2 ✓	0.250 ✓ 0.063 ✓ 0.183 ✓ 0.152 ✓ 0.183 ✓ 0.297 ✓	0.250 ✓ 0.063 ✓ 0.183 ✓ 0.152 ✓ 0.183 ✓ 0.297 ✓
	योग	6	1.128 ✓	1.128 ✓
20	हीरालाल पिता भंवरलाल जाति लोड़ा नि.ग्राम भूमि स्वामी	314/3 ✓ 316/2/3 ✓ 319/3 ✓ 322/3 ✓ 323/3 ✓ 324/3 ✓	0.250 ✓ 0.063 ✓ 0.184 ✓ 0.142 ✓ 0.183 ✓ 0.297 ✓	0.250 ✓ 0.063 ✓ 0.184 ✓ 0.142 ✓ 0.183 ✓ 0.297 ✓
	योग	6	1.119 ✓	1.119 ✓
21	इन्द्ररसिंह पिता भंवरलाल जाति लोड़ा नि.ग्राम भूमि स्वामी	314/4 ✓ 316/2/4 ✓ 316/3 ✓ 319/4 ✓ 322/4 ✓ 323/4 ✓ 324/4 ✓	0.250 ✓ 0.064 ✓ 0.126 ✓ 0.183 ✓ 0.151 ✓ 0.184 ✓ 0.297 ✓	0.250 ✓ 0.064 ✓ 0.126 ✓ 0.183 ✓ 0.151 ✓ 0.184 ✓ 0.297 ✓
	योग	7	1.255 ✓	1.255 ✓
22	अमरा पिता रूपा जाति बंजारा नि.ग्राम भूमि स्वामी	316/1 ✓	0.253 ✓	0.253 ✓
	योग	1	0.253 ✓	0.253 ✓
23	लाला पिता अमरा, शंकरलाल, हीरालाल, गोकुल, कमलसिंह, पिता बालू घुममलीबाई बेवा बालू जाति बंजारा नि.ग्राम भूमि स्वामी	317 ✓ 326 ✓	0.708 ✓ 1.227 ✓	0.708 ✓ 1.227 ✓
	योग	2	1.935 ✓	1.935 ✓

स.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	प्रभावित भूमि कुल रकबा
1	2	3	4	7
24	हीराबाई पति नाथूलाल जाति लोड़ा नि. ग्राम भू- स्वामी	327/1/2 ✓	0.506 ✓	0.506 ✓
	योग	1 ✓	0.506 ✓	0.506 ✓
25	मांगीलाल पिता गेंदा जाति लोड़ा नि.ग्राम भवानीपुरा भूमि स्वामी	318/1 ✓	0.741 ✓	0.741 ✓
		318/335/1 ✓	0.373 ✓	0.373 ✓
	योग	2 ✓	1.114 ✓	1.114 ✓
26	गोरीलाल पिता गेंदा जाति लोड़ा नि.ग्राम भूमि स्वामी	318/2 ✓	0.741 ✓	0.741 ✓
		318/335/2 ✓	0.373 ✓	0.373 ✓
	योग	2 ✓	1.114 ✓	1.114 ✓
27	बल्लभबाई पति अनारजी जाति सौधिया नि.ग्राम भूमि स्वामी	320/1 ✓	0.474 ✓	0.474 ✓
		321/1 ✓	0.222 ✓	0.222 ✓
	योग	2 ✓	0.696 ✓	0.696 ✓
28	रेशमबाई पति बिहारीलाल जाति सौधिया नि.ग्राम भूमि स्वामी	320/2 ✓	0.828 ✓	0.828 ✓
		321/2 ✓	0.221 ✓	0.221 ✓
	योग	2 ✓	1.049 ✓	1.049 ✓
29	शोजी पिता लालजी जाति बंजारा नि.ग्राम भूमि स्वामी	325/1 ✓	0.354 ✓	0.354 ✓
	योग	1 ✓	0.354 ✓	0.354 ✓
30	उदयसिंह पिता लालजी जाति बंजारा नि.ग्राम भूमि स्वामी	325/2 ✓	0.354 ✓	0.354 ✓
	योग	1 ✓	0.354 ✓	0.354 ✓
31	रामप्रसाद, रामसिंह, फूलसिंह, जगदीश, पिता कांशीराम जाति लोड़ा नि.ग्राम भवानीपुरा भूमि स्वामी	327/1/1/1 ✓	0.342 ✓	0.342 ✓
	योग	1 ✓	0.342 ✓	0.342 ✓
34	लाल पिता अमरा जाति बंजारा नि. ग्राम भू- स्वामी	327/1/1/2 ✓	0.063 ✓	0.063 ✓
	योग	1 ✓	0.063 ✓	0.063 ✓
32	बनेसिंह पिता लक्ष्मीनारायण जाति लोड़ा नि.ग्राम भूमि स्वामी	327/1/3 ✓	0.379 ✓	0.379 ✓
	योग	1 ✓	0.379 ✓	0.379 ✓
33	मोती पिता रामा जाति बंजारा नि.ग्राम भूमि स्वामी	305/2 ✓	0.847 ✓	0.847 ✓
	योग	1 ✓	0.847 ✓	0.847 ✓
34	अनारजी पिता कालू जाति सौधिया नि.ग्राम भूमि स्वामी	283/3 ✓	1.163 ✓	0.360 ✓
	योग	1 ✓	1.163 ✓	0.360 ✓
	कुलयोग :-	83 ✓	32.336 ✓	28.805 ✓
	महायोग :-	275 ✓	123.710 ✓	86.523 ✓

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

तरुण कुमार पिथोड़े, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 19 मई 2017

क्रमांक/एफ-15-08/2017/10-2 :: भारतीय वन अधिनियम-1927 (1927 का 16) की धारा 26 की उपधारा (2) एवं धारा 76 के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश वन (मनोरंजन एवं वन्यप्राणी अनुभव) नियम-2015 बनाये गये हैं। उक्त नियम के नियम-03(1) के अंतर्गत राज्य सरकार निम्न अनुसूची में दर्शित क्षेत्र को मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से मनोरंजन क्षेत्र घोषित करती है।

अनुसूची

क्रमांक	वनमण्डल	परिक्षेत्र	स्थल	कक्ष क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टर)	सीमाएँ
1.	दक्षिण सिवनी सामान्य	बरघाट (सामान्य)	शारदा मंदिर पहाड़ी, महादेव गुफा एवं फरीद बाबा	आरक्षित वन-120	179.78	पूर्व- कक्ष क्रमांक 120 की पूर्वी सीमा पश्चिम- कक्ष क्रमांक 120 की पश्चिमी सीमा उत्तर- कक्ष क्रमांक 120 की उत्तरी सीमा दक्षिण-कक्ष क्रमांक 120 की दक्षिणी सीमा

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 19 मई 2017

एफ-15-08/2017/10-2 भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-08/2017/10-2 दिनांक 12/05/2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, अपर सचिव.

Bhopal, the 19th May 2017

No./F-15-08/2017/10-2 :: In exercise of the powers conferred by the sub-section (2) of Section 26 read with clause (d) of Section 76 of the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the State Government has made Madhya Pradesh Forest (Recreation and Wildlife Experience) Rules, 2015. Under the sub-section 3 (1) of the said rules, the State Government declares the area mentioned in the following schedule as **Recreational Area** from the date of publication of notification in the Madhya Pradesh Gazette.

Schedule

S. No.	Forest Division	Forest Range	Site	Compartment no.	Area (in Ha.)	Boundaries
1.	South Seoni (T)	Barghat(T)	Sharda Mandir Pahadi, Mahadev Gufa and Farid Baba	RF-120	179.78	East- Eastern Boundary of Compartment no. RF-120. West- Western Boundary of Compartment no. RF-120. North- Northern Boundary of Compartment no. RF-120. South- Southern Boundary of Compartment no. RF-120.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SANJAY MOHARIR, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 18 मई 2017

क्रमांक/एफ-15-09/2017/10-2 :: भारतीय वन अधिनियम-1927 (1927 का 16) की धारा 26 की उपधारा (2) एवं धारा 76 के खण्ड (घ)द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश वन (मनोरंजन एवं वन्यप्राणी अनुभव) नियम-2015 बनाये गये हैं। उक्त नियम के नियम-04 (1) के अंतर्गत राज्य सरकार निम्न अनुसूची में दर्शित क्षेत्र को मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से वन्यप्राणी अनुभव क्षेत्र घोषित करती है।

अनुसूची

क्रमांक	वनमण्डल	परिक्षेत्र	स्थल	कक्ष क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टर)	सीमायें
1.	अनूपपुर	अहिरगवां	राजारानी	आरक्षित वन-24	1.000	पूर्व- कक्ष क्रमांक 24 पश्चिम- कक्ष क्रमांक 25 उत्तर- कक्ष क्रमांक 24 दक्षिण- कक्ष क्रमांक 24 की दक्षिणी सीमा

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 18 मई 2017

एफ-15-09/2017/10-2 भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-09/2017/10-2 दिनांक 18/05/2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, अपर सचिव.

Bhopal, the 18th May 2017

No./F-15-09/2017/10-2 :: In exercise of the powers conferred by the sub-section (2) of Section 26 read with clause (d) of Section 76 of the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the State Government has made Madhya Pradesh Forest (Recreation and Wildlife Experience) Rules, 2015. Under the sub-section 4 (1) of the said rules, the state government declares the area mentioned in the following schedule as **Wildlife Experience Area** from the date of publication of notification in the Madhya Pradesh Gazette.

Schedule

S. no.	Forest Division	Forest Range	Site	Compartment no.	Area (in Hact)	Boundaries
1.	Anoopur	Ahircava	Rajarani	RF-24	1.000	East- Compartment No. 24 West- Compartment No. 25 North- Compartment No. 24 South- Southern Boundary of Compartment No. 24

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SANJAY MOHARIR, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 19 मई 2017

क्रमांक/एफ-15-10/2017/10-2 :: भारतीय वन अधिनियम-1927 (1927 का 16) की धारा 26 की उपधारा (2) एवं धारा 76 के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश वन (मनोरंजन एवं वन्यप्राणी अनुभव) नियम-2015 बनाये गये हैं। उक्त नियम के नियम-03(1) के अंतर्गत राज्य सरकार निम्न अनुसूची में दर्शित क्षेत्र को मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से मनोरंजन क्षेत्र घोषित करती है।

अनुसूची

क्रमांक	वनमण्डल	परिक्षेत्र	स्थल	कक्ष क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टर)	सीमायें
1.	सिंगरौली	माड़ा	रावणगुफा, सीताविवाह, जलजलिया देवी, खुटाही, झिरिया	आरक्षित वन-497,498, 540	742.82	पूर्व- कक्ष क्रमांक आर-540, आर-498पी, आर-497 की पूर्वी सीमा। पश्चिम- कक्ष क्रमांक आर-540, आर-498पी, आर-497 की पश्चिमी सीमा। उत्तर- कक्ष क्रमांक आर-540 की उत्तरी सीमा। दक्षिण- कक्ष क्रमांक आर-497 की दक्षिणी सीमा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 19 मई 2017

एफ-15-10/2017/10-2 भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-10/2017/10-2 दिनांक 19/05/2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, अपर सचिव.

Bhopal, the 19th May 2017

No./F-15-10/2017/10-2 :: In exercise of the powers conferred by the sub-section (2) of Section 26 read with clause (d) of Section 76 of the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the State Government has made Madhya Pradesh Forest (Recreation and Wildlife Experience) Rules, 2015. Under the sub-section 3 (1) of the said rules, the State Government declares the area mentioned in the following schedule as **Recreational Area** from the date of publication of notification in the Madhya Pradesh Gazette.

Schedule

S. No.	Forest Division	Forest Range	Site	Compartment no.	Area (in Hact)	Boundaries
1.	Singroli	Mada	Ravangufa, Sitavivah, Jaljaliya devi, Khutahi, Jhiriya	RF-497, 498, 540	742.82	<p>East- Eastern Boundary of Compartment no. R-540, R-498P, and R-497</p> <p>West- Western Boundary of Compartment no. R-540, R-498P, and R-497</p> <p>North- Northern Boundary of Compartment no. R-540</p> <p>South- Southern Boundary of Compartment no. R-497</p>

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SANJAY MOHARIR, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 19 मई 2017

क्रमांक/एफ-15-11/2017/10-2 :: भारतीय वन अधिनियम-1927 (1927 का 16) की धारा 26 की उपधारा (2) एवं धारा 76 के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश वन (मनोरंजन एवं वन्यप्राणी अनुभव) नियम-2015 बनाये गये हैं। उक्त नियम के नियम-03(1) के अंतर्गत राज्य सरकार निम्न अनुसूची में दर्शित क्षेत्र को मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से मनोरंजन क्षेत्र घोषित करती है।

अनुसूची

क्रमांक	वनमण्डल	परिक्षेत्र	स्थल	कक्ष क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टर)	सीमायें
1.	सीधी	मझौली	कटबंगला	आरक्षित वन-1254	32.539	पूर्व- राजस्व भूमि ग्राम नौढ़िया पश्चिम- बनास नदी उत्तर- बनास नदी दक्षिण- आरक्षित वन आर 1255

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 19 मई 2017

एफ-15-11/2017/10-2 भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-11/2017/10-2 दिनांक 19/05/2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, अपर सचिव.

Bhopal, the 19th May 2017

No./F-15-11/2017/10-2 :: In exercise of the powers conferred by the sub-section (2) of Section 26 read with clause (d) of Section 76 of the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the State Government has made Madhya Pradesh Forest (Recreation and Wildlife Experience) Rules, 2015. Under the sub-section 3 (1) of the said rules, the State Government declares the area mentioned in the following schedule as **Recreational Area** from the date of publication of notification in the Madhya Pradesh Gazette.

Schedule

S. No.	Forest Division	Forest Range	Site	Compartment no.	Area (in Hact)	Boundaries
1.	Sidhi	Majholi	Kathbangla	RF-1254	32.539	East-Revenue Village Naudiya West-Banas River North- Banas River South- RF-1255

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
 SANJAY MOHARIR, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 18 मई 2017

क्रमांक/एफ-15-12/2017/10-2 :: भारतीय वन अधिनियम-1927 (1927 का 16) की धारा 26 की उपधारा (2) एवं धारा 76 के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश वन (मनोरंजन एवं वन्यप्राणी अनुभव) नियम-2015 बनाये गये हैं। उक्त नियम के नियम-03(1) के अंतर्गत राज्य सरकार निम्न अनुसूची में दर्शित क्षेत्र को मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से मनोरंजन क्षेत्र घोषित करती है।

अनुसूची

क्रमांक	वनमण्डल	परिक्षेत्र	स्थल	कक्ष क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टर)	सीमायें
1.	इन्दौर	महू	पातालपानी झरना	आरक्षित वन-92	1.946	पूर्व- राजस्व क्षेत्र पश्चिम- कक्ष क्रमांक 92 उत्तर- राजस्व क्षेत्र दक्षिण- कक्ष क्रमांक 92
2.		महू	मेहन्दी कुण्ड	आरक्षित वन-88	2.440	पूर्व- कक्ष क्रमांक 88 पश्चिम- कक्ष क्रमांक 88 उत्तर- कक्ष क्रमांक 88 दक्षिण- कक्ष क्रमांक 75

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 18 मई 2017

एफ-15-12/2017/10-2 भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-12/2017/10-2 दिनांक 18/05/2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, अपर सचिव.

Bhopal, the 18th May 2017

No./F-15-12/2017/10-2 :: In exercise of the powers conferred by the sub-section (2) of Section 26 read with clause (d) of Section 76 of the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the State Government has made Madhya Pradesh Forest (Recreation and Wildlife Experience) Rules, 2015. Under the sub-section 3(1) of the said rules, the State Government declares the area mentioned in the following schedule as **Recreational Area** from the date of publication of notification in the Madhya Pradesh Gazette.

Schedule

S. No.	Forest Division	Forest Range	Site	Compartment no.	Area (in Hact)	Boundaries
1.	Indore	Mhow	Patalpani Jharna	RF-92	1.946	East- Revenu area West- Compartment no. 92 North- Revenu area South- Compartment no. 92
2.		Mhow	Mehandi Kund	RF-88	2.440	East- Compartment no. 88 West- Compartment no. 88 North- Compartment no. 88 South- Compartment no. 75

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SANJAY MOHARIR, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 18 मई 2017

क्रमांक/एफ-15-13/2017/10-2 :: भारतीय वन अधिनियम-1927 (1927 का 16) की धारा 26 की उपधारा (2) एवं धारा 76 के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश वन (मनोरंजन एवं वन्यप्राणी अनुभव) नियम-2015 बनाये गये हैं। उक्त नियम की कंडिका-03 (1) के अंतर्गत राज्य सरकार निम्न अनुसूची में दर्शित क्षेत्र को मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से मनोरंजन क्षेत्र घोषित करती है।

अनुसूची

क्रमांक	वनमण्डल	परिक्षेत्र	स्थल	कक्ष क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टर)	सीमायें
1.	उमरिया	घुनघुटी	घुनघुटी (झिरिया नाला)	आरक्षित वन-306	0.500	पूर्व- वन कक्ष क्रमांक-296P पश्चिम- वन कक्ष क्रमांक-306P उत्तर- वन कक्ष क्रमांक-306P दक्षिण- वन कक्ष क्रमांक- 306P
2.		घुनघुटी	सिद्ध बाबा (तूमी रोड)	आरक्षित वन-304	0.500	पूर्व- वन कक्ष क्रमांक-304P पश्चिम- पी.डब्ल्यू.डी.मार्ग उत्तर- वन कक्ष क्रमांक-304P दक्षिण- वन कक्ष क्रमांक-304P
3.	अनूपपुर	अहिरगवां	बारहखम	आरक्षित वन-24	1.000	पूर्व- वन कक्ष क्रमांक-24 पश्चिम- वन कक्ष क्रमांक-24 उत्तर- वन कक्ष क्रमांक-24 दक्षिण- वन कक्ष क्रमांक-24

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 18 मई 2017

एफ-15-13/2017/10-2 भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-13/2017/10-2 दिनांक 18/05/2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, अपर सचिव.

Bhopal, the 18th May 2017

No./F-15-13/2017/10-2 :: In exercise of the powers conferred by the sub-section (2) of Section 26 read with clause (d) of Section 76 of the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the State Government has made Madhya Pradesh Forest (Recreation and Wildlife Experience) Rules, 2015. Under the sub-section 3 (1) of the said rules, the State Government declares the area mentioned in the following schedule as **Recreational Area** from the date of publication of notification in the Madhya Pradesh Gazette.

Schedule

No.	Forest Division	Forest Range	Site	Compartment No.	Area (in Hact)	Boundaries
1	Umaria	Ghunghuti	Ghunghuti (Jhiriya Nalla)	RF 306	0.500	East- Compartment no. 296 P West- Compartment no. 306 P North- Compartment no. 306 P South- Compartment no. 306 P
2.		Ghunghuti	Siddh Baba	RF 304	0.500	East- Compartment no. 304 P West- PWD Road North- Compartment no. 304 P South- Compartment no. 304 P
3.	Anuppur	Ahirganwa	Barahkham	RF 24	1.000	East- Compartment no. 24 West- Compartment no. 24 North- Compartment no. 24 South- Compartment no. 24

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SANJAY MOHARIR, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 18 मई 2017

क्रमांक/एफ-15-13/2017/10-2 :: भारतीय वन अधिनियम-1927 (1927 का 16) की धारा 26 की उपधारा (2) एवं धारा 76 के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश वन (मनोरंजन एवं वन्यप्राणी अनुभव) नियम-2015 बनाये गये हैं। उक्त नियम की कंडिका-03 (1) के अंतर्गत राज्य सरकार निम्न अनुसूची में दर्शित क्षेत्र को मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से मनोरंजन क्षेत्र घोषित करती है।

अनुसूची

क्रमांक	वनमण्डल	परिक्षेत्र	स्थल	कक्ष क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टर)	सीमाएँ
1.	उमरिया	घुनघुटी	घुनघुटी (झिरिया नाला)	आरक्षित वन-306	0.500	पूर्व- वन कक्ष क्रमांक-296P पश्चिम- वन कक्ष क्रमांक-306P उत्तर- वन कक्ष क्रमांक-306P दक्षिण- वन कक्ष क्रमांक-306P
2.		घुनघुटी	सिद्ध बाबा (तूमी रोड)	आरक्षित वन-304	0.500	पूर्व- वन कक्ष क्रमांक-304P पश्चिम- पी.डब्ल्यू.डी.मार्ग उत्तर- वन कक्ष क्रमांक-304P दक्षिण- वन कक्ष क्रमांक-304P
3.	अनूपपुर	अहिरगवां	बारहखम	आरक्षित वन-24	1.000	पूर्व- वन कक्ष क्रमांक-24 पश्चिम- वन कक्ष क्रमांक-24 उत्तर- वन कक्ष क्रमांक-24 दक्षिण- वन कक्ष क्रमांक-24

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संजय मोहरीर, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 18 मई 2017

एफ-15-13/2017/10-2 भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-13/2017/10-2 दिनांक 18/05/2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संजय मोहरीर, अपर सचिव.

Bhopal, the 18th May 2017

No./F-15-13/2017/10-2 :: In exercise of the powers conferred by the sub-section (2) of Section 26 read with clause (d) of Section 76 of the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the State Government has made Madhya Pradesh Forest (Recreation and Wildlife Experience) Rules, 2015. Under the sub-section 3 (1) of the said rules, the State Government declares the area mentioned in the following schedule as **Recreational Area** from the date of publication of notification in the Madhya Pradesh Gazette.

Schedule

No.	Forest Division	Forest Range	Site	Compartment No.	Area (in Hact)	Boundaries
1	Umaria	Ghunghuti	Ghunghuti (Jhiriya Nalla)	RF 306	0.500	East- Compartment no. 296 P West- Compartment no. 306 P North- Compartment no. 306 P South- Compartment no. 306 P
2.		Ghunghuti	Siddh Baba	RF 304	0.500	East- Compartment no. 304 P West- PWD Road North- Compartment no. 304 P South- Compartment no. 304 P
3.	Anuppur	Ahirganwa	Barakhham	RF 24	1.000	East- Compartment no. 24 West- Compartment no. 24 North- Compartment no. 24 South- Compartment no. 24

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SANJAY MOHARIR, Addl. Secy.

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 मई 2017

क्र. एफ 1-52-स्था./प्र.रा.आ.-2017-3268.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 24 की उपधारा (1) प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, जिला नौमच में पदस्थ निम्नलिखित राजस्व निरीक्षक को निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जिले के कलेक्टर द्वारा किए गए कार्य विभाजन के अनुसार निर्धारित क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर, नायब तहसीलदार के रूप में कार्य संपादन करने के लिए, उक्त संहिता में उल्लेखित तहसीलदार की शक्तियां प्रदान करती है :—

स. क्र. राजस्व निरीक्षक का नाम

1 श्री जाबिर खान

2. शर्तें.—

1. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक कलेक्टर द्वारा कार्य विभाजन करने एवं क्षेत्रीय अधिकारिता के निर्धारण के पश्चात् ही शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे. यदि निर्धारित क्षेत्रीय अधिकारिता के बाहर शक्तियों का प्रयोग किया जाता है तो किया गया कार्य अकृत तथा शून्य माना जाएगा.
2. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए ऐसे राजस्व निरीक्षक को, जो गृह जिले में पदस्थ हैं, कलेक्टर कार्य विभाजन कर, गृह तहसील में क्षेत्रीय अधिकारिता प्रदान नहीं करेंगे.
3. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक नायब तहसीलदार की पदमुद्रा का प्रयोग एवं कर्तव्यों का निर्वहन उसी प्रकार करेंगे जिस प्रकार नायब तहसीलदार द्वारा किया जाता है.
4. इस अधिसूचना द्वारा इस प्रकार सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक की यह पदोन्नति संविदा नियुक्ति, तदर्थ पदोन्नति या नियुक्ति नहीं है. इससे राजस्व निरीक्षक को वरिष्ठता में कोई लाभ, पदोन्नति में लाभ, वेतन का लाभ या अन्य कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा.

5. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक का जिले से बाहर स्थानांतरण होने या पदोन्नति अथवा सीधी भर्ती या स्थानांतरण या संविदा नियुक्ति से जिले में नियमित नायब तहसीलदार की पदस्थापना होने पर सबसे कनिष्ठ अर्थात् उक्त अधिसूचना में जिले में सबसे निचले क्रम के राजस्व निरीक्षक को प्राप्त तहसीलदार की शक्तियां स्वतः समाप्त समझी जाएगी तथा कलेक्टर द्वारा दी गई क्षेत्रीय अधिकारिता समाप्त हो जाएगी.

6. राज्य सरकार उक्त अधिसूचना द्वारा प्रदत्त शक्तियां बिना किसी पूर्व सूचना के कभी भी वापस ले सकेगी.

7. उक्त अधिसूचना द्वारा प्रदत्त अधिकारों का क्रियान्वयन करने के लिये राज्य सरकार समय-समय पर निर्देश जारी कर सकेगी.

क्र. एफ 1-52-स्था./प्र.रा.आ.-2017-3270.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 24 की उपधारा (1) प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, जिला मंदसौर में पदस्थ निम्नलिखित राजस्व निरीक्षक को निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जिले के कलेक्टर द्वारा किए गए कार्य विभाजन के अनुसार निर्धारित क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर, नायब तहसीलदार के रूप में कार्य संपादन करने के लिए, उक्त संहिता में उल्लेखित तहसीलदार की शक्तियां प्रदान करती है :—

स. क्र. राजस्व निरीक्षक का नाम

1 श्री तेजकरण वर्मा

2 श्री मुकेश सोनी

2. शर्तें.—

1. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक कलेक्टर द्वारा कार्य विभाजन करने एवं क्षेत्रीय अधिकारिता के निर्धारण के पश्चात् ही शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे. यदि निर्धारित क्षेत्रीय अधिकारिता के बाहर शक्तियों का प्रयोग किया जाता है तो किया गया कार्य अकृत तथा शून्य माना जाएगा.

2. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए ऐसे राजस्व निरीक्षक को, जो गृह जिले में पदस्थ हैं, कलेक्टर कार्य विभाजन कर, गृह तहसील में क्षेत्रीय अधिकारिता प्रदान नहीं करेंगे.

3. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक नायब तहसीलदार की पदमुद्रा का प्रयोग एवं कर्तव्यों का निर्वहन उसी प्रकार करेंगे जिस प्रकार नायब तहसीलदार द्वारा किया जाता है।
4. इस अधिसूचना द्वारा इस प्रकार सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक की यह पदोन्नति संविदा नियुक्ति, तदर्थ पदोन्नति या नियुक्ति नहीं है। इससे राजस्व निरीक्षक को वरिष्ठता में कोई लाभ, पदोन्नति में लाभ, वेतन का लाभ या अन्य कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा।
5. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक का जिले से बाहर स्थानांतरण होने या पदोन्नति अथवा सीधी भर्ती या स्थानांतरण या संविदा नियुक्ति से जिले में नियमित नायब तहसीलदार की पदस्थापना होने पर सबसे कनिष्ठ अर्थात् उक्त अधिसूचना में जिले में सबसे निचले क्रम के राजस्व निरीक्षक को प्राप्त तहसीलदार की शक्तियां स्वतः समाप्त समझी जाएगी तथा कलेक्टर द्वारा दी गई क्षेत्रीय अधिकारिता समाप्त हो जाएगी।
6. राज्य सरकार उक्त अधिसूचना द्वारा प्रदत्त शक्तियां बिना किसी पूर्व सूचना के कभी भी वापस ले सकेगी।
7. उक्त अधिसूचना द्वारा प्रदत्त अधिकारों का क्रियान्वयन करने के लिये राज्य सरकार समय-समय पर निर्देश जारी कर सकेगी।

क्र. एफ 1-52-स्था./प्र.रा.आ.-2017-3272.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 24 की उपधारा (1) प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, जिला कटनी में पदस्थ निम्नलिखित राजस्व निरीक्षक को निम्नलिखित शर्तों के अधधीन रहते हुए, जिले के कलेक्टर द्वारा किए गए कार्य विभाजन के अनुसार निर्धारित क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर, नायब तहसीलदार के रूप में कार्य संपादन करने के लिए, उक्त संहिता में उल्लेखित तहसीलदार की शक्तियां प्रदान करती है :—

स. क्र. राजस्व निरीक्षक का नाम

1 श्री महेन्द्र द्विवेदी

2. शर्तें.—

1. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक कलेक्टर द्वारा कार्य विभाजन करने एवं क्षेत्रीय अधिकारिता के निर्धारण के पश्चात् ही शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे। यदि निर्धारित क्षेत्रीय अधिकारिता के बाहर शक्तियों का प्रयोग किया जाता है तो किया गया कार्य अकृत तथा शून्य माना जाएगा।
2. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए ऐसे राजस्व निरीक्षक को, जो गृह जिले में पदस्थ हैं, कलेक्टर कार्य विभाजन कर, गृह तहसील में क्षेत्रीय अधिकारिता प्रदान नहीं करेंगे।
3. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक नायब तहसीलदार की पदमुद्रा का प्रयोग एवं कर्तव्यों का निर्वहन उसी प्रकार करेंगे जिस प्रकार नायब तहसीलदार द्वारा किया जाता है।
4. इस अधिसूचना द्वारा इस प्रकार सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक की यह पदोन्नति संविदा नियुक्ति, तदर्थ पदोन्नति या नियुक्ति नहीं है। इससे राजस्व निरीक्षक को वरिष्ठता में कोई लाभ, पदोन्नति में लाभ, वेतन का लाभ या अन्य कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा।
5. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक का जिले से बाहर स्थानांतरण होने या पदोन्नति अथवा सीधी भर्ती या स्थानांतरण या संविदा नियुक्ति से जिले में नियमित नायब तहसीलदार की पदस्थापना होने पर सबसे कनिष्ठ अर्थात् उक्त अधिसूचना में जिले में सबसे निचले क्रम के राजस्व निरीक्षक को प्राप्त तहसीलदार की शक्तियां स्वतः समाप्त समझी जाएगी तथा कलेक्टर द्वारा दी गई क्षेत्रीय अधिकारिता समाप्त हो जाएगी।
6. राज्य सरकार उक्त अधिसूचना द्वारा प्रदत्त शक्तियां बिना किसी पूर्व सूचना के कभी भी वापस ले सकेगी।
7. उक्त अधिसूचना द्वारा प्रदत्त अधिकारों का क्रियान्वयन करने के लिये राज्य सरकार समय-समय पर निर्देश जारी कर सकेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एम. के. अग्रवाल, प्रमुख राजस्व आयुक्त म. प्र.
एवं पदेन सचिव.

राज्य शासन के आदेश

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 मई 2017

क्रमांक 3366 /एफ-5-6/2016/तेरह : राज्य सरकार, एतद्वारा, विभाग की अधिसूचना क्रमांक 5088/एफ-2-3/13/98 दिनांक 17 जुलाई, 1998 को अधिष्ठित करते हुए, विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 162 की उप-धारा (1) के अधीन मुख्य अभियंता (विद्युत् सुरक्षा) एवं मुख्य विद्युत् निरीक्षक, अधीक्षण यंत्री (विद्युत् सुरक्षा) एवं उप मुख्य विद्युत् निरीक्षक, कार्यपालन यंत्री (विद्युत् सुरक्षा) एवं संभागीय विद्युत् निरीक्षक को उनकी अधिकारिता के भीतर नियुक्त करते हुए केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत् आपूर्ति संबंधी उपाय) विनियम, 2010 के विनियम 30, विनियम 32, विनियम 36 तथा विनियम 43 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए परिशिष्ट-एक तथा परिशिष्ट-दो में विनिर्दिष्ट संस्थापनाओं के संबंध में उक्त विनियम अन्तर्गत कार्यों के सम्पादन हेतु अधिकृत करती है -

परिशिष्ट-एक विद्युत् निरीक्षक की शक्तियां

अ. क्र.	शक्तियां	मुख्य अभियंता (विद्युत् सुरक्षा) एवं मुख्य विद्युत् निरीक्षक	अधीक्षण यंत्री (विद्युत् सुरक्षा) एवं उप मुख्य विद्युत् निरीक्षक	कार्यपालन यंत्री (विद्युत् सुरक्षा) एवं संभागीय विद्युत् निरीक्षक
		सम्पूर्ण मध्यप्रदेश सम्पूर्ण शक्तियां	वृत्तीय क्षेत्र के अधीन सम्पूर्ण शक्तियां	संभागीय क्षेत्र के अधीन सम्पूर्ण शक्तियां
1.	650 वोल्ट तक की विद्युत् संस्थापनाएं (सिनेमा एवं जनरेटिंग स्टेशन को छोड़कर)	सम्पूर्ण शक्तियां	सम्पूर्ण शक्तियां	सम्पूर्ण शक्तियां
2.	सिनेमा संस्थापनाएं	सम्पूर्ण शक्तियां	सम्पूर्ण शक्तियां	सम्पूर्ण शक्तियां (नई संस्थापना को छोड़कर)
3.	म.प्र.पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमि./ विद्युत् वितरण कंपनी लिमि. / वितरण कंपनी / फ्रेंचायजी की संस्थापनाएं	निम्नलिखित क्षमता की संस्थापनाओं के लिए सम्पूर्ण शक्तियां— 5000 के.व्ही.ए. से अधिक की संस्थापनाएं एवं उससे जुड़ी लाईनें।	निम्नलिखित क्षमता की संस्थापना के लिए सम्पूर्ण शक्तियां— 500 के.व्ही.ए. से अधिक एवं 5000 के.व्ही.ए. तक की संस्थापनाएं एवं उससे जुड़ी लाईनें।	निम्नलिखित क्षमता की संस्थापना के लिए सम्पूर्ण शक्तियां— 500 के.व्ही.ए. तक की संस्थापनाएँ एवं उससे जुड़ी लाईनें।

अ. क्र.	शक्तियां	मुख्य अभियंता (विद्युत् सुरक्षा) एवं मुख्य विद्युत् निरीक्षक	अधीक्षण यंत्री (विद्युत् सुरक्षा) एवं उप मुख्य विद्युत् निरीक्षक	कार्यपालन यंत्री (विद्युत् सुरक्षा) एवं संभागीय विद्युत् निरीक्षक
4.	उपभोक्ताओं की संस्थापनायें (जनरेटिंग स्टेशन छोड़कर)	निम्नलिखित क्षमता की संस्थापना के लिए सम्पूर्ण शक्तियां— 5000 के.व्ही.ए. से अधिक की संस्थापनायें एवं उससे जुड़ी लाईनें।	निम्नलिखित क्षमता की संस्थापना के लिए सम्पूर्ण शक्तियां— 500 के.व्ही.ए. से अधिक एवं 5000 के.व्ही.ए. तक की संस्थापनाएं एवं उससे जुड़ी लाईनें।	निम्नलिखित क्षमता की संस्थापना के लिए सम्पूर्ण शक्तियां— 500 के.व्ही.ए. तक की संस्थापनाएं एवं उससे जुड़ी लाईनें।
5.	जनरेटिंग स्टेशन	निम्नलिखित क्षमता की संस्थापना के लिए सम्पूर्ण शक्तियां— 5000 के.व्ही.ए. से अधिक की संस्थापनाएं	निम्नलिखित क्षमता की संस्थापना के लिए सम्पूर्ण शक्तियां— 500 के.व्ही.ए. से अधिक एवं 5000 के.व्ही.ए. तक की संस्थापनाएं	निम्नलिखित क्षमता की संस्थापना के लिए सम्पूर्ण शक्तियां— 100 के.व्ही.ए. से अधिक एवं 500 के.व्ही.ए. तक की संस्थापनाएं
6.	बहु-मंजिला इमारत	निम्नलिखित क्षमता की संस्थापना के लिए सम्पूर्ण शक्तियां— 15 मीटर से अधिक ऊँचाई वाले तथा 11 के.व्ही. से अधिक वोल्टेज से संसक्त बहु-मंजिला भवन जिसका विद्युत् भार 5000 के.व्ही.ए. से अधिक हो।	निम्नलिखित क्षमता की संस्थापना के लिए सम्पूर्ण शक्तियां— 15 मीटर से अधिक ऊँचाई वाले तथा 11 के.व्ही. से अधिक वोल्टेज से संसक्त बहु मंजिला भवन जिसका विद्युत् भार 500 के.व्ही.ए. से अधिक परन्तु 5000 के.व्ही.ए. तक हो।	निम्नलिखित क्षमता की संस्थापना के लिए सम्पूर्ण शक्तियां— 15 मीटर से अधिक ऊँचाई वाले तथा 11 के.व्ही. से अधिक वोल्टेज से संसक्त बहु मंजिला भवन जिसका विद्युत् भार 150 के.व्ही.ए. से अधिक परन्तु 500 के.व्ही.ए. तक हो।

- शर्तें :** (1) कार्यपालन यंत्री (विद्युत् सुरक्षा) एवं संभागीय विद्युत् निरीक्षक को प्रदत्त शक्तियां केवल उन कार्यपालन यंत्री (विद्युत् सुरक्षा) एवं संभागीय विद्युत् निरीक्षक को निष्पादित की जाएंगी, जो विद्युत् यांत्रिकी में स्नातक अथवा उसके समकक्ष हो। किन्तु उस दशा में जबकि कार्यपालन यंत्री (विद्युत् सुरक्षा) एवं संभागीय विद्युत् निरीक्षक विद्युत् यांत्रिकी में डिप्लोमा रखते हों तब शक्तियों का प्रयोग उनके नियंत्रण अधिकारी, अधीक्षण यंत्री (विद्युत् सुरक्षा) एवं उप मुख्य विद्युत् निरीक्षक द्वारा किया जाएगा।
- (2) "ए" श्रेणी विद्युत् ठेकेदार को 33 के.व्ही. से अधिक तथा लिफ्ट तथा एक्सकेलेटर की नवीन संस्थापना के लिए लिखित अनुमोदन मुख्य अभियंता (विद्युत् सुरक्षा) एवं मुख्य विद्युत् निरीक्षक से प्राप्त करना होगा।

- (3) मुख्य अभियंता (विद्युत सुरक्षा) एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक, विद्युत् अधिनियम, 2003 एवं केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत् आपूर्ति संबंधी उपाय) विनियम, 2010 के अधीन शक्तियों एवं कृत्यों को ऐसे निरीक्षकों/अधिकारियों को सौंप सकेगा, जिन्हे वे उचित समझे।
- (4) इस अधिसूचना के किसी भी उपबंध का, जो मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 8560-2015-तेरह दिनांक 14.08.2015 के उपबंधों से असंगत है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

परिशिष्ट-दो

निरीक्षण संबंधी कृत्य

अ. क्र.	निरीक्षण/परीक्षण संबंधी कार्य	अधीक्षण यंत्री (विद्युत् सुरक्षा) एवं उप मुख्य विद्युत् निरीक्षक	कार्यपालन यंत्री (विद्युत् सुरक्षा) एवं सभागीय विद्युत् निरीक्षक	सहायक यंत्री (विद्युत् सुरक्षा) एवं सहायक विद्युत् निरीक्षक	उप यंत्री
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	उपभोक्ता (सिनेमा एवं जनरेटिंग स्टेशन को छोड़कर)	—	—	—	250 वोल्ट से अधिक 650 वोल्ट तक
2.	सिनेमा संस्थापनाएं	—	—	स्थायी सिनेमा	अस्थायी सिनेमा एवं अस्थायी कनेक्शन
3.	म.प्र.पावर जनरेटिंग कंपनी लिमि./ म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमि./म.प्र. विद्युत् वितरण कंपनी लिमि./ फ्रेंचायजी की संस्थापना	220 के.व्ही. से 400 के.व्ही तक की संस्थापना तथा उससे जुड़ी लाईन /केबल	132 के.व्ही की संस्थापना तथा 33/11 के.व्ही की 5000 के.व्ही.ए. से अधिक के उपकेन्द्र एवं उससे जुड़ी लाईन/ केबल	5000 के.व्ही.ए. तक की संस्थापनाएं तथा उससे जुड़ी लाईन केबल	500 के.व्ही.ए. तक की संस्थापनाएं तथा उससे जुड़ी लाईन/केबल
4.	उपभोक्ताओं की संस्थापनाएं (जनरेटिंग स्टेशन को छोड़कर)	5000 के.व्ही.ए. से अधिक की संस्थापनाएं तथा उससे जुड़ी लाईनें /केबल	1000 के.व्ही.ए. से अधिक एवं 5000 के.व्ही.ए. तक की संस्थापनाएं तथा उससे जुड़ी लाईनें / केबल	250 के.व्ही.ए. से अधिक एवं 1000 के.व्ही.ए. तक की संस्थापनाएं तथा उससे जुड़ी लाईनें / केबल	250 के.व्ही.ए. तक की संस्थापनाएं तथा उससे जुड़ी लाईन / केबल
5.	जनरेटिंग स्टेशन	5000 के.व्ही.ए. से अधिक की संस्थापनाएं तथा उससे जुड़ी लाईनें/ केबल	1000 के.व्ही.ए. से अधिक एवं 5000 के.व्ही.ए. तक की संस्थापनाएं तथा उससे जुड़ी लाईनें / केबल	100 के.व्ही.ए. से अधिक एवं 1000 के.व्ही.ए. तक की संस्थापनाएं तथा उससे जुड़ी लाईनें / केबल	—

अ. क्र.	निरीक्षण/परीक्षण संबंधी कार्य	अधीक्षण यंत्री (विद्युत् सुरक्षा) एवं उप मुख्य विद्युत् निरीक्षक	कार्यपालन यंत्री (विद्युत् सुरक्षा) एवं सभागीय विद्युत् निरीक्षक	सहायक यंत्री (विद्युत् सुरक्षा) एवं सहायक विद्युत् निरीक्षक	उप यंत्री
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6.	लिफ्ट / एक्सकेलेटर संस्थापना	—	1000 के.व्ही.ए. से अधिक तथा 5000 के.व्ही.ए. तक की संस्थापना में स्थापित	100 के.व्ही.ए. से अधिक तथा 1000 के.व्ही.ए. तक की संस्थापना में स्थापित	—
7.	बहु-मंजिला इमारत	15 मीटर से अधिक ऊँचाई वाली और 11 केव्ही से अधिक वोल्टेज पर संसक्त बहु - मंजिला इमारत जिसका विद्युत भार 5000 के.व्ही.ए. से अधिक हो	15 मीटर से अधिक ऊँचाई वाली और 11 केव्ही से अधिक वोल्टेज पर संसक्त बहु- मंजिला इमारत जिसका विद्युत भार 1000 के.व्ही.ए. से अधिक एवं 5000 के.व्ही.ए. तक हो	15 मीटर से अधिक ऊँचाई वाली और 11 केव्ही से अधिक वोल्टेज पर संसक्त बहु- मंजिला इमारत जिसका विद्युत भार 150 के.व्ही.ए. से अधिक एवं 1000 के.व्ही.ए. तक हो	—
8.	दुर्घटना की जांच	संस्थापनाएं जिनमें निरीक्षण की शक्तियाँ दी गई है	संस्थापनाएं जिनमें निरीक्षण की शक्तियाँ दी गई है	संस्थापनाएं जिनमें निरीक्षण की शक्तियाँ दी गई है	संस्थापनाएं जिनमें निरीक्षण की शक्तियाँ दी गई है

शर्त : निरीक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि विद्युत् ठेकेदार द्वारा 33 केव्ही से अधिक की संस्थापना लिफ्ट/एक्सकेलेटर की संस्थापना के पूर्व मुख्य अभियंता (विद्युत् सुरक्षा) एवं मुख्य विद्युत् निरीक्षक से लिखित अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है ।

No. 3366 /F-5-6/2016/Thirteen : In exercise of powers conferred by Sub-Section (1) of Section 162 the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003) and in supersession of this department Notification no.5088/F-2-3/13/98 dated 17th July 1998, State Government, hereby, appointing Chief Engineer (Electrical Safety) and Chief Electrical Inspector, Superintending Engineer (Electrical Safety) and Deputy Chief Electrical Inspector, Executive Engineer (Electrical Safety) and Divisional Electrical Inspector within their respective jurisdiction authorizes them in exercise of powers conferred by the Regulation 30, Regulation 32 and Regulation 36 of the Central Electricity Authority (Measures Relating to Safety and Electric Supply) Regulation, 2010 to execute works in the installations specified in Annexure-I and Annexure-II under the aforesaid Regulation-

ANNEXURE-I

The Powers of Electrical Inspector

S. No.	Powers	Chief Engineer (Electrical Safety) and Chief Electrical Inspector	Superintending Engineer (Electrical Safety) and Deputy Chief Electrical Inspector	Executive Engineer (Electrical Safety) and Divisional Electrical Inspector
		Whole Madhya Pradesh	Area under the circle	Area under division
1.	Electrical Installations up to 650 volts (Except Cinema & Generating Station)	All Powers	All Powers	All Powers
2.	Cinema Installations	All Powers	All Powers	All Powers (Except New Installations)

S. No.	Powers	Chief Engineer (Electrical Safety) and Chief Electrical Inspector	Superintending Engineer (Electrical Safety) and Deputy Chief Electrical Inspector	Executive Engineer (Electrical Safety) and Divisional Electrical Inspector
		Whole Madhya Pradesh	Area under the circle	Area under division
3.	M.P. Power Transmission Co. Ltd. / Electrical Distribution Co.Ltd. / Installation of Franchisee	All Powers of the Installations for the following Capacity-Installations Above 5000 KVA and their connected Lines .	All Powers of the Installation for the following Capacity-Installations Above 500 KVA and up to 5000 KVA and their connected Lines .	All Powers of the Installation for the following Capacity-Installations Up to 500 KVA and their connected Lines .
4.	Consumer's Installations (Except Generating Station)	All Powers of the Installation for the following Capacity-Installations Above 5000 KVA and their connected Lines .	All Powers of the Installation for the following Capacity-Installations Above 500 KVA and up to 5000 KVA and their connected Lines .	All Powers of the Installation for the following Capacity-Installations Up to 500 KVA and their connected Lines .
5.	Generating Station	All Powers of the Installation for the following Capacity-Installations Above 5000 KVA	All Powers of the Installation for the following Capacity-Installations Above 500 KVA and up to 5000 KVA	All Powers of the Installation for the following Capacity - Installations above 100 KVA and up to 500 KVA
6.	Multi-storied Building	All Powers of the Installation for the following Capacity-Multi-storied Building which are above 15M. Height and connected to above 11 KV voltage and having electric load more than 5000 KVA	All Powers of the Installation for the following Capacity-Multi-storied Building which are above 15M. Height and connected to above 11 KV voltage and having electric load of more than 500 KVA and up to 5000 KVA	All Powers of the Installation for the following Capacity - Multi - storied Building which are above 15M. Height and connected to above 11 KV voltage and having electric load of more than 150 KVA and up to 500 KVA.

Conditions -

1. The powers conferred to Executive Engineer (Electrical Safety) and Divisional Electrical Inspector shall only be executed by those Executive Engineer (Electrical Safety) and Divisional Electrical Inspector who possess Degree in Electrical Engineering or its equivalent but in case of Executive Engineer (Electrical Safety) and Divisional Electrical Inspector possessing Diploma in Electrical Engineering the powers shall be exercised by their controlling officer Superintending Engineer (Electrical Safety) and Deputy Chief Electrical Inspector.
2. "A" Class Electrical Contractor shall have to obtain written approval from Chief Engineer (Electrical Safety) and Chief Electrical Inspector for the installation above 33 KV capacity and new installation of Lift and escalator.
3. Chief Engineer (Electrical Safety) and Chief Electrical Inspector may delegate the powers and functions under the Electricity Act 2003 and Central Electricity Authority (Measure Relating to Safety and Electric Supply) Regulations, 2010 to such Inspectors / Officers to whom he may think fit .
4. Any provision of this notification, which is not consistent with the provisions of Government of M.P. Energy Department notification No. 8560-2015-XIII dated 14-08-2015 shall have no effect.

ANNEXURE-II**Functions related to Inspections**

S. No.	Works related to Inspection /Testing	Superintending Engineer (Electrical Safety) and Deputy Chief Electrical Inspector	Executive Engineer (Electrical Safety) and Divisional Electrical Inspector	Assistant Engineer (Electrical Safety) and Assistant Electrical Inspector	Sub-Engineer
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Consumer (Except Cinema and Generating Station)	-	-	-	Above 250 volt up to 650 volt
2.	Cinema Installations	-	-	Permanent Cinema	Temporary Cinema and Temporary Connections

S. No.	Works related to Inspection /Testing	Superintending Engineer (Electrical Safety) and Deputy Chief Electrical Inspector	Executive Engineer (Electrical Safety) and Divisional Electrical Inspector	Assistant Engineer (Electrical Safety) and Assistant Electrical Inspector	Sub-Engineer
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	M.P. Power Generating Co. Ltd / M.P. Power Transmission Co. Ltd./ Electrical Distribution Co. Ltd. / Installation of Franchisee	Installations of 220 KV to 400 KV and their connected Lines / Cables .	Installations of 132 KV & 33/11 KV above 5000 KVA Sub-Station and their connected Lines / Cables .	Installations Up to 5000 KVA and their connected Lines /Cables	Installations Up to 500 KVA and their connected Lines /Cables
4.	Consumer's Installations (Except Generating Station)	Installations Above 5000 KVA and their connected Lines / Cables.	Installations Above 1000 KVA and up to 5000 KVA and their connected Lines /Cables.	Installations Above 250 KVA and up to 1000 KVA and their connected Lines /Cables.	Installations Up to 250 KVA and their connected Lines /Cables
5.	Generating Station	Installations Above 5000 KVA and their connected Lines /Cables.	Installations Above 1000 KVA and up to 5000 KVA and their connected Lines /Cables.	Installations Above 100 KVA and up to 1000 KVA and their connected Lines /Cables.	-
6.	Lift / Escalator Installation	-	In the installation of Capacity above 1000 KVA and up to 5000 KVA	In the installation of Capacity above 100 KVA and up to 1000 KVA	-
7.	Multi-storied Building	Multi-storied Building which are above 15M. Height and connected to	Multi-storied Building which are above 15 M. Height and	Multi-storied Building which are above 15M. Height and	-

		above 11 KV voltage and having capacity more than 5000 KVA	connected to above 11 KV voltage and having capacity more than 1000 KVA and up to 5000 KVA	connected to above 11 KV voltage and having capacity more than 150 KVA and up to 1000 KVA.	
8.	Investigation of accidents	Installation in which powers for inspection are given .	Installation in which powers for inspection are given .	Installation in which powers for inspection are given .	Installation in which powers for inspection are given .

Condition -

The Inspector shall ensure that the Electrical Contractor has obtained written approval from Chief Engineer (Electrical Safety) and Chief Electrical Inspector before installation of Lift/ Escalator and the installations of more than 33 KV voltage.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इकबाल सिंह बैस, अपर मुख्य सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व),
तहसील-हातोद, जिला इन्दौर (म. प्र.)

राजस्व प्रकरण क्रमांक-11-अ-82-2016-17

क्र. 866-भू-अर्जन-2017

हातोद, दिनांक 1 जून 2017

प्ररूप- "घ" { नियम- 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक- 214/भू-अर्जन/2017, हातोद, दिनांक 02/03/2017 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना की बाँधी तट बहाव की मुख्य नहर के निर्माण के अंतर्गत ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम- इंगोरिया, तहसील- बड़नगर, जिला- उज्जैन तक जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 24.03.2017 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिमोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्काकमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार केलिये अर्जित की जाने वालीभूमि (हेक्टेयर में)	
1	2	3	4	5	
इन्दौर	हातोद	पिपलोदा प.ह.नं.- 03	331/6	0.072	
			331/7	0.126	
			331/8	0.002	
			331/9	0.126	
				331/10	0.003
				339/2	0.047
				339/3	0.045
				339/4	0.022
				339/5	0.017
				339/6	0.058
				343	0.014
कुल योग			11	0.532	

क्र. 869-भू-अर्जन-2017

प्ररूप- "घ"
{ नियम- 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक-156/भू-अर्जन/2017, हातोद, दिनांक 17/02/2017 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना की बाँधी तट बहाव की मुख्य नहर के निर्माण के अंतर्गत ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम- इंगोरिया, तहसील- बड़नगर, जिला- उज्जैन तक जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 24/02/17 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्काक्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार केलिये अर्जित की जाने वालीभूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	हातोद	हसनाबाद प.ह.नं.- 02	232/3	0.018
			232/10	0.001
			233/1	0.081
			233/2	0.126
			235/1	0.003
कुल योग			5	0.229

क्र. 872-भू-अर्जन-2017

प्ररूप- "घ"
{ नियम- 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक- 224/भू-अर्जन/2017, हातोद, दिनांक 02/03/2017 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना की बाँधी तट बहाव की मुख्य नहर के निर्माण के अंतर्गत ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम- इंगोरिया, तहसील- बड़नगर, जिला- उज्जैन तक जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 24.03.2017 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्काक्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार केलिये अर्जित की जाने वालीभूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	हातोद	बड़ीकलमेर प.ह.नं.- 33	274	0.009
			276/2	0.030
			275/1	0.002
			275/2	0.025
			277	0.036

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्काकमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार केलिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	हातोद	बड़ीकलमेर प.ह.नं.- 33	282/1	0.066
			282/2	
			283	0.081
			284/1	0.011
			284/2	
कुल योग			10	0.260

राजस्व प्रकरण क्रमांक-05-अ-82-2016-17

क्र. 875-भू-अर्जन-2017

प्ररूप- "घ"
{ नियम- 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना कमांक- 176/भू-अर्जन/2017, हातोद, दिनांक 17/02/2017 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना की बाँयी तट बहाव की मुख्य नहर के निर्माण के अंतर्गत ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम- इंगोरिया, तहसील- बड़नगर, जिला- उज्जैन तक जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 24/02/17 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्काकमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार केलिये अर्जित की जाने वालीभूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	हातोद	गोहान प.ह.नं.- 29	79/1/3/2	0.024 -
			79/2/2	0.077 ✓
			79/7	
			79/2/3	0.023 -
			79/2/4	0.036 -
			79/3/1	0.054 ✓
			79/4/1	0.083 ✓
			79/4/2	0.083 ✓
			82/2	0.061 ✓
			82/4	0.130 ✓
कुल योग			10	0.571

राजस्व प्रकरण क्रमांक-01-अ-82-2016-17

क्र. 878-भू-अर्जन-2017

प्ररूप- "घ" { नियम- 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना कमांक-171/भू-अर्जन/2017, हातोद, दिनांक 17/02/2017 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना की बॉयी टट बहाव की मुख्य नहर के निर्माण के अंतर्गत ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम- इंगोरिया, तहसील- बड़नगर, जिला- उज्जैन तक जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 24/02/17 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्काकमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार केलिये अर्जित की जाने वालीभूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	हातोद	सिंगावदा प.ह.नं.- 32	108/3	0.124
			110/1	0.002
			111	0.135
			117	0.086
			133/1	0.072
			133/3	0.169
			134/1	0.120
			134/2/1	0.030
			134/2/2	0.031
			148/1	0.074
			170/1	0.173
			148/7	0.040
			148/9	0.018
			148/8	0.082
			150/1	0.052
			150/2	0.001
			151/1	0.007
			152/1	0.076
			154/1/1	0.007
			170/2	0.005
			174/1	0.052
			175/2	0.068
			176/2	0.030
			177/1	0.139
			177/2/4	0.074
			180/1	0.086
कुल योग			26	1.753

क्र. 881-भू-अर्जन-2017

प्ररूप- 'घ'
{ नियम- 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक-166/भू-अर्जन/2017, हातोद, दिनांक 17/02/2017 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना की बॉयी तट बहाव की मुख्य नहर के निर्माण के अंतर्गत ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम- इंगोरिया, तहसील- बड़नगर, जिला- चज्जैन तक जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 24/02/17 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्काक्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार केलिये अर्जित की जाने वालीभूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	हातोद	मुरखेड़ा प.ह.नं.- 01	233/1	0.036
			240	0.101
			241/1	0.022
			241/2	0.059
			242/1/1/2	0.050

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्काकमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार केलिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	हातोद	मुखेड़ा प.ह.नं.- 01	242/2	0.083
			242/4	0.100
			242/5/2	0.101
			243/1	0.048
			245/5	0.024
			245/2	0.101
			246	0.050
			249/2	0.004
			250/1	0.011
			252/2	0.029
			250/2	0.049
			250/3	0.010
			251	0.054
			253/3	0.059
			252/1	0.032
			252/3	0.138
			252/4	0.001
			303	0.115
			281/1	0.060
			282	0.058
			283/2	0.054
			284/2	0.191
			284/3	0.133
			304/4	0.050
			776/2	0.047
			778	0.070
			779/1	0.068
			797/1	0.056
			799/2/1	0.001
			799/2/2	0.119
			802	0.079
			804	0.104
805/1	0.001			
805/2	0.040			
805/3	0.032			
805/4	0.041			
807	0.072			
808/1	0.003			

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्काकमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार केलिये अर्जित की जाने वालीभूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	हातोद	मुरखेड़ा प.ह.नं.- 01	816/1	0.111
			817	
			816/4	0.047
			816/2	0.090
			818	0.068
			820/2	
			822/5	0.022
			826/3	0.005
			829/1	0.061
			829/2	0.047
			829/3	0.040
			242/7	0.039
कुल योग			55	3.086

राजस्व प्रकरण क्रमांक-10-अ-82-2016-17

क्र. 884-भू-अर्जन-2017

प्ररूप- "घ"
{ नियम- 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना कमांक-204/भू-अर्जन/2017, हातोद, दिनांक 02/03/2017 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना की बाँधी तट बहाव की मुख्य नहर के निर्माण के अंतर्गत ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम- इंगोरिया, तहसील- बदनगर, जिला- उज्जैन तक जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 24.03.2017 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्काकमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार केलिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)		
1	2	3	4	5		
इन्दौर	हातोद	मोहम्मदपुर उर्फ लोडिया प.ह.नं.- 32	83	0.020		
			89/1/1	0.012		
			84/1	0.103		
			91/1/1	0.066		
					91/1/2	0.155
					94/1	0.035
					94/2	
					94/1/3	0.043
					94/2/3	
		कुल योग			7	0.434

राजस्व प्रकरण क्रमांक-03-अ-82-2016-17

क्र. 887-भू-अर्जन-2017

प्ररूप- "घ"
{ नियम- 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना कमांक- 229/भू-अर्जन/2017, हातोद, दिनांक 02/03/2017 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना की बॉयी तट बहाव की मुख्य नहर के निर्माण के अंतर्गत ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम- इंगोरिया, तहसील- बड़नगर, जिला- चण्डीन तक जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 24.03.2017 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिमोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्काकमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार केलिये अर्जित की जाने वालीभूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	हातोद	डांसरी प.ह.नं.- 29	7	0.007
			8	0.058
			9	0.176
			15/1	0.059
			15/5	0.043
			15/2	0.065
			15/4	0.036
			22	0.068
			15/3	0.001
			15/6	0.016
			17	0.094
			21/1	0.001
			23/2	0.018
			29	0.068
			30/1	0.088
			30/2	0.083
			32/3	0.162
			32/4	0.022
			33	0.151
			34/1	0.001
67/3	0.001			
44	0.169			
45/1	0.035			
कुल योग			23	1.422

क्र. 890-भू-अर्जन-2017

प्ररूप- "घ"
{ नियम- 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक-219/भू-अर्जन/2017, हातोद, दिनांक 02/03/2017 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना की बाँयी तट बहाव की मुख्य नहर के निर्माण के अंतर्गत ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम- इंगोरिया, तहसील- बड़नगर, जिला- उज्जैन तक जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 24.03.2017 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिमोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्काक्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार केलिये अर्जित की जाने वालीभूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	हातोद	पलास्या प.ह.नं.- 32	165/3	0.031
			196/2	0.222
			206	0.071
			207/3	0.090
			211/1	0.133
			212/1	0.183
कुल योग			6	0.730

नरेन्द्रनाथ पाण्डे, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मण्डला, दिनांक 1 मई 2017

क्र. भू-अर्जन-2016-17-8 (अ-82) 16-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम एवं प.ह.नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मण्डला	घुघरी	धनगांव, प. ह. नं. 40	14.96	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, मण्डला.	हालौन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बाईं तट मुख्य नहर के निर्माण हेतु.
			कुल . . 14.96		

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.mandla.nic.in, व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाइट www.mprevenue.nic.in, पर भी देखी जा सकती है.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), घुघरी या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, मंडला के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-2016-17-9 (अ-82) 2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम एवं प.ह.नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मण्डला	घुघरी	पोड़ी, प. ह. नं. 40	3.62	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, मण्डला.	हालौन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बाईं तट मुख्य नहर के निर्माण हेतु.
			कुल . . 3.62		

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.mandla.nic.in, व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाइट www.mprevenue.nic.in, पर भी देखी जा सकती है.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), घुघरी या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, मंडला के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-2016-17-10 (अ-82) 2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम एवं प.ह.नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मण्डला	घुघरी	जुनवानी, प. ह. नं. 40	17.60	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, मण्डला.	हालौन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बाईं तट मुख्य नहर के निर्माण हेतु.
कुल . .			17.60		

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.mandla.nic.in, व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाइट www.mprevenue.nic.in, पर भी देखी जा सकती है.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), घुघरी या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, मंडला के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-2016-17-11 (अ-82) 2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम एवं प.ह.नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मण्डला	घुघरी	खजरी, प. ह. नं. 40	1.12	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, मण्डला.	हालौन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बाईं तट मुख्य नहर के निर्माण हेतु.
कुल . .			1.12		

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.mandla.nic.in, व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाइट www.mprevenue.nic.in, पर भी देखी जा सकती है.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), घुघरी या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, मंडला के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-2016-17-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम एवं प.ह.नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मण्डला	बिछिया	दानीटोला (मटावल), प. ह. नं. 34	12.02	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, मण्डला.	हालौन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बाँई तट मुख्य नहर निर्माण हेतु.
कुल . .			12.02		

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in, व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in, पर भी देखी जा सकती है.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), बिछिया या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, मंडला के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-2016-17-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम एवं प.ह.नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मण्डला	बिछिया	फोंक, प. ह. नं. 29	0.88	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, मण्डला.	हालौन सिंचाई परियोजना के बाँई तट अंतर्गत मुख्य नहर एवं फोंक माईनर के निर्माण हेतु.
कुल . .			0.88		

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in, व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in, पर भी देखी जा सकती है.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), बिछिया या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, मंडला के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-2016-17-14 .—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम एवं प.ह.नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मण्डला	बिछिया	करंजिया माल, प. ह. नं. 28	0.11	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, मण्डला.	हालौन सिंचाई परियोजना बाईं तट अतंगत मुख्य नहर निर्माण हेतु.
			कुल . . . 0.11		

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.mandla.nic.in, व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाइट www.mprevenue.nic.in, पर भी देखी जा सकती है.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), बिछिया या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2, मंडला के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-2016-17-15 .—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम एवं प.ह.नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मण्डला	बिछिया	करंजिया रै. प. ह. नं. 28	0.04	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, मण्डला.	हालौन सिंचाई परियोजना बाईं तट अतंगत मुख्य नहर निर्माण हेतु.
			कुल . . . 0.04		

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.mandla.nic.in, व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाइट www.mprevenue.nic.in, पर भी देखी जा सकती है.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), बिछिया या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, मंडला के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-2016-17-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम एवं प.ह.नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मण्डला	बिछिया	पड़रिया, प. ह. नं. 31	2.72	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, मण्डला.	हालौन सिंचाई परियोजना बाईं तट अंतर्गत कोको उप नहर के निर्माण हेतु.
कुल . .			2.72		

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in, व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in, पर भी देखी जा सकती है.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बिछिया या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, मंडला के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-2016-17-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम एवं प.ह.नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मण्डला	बिछिया	केवलारी रै., प. ह. नं. 33	0.12	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, मण्डला.	हालौन सिंचाई परियोजना बाईं तट अंतर्गत मुख्य नहर के निर्माण हेतु.
कुल . .			0.12		

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in, व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in, पर भी देखी जा सकती है.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), बिछिया या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, मंडला के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-2016-17-18.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम एवं प.ह.नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मण्डला	बिछिया	भपसा, प. ह. नं. 34	0.10	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, मण्डला.	हालौन सिंचाई परियोजना बाईं तट अंतर्गत मुख्य नहर के निर्माण हेतु.
			कुल . . . 0.10		

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.mandla.nic.in, व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाइट www.mprevenue.nic.in, पर भी देखी जा सकती है.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), बिछिया या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, मंडला के कार्यालय में किया जा सकता है.

मण्डला, दिनांक 12 मई 2017

क्र. भू-अर्जन-2017-18-32 (अ-82) 2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम एवं प.ह.नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मण्डला	घुघरी	1. उमरडीह 48 2. अंडियादर 48 3. खाल्हेगिठौरी 48	16.20 15.66 2.28	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मण्डला.	गुप्तगंगा जलाशय
			कुल . . . 34.14		

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.mandla.nic.in, व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाइट www.mprevenue.nic.in, पर भी देखा जा सकता है.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), घुघरी या कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मंडला के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-33 (अ-82) 2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन		भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम एवं प.ह.नं.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मण्डला	नारायणगंज	देहरा, प.ह.नं. 23	0.11	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मण्डला.	देहरा जलाशय हेतु,
			कुल . . 0.11		

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.mandla.nic.in, व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाइट www.mprevenue.nic.in, पर भी देखा जा सकता है.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), निवास या कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मंडला के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रीति मैथिल नायक, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 9 मई 2017

पत्र क्र. 743-प्रशा. भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन		लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	नौसा	1.700	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा, म. प्र.	बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

पत्र क्र. 745-प्रशा. भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब-माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	सेमरिया	3.500	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा, म. प्र.	बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

पत्र क्र. 747-प्रशा. भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब-माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	कुसमहट	5.500	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा, म. प्र.	बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

पत्र क्र. 749-प्रशा. भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब-माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	कस्तरा	2.500	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा, म. प्र.	बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

पत्र क्र. 751-प्रशा. भू-अर्जन-2017.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूँकि बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	बिछिया खुर्द	5.500	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा, म. प्र.	बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

पत्र क्र. 753-प्रशा. भू-अर्जन-2017.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूँकि बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	आनन्दगढ़	6.500	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा, म. प्र.	बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

पत्र क्र. 755-प्रशा. भू-अर्जन-2017.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूँकि बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	जमुना	3.000	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा, म. प्र.	बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

पत्र क्र. 757-प्रशा. भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	अजमाइन	3.500	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा, म. प्र.	बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

पत्र क्र. 759-प्रशा. भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	विधुई खुर्द	2.000	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा, म. प्र.	बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

पत्र क्र. 761-प्रशा. भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	जोड़ौरी-180	3.500	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा, म. प्र.	डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 12 के नहर निर्माण कार्य हेतु.

पत्र क्र. 763-प्रशा. भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब-माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	अकौरी नं. 1,1	2.300	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.).	डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 12 के नहर निर्माण कार्य हेतु.

पत्र क्र. 765-प्रशा. भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब-माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	कोलहाई-90	0.100	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.).	डगडगपुर वितरक के नहर निर्माण हेतु.

पत्र क्र. 767-प्रशा. भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के माइनर एवं सबमाइनर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	नरहा-310	1.000	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.).	बहुती मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.

पत्र क्र. 769-प्रशा. भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के अमिलकी वितरक के माइनर एवं सब-माइनर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	नवागांव-314	5.500	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.).	बहुती नहर के अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 19 नहर निर्माण कार्य हेतु.

पत्र क्र. 771-प्रशा. भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के अमिलकी वितरक के माइनर एवं सब-माइनर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	भांटी-472	1.500	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.).	बहुती नहर के अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 19 नहर निर्माण कार्य हेतु.

पत्र क्र. 773-प्रशा. भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	सिंधौल	3.500	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.).	बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

पत्र क्र. 775-प्रशा. भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब-माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1) सतना	(2) अमरपाटन	(3) शुकुलगावां	(4) 5.500	(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.).	(6) बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. एस. त्रिपाठी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बालाघाट, दिनांक 16 मई 2017

क्र. 3476-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा ब्राड गेज अमान परिवर्तन जो कि भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1) बालाघाट	(2) बालाघाट	(3) बोदा, प.ह.नं. 13/2, रा.नि.म. बालाघाट.	(4) रकबा 0.138 हे. एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	(5) भू-अर्जन अधिकारी, तहसील बालाघाट, जिला बालाघाट.	(6) बालाघाट से जबलपुर ब्राडगेज अमान परिवर्तन निर्माण के लिए निजी भूमि का अधिग्रहण.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईड dm balaghat@nic. in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा, बालाघाट के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील बालाघाट, जिला बालाघाट (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण उप मुख्य अभियंता (निर्माण), द.पू.म. रेलवे, नैनपुर के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, बालाघाट के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भरत यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सिवनी, दिनांक 19 मई 2017

क्र. 3110-जि.भू.अ.-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	भूमि का विवरण नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12	अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	बरघाट	जावरकाठी ब.नं.-207 प.ह.नं.-53/23	1.070 हेक्टेयर एवं उस पर स्थित संपत्तियां.	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर परिषद, बरघाट, जिला सिवनी.	मवेशी बाजार हेतु.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा सिवनी, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर परिषद बरघाट, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा, सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धनराजू एस., कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मंडला, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मंडला, दिनांक 1 मई 2017

क्र. भू-अर्जन-5-(अ-82)2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (1) एवं (6) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—मंडला

(ख) तहसील—बिछिया

(ग) ग्राम—बम्हनी रै., प. ह. नं. 30

(घ) क्षेत्रफल—6.57 हेक्टेयर.

खसरा नंबर (1)	रकबा (हे. में) (2)
301/1	0.37
352/1	0.46
352/2	0.42
350	0.23
349/4	0.05
348/1	0.02
332	0.28
341/2	0.15
341/3	0.06
210/2	0.13
342	0.08
343/1	0.25
343/2	0.08
344	0.10
181	0.44
292/1	0.07
292/2	0.04
280	0.05

(1)	(2)
78	0.08
80	0.02
332	0.15
333	0.02
337	0.09
336	0.09
335	0.15
334/1	0.03
233	0.21
327/1	0.02
234/1	0.06
235/1	0.09
226	0.02
301/1	0.07
343/2	0.02
181	0.45
182/364	0.10
179	0.25
185	0.14
186/1	0.15
186/2	0.03
186/3	0.10
187/1	0.15
187/2	0.02
174/2	0.27
178/1	0.03
175	0.22
167	0.22
165/5	0.04

योग : 6.57

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—हलोन, सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर एवं उप नहर.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, बिछिया एवं कार्यालय कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 2, मंडला में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-6-(अ-82)2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (1) एवं (6) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—मंडला

(ख) तहसील—बिछिया

(ग) ग्राम—टिकरिया रै., प. ह. नं. 31

(घ) क्षेत्रफल—11.30 हेक्टेयर.

खसरा

नंबर

(1)

135/4

135/3

135/2

135/1

125/5

125/4

125/1

136

79/2

79/1

80

81/1

81/2

81/3

82

27

26/1

26/2

26/3

26/4

25

24/1

24/2

24/3

रकबा

(हे. में)

(2)

0.11

0.11

0.15

0.07

0.19

0.10

0.16

0.10

0.05

0.08

0.21

0.07

0.06

0.07

0.08

0.28

0.05

0.05

0.05

0.05

0.09

0.18

0.05

0.10

(1)

12/1

13

14/5

21/1

141

142/2

139

138

137/1

137/3

137/4

135/4

136

153/1

153/2

153/3

159

73

155/2

155/3

70/1

70/2

70/3

62/1

63/1

63/2

64/1

64/2

64/3

65/1

68/2

68/4

68/5

(2)

0.04

0.15

0.08

0.05

0.54

0.15

0.49

0.30

0.092

0.40

0.58

0.79

0.08

0.85

0.17

0.30

0.48

0.35

0.42

0.57

0.14

0.20

0.13

0.14

0.19

0.25

0.03

योग : 11.30

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—हलोन, सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर एवं उप नहर.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, बिछिया एवं कार्यालय कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 2, मंडला में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-7-(अ-82)2016-17.—चूँकि, राज्य शासन को	(1)	(2)
इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1)	265/1	0.07
में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक	265/2	0.03
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और	265/3	0.02
पुनर्व्यवस्थापन में उचित पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013	265/5	0.02
की धारा 19 की उपधारा (1) एवं (6) के उपबंधों के अनुसार यह	249/1	0.04
घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये	249/2	0.05
आवश्यकता है :—	249/3	0.06
अनुसूची	248	0.17
(1) भूमि का वर्णन—	243	0.23
(क) जिला—मंडला	247/1	0.05
(ख) तहसील—बिछिया	242/3	0.06
(ग) ग्राम—नयेगांव रै., प. ह. नं. 30	235/3	0.08
(घ) क्षेत्रफल—6.01 हेक्टेयर.	241	0.12
	237/1	0.02
खसरा	237/2	0.07
नंबर	236	0.25
(1)	201	0.16
	202	0.07
242/1	0.03	204/1
242/2	0.04	196
242/3	0.05	179
244/2	0.03	194
398	0.02	180
445	0.04	181
397/2	0.05	182
392	0.10	160
391	0.03	161
390	0.05	162
387/1	0.06	159
387/2	0.06	158
387/3	0.06	154
386	0.03	186/2
385/1	0.08	157/1
385/2	0.07	149
384/1	0.08	131
384/2	0.08	132
381	0.07	133
380	0.07	134
252	0.08	146
251/2	0.13	135
250/1	0.15	145/2
250/2	0.10	

(1)	(2)
136/1	0.05
136/2	0.04
138	0.05
128	0.04
147	0.06
137	0.07
388/12	0.04
388/10	0.05
388/9	0.05
388/1	0.08
127	0.01
388/13	0.08
383/3	0.07
383/4	0.10
383/5	0.18
383/2	0.12
383/6	0.03
योग : 6.01	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—हलोन, सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर एवं उप नहर.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, बिछिया एवं कार्यालय कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 2, मंडला में किया जा सकता है.

मंडला, दिनांक 12 मई 2017

क्र. 01-भू-अर्जन- प्र. क्र. 01-(अ-82)16-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. इस लघु बरवानी जलाशय परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिए इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—मंडला
(ख) तहसील—घुघरी

(ग) ग्राम—	1. बरवानी- प. ह. नं. 74
	2. पाटन- प. ह. नं. 79
	3. देको- प. ह. नं. 79
	4. मदनपुर- प. ह. नं. 79

(घ) लगभग क्षेत्रफल—16.46 हेक्टेयर.

खसरा नंबर (1)	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में) (2)
---------------------	---

बंड लाईन ग्राम बरवानी

56	0.36
11	0.20
84	0.36
86	0.32
योग : 1.24	

डूब क्षेत्र

82	0.38
61	0.36
60	1.40
84	0.22
86	0.28
87	0.23
10/2	0.20
6	0.84
5	0.22
4	0.25
65	1.42
योग : 5.80	

छांटा

11	1.02
16	0.68
42	0.28
40	0.60
योग : 2.58	

मुख्य नहर ग्राम बरवानी

86	0.10
138	0.10
119	0.02
139	0.01
136/1	0.05
136/2	0.05

(1)	(2)	(1)	(2)
129	0.04	827/1	0.04
125/2	0.04	827/2	0.06
124	0.04	831	0.08
123/2	0.04	832	0.04
122	0.02	833	0.03
117	0.02	835	0.06
110	0.06	836	0.01
	<u>योग : 0.59</u>	860/1	0.04
मुख्य नहर ग्राम पाटन		859	0.04
510	0.04	858	0.04
511	0.08	856/1	0.03
512	0.05	856/2	0.03
513/1	0.05	855	0.03
514	0.08	923	0.1
560/2	0.08	725/1	0.05
560/1	0.08	725/2	0.11
562/1	0.02	724/1	0.03
563	0.10		<u>योग : 1.46</u>
562/2	0.10	मुख्य नहर ग्राम ढेको	
648	0.08	84	0.04
652	0.10	78/3	0.08
676	0.12	81/1	0.04
653	0.14	81/2	0.10
644/1	0.10	81/3	0.04
670	0.08	80	0.12
675	0.07	66	0.12
674	0.02	61	0.08
681/1	0.05	67	0.01
681/2	0.04	59	0.14
	<u>योग : 1.48</u>	129	0.08
सहायक नगर ग्राम पाटन		131	0.1
691/1	0.04	132	0.01
695	0.03	687	0.12
693	0.04	693	0.06
696/1	0.02	682	0.06
696/2	0.02	684	0.04
698	0.12	696	0.01
708	0.21	695/1	0.08
806	0.08	705	0.02
805	0.08	707	0.12

(1)	(2)
657	0.14
711	0.08
713	0.08
715	0.08
योग : 1.85	

सहायक नहर-1 ग्राम ढेको

81/1	0.02
88/3	0.02
88/2	0.03
89	0.02
90	0.01
175	0.01
176	0.02
179	0.02
86/914/1	0.10
187	0.03
202	0.02
203	0.01
योग : 0.31	

सहायक माइनर-2 ग्राम ढेको

687	0.04
245	0.03
246	0.06
247/1	0.02
247/2	0.02
247/3	0.02
248	0.04
249	0.07
306	0.10
307	0.02
308/1	0.05
योग : 0.47	

ग्राम मदनपुर

116	0.03
124	0.01
118	0.05
119	0.02
121/1	0.05
121/2	0.05
291	0.12

(1)	(2)
302	0.05
303	0.05
304/8	0.06
304/9	0.07
304/10	0.06
312	0.06

योग : 0.68

कुल योग : 16.46

1. बरवानी-	10.21 हे.
2. पाटन-	2.94 हे.
3. ढेको-	2.63 हे.
4. मदनपुर-	0.68 हे.
कुल योग : 16.46 हे.	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बखानी जलाशय हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व घुघरी के कार्यालय में या कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मण्डला में किया जा सकता है.

क्र. 01-भू-अर्जन- प्र. क्र. 04-अ-16-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. इस लघु ककनू जलाशय परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—मंडला
(ख) तहसील—घुघरी
(ग) ग्राम—ककनू-प. ह. नं. 41/42
(घ) क्षेत्रफल—1.52 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)
(1)	(2)

ग्राम ककनू

542	0.28
543	0.30

(1)	(2)	(1)	(2)
547	0.12		
539/7	0.07	209	0.04
539/6	0.05	210/3	0.01
560	0.06	239	0.02
523/1	0.05	238	0.02
155/2	0.11	58/10	0.04
523/2	0.10	39	0.02
562	0.14	5/7	0.02
104	0.02	5/8	0.02
155/1	0.03		योग : 0.30
148	0.02		
238	0.13		
239	0.02	50/8	0.05
149/4	0.02	42/4	0.03
	योग : 1.52		योग : 0.08

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व घुघरी के कार्यालय में या कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मण्डला में किया जा सकता है।

क्र. भू-अर्जन- प्र. क्र. 02-अ-(82) 16-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस लघु बनियातारा जलाशय परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—मंडला
 (ख) तहसील—घुघरी
 (ग) ग्राम— 1. बनियातारा- प. ह. नं. 55/110
 2. सालीवाड़ा- प. ह. नं. 55/110
 3. सुड़गांव- प. ह. नं. 56/110
 4. डोंगरगांव-प. ह. नं. 56/110

- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.79 हेक्टेयर.

खसरा नंबर भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)

(1)	(2)
	ग्राम बनियातारा
193/1	0.02
193/2	0.02
206/5	0.07

ग्राम-सालीवाड़ा

31/2	0.07
48/3	0.03
54/2	0.01
72/2	0.04
70/7	0.005
295	0.04
70/8	0.03
78/2	0.01
78/3	0.01
83	0.005
87/1	0.01
175/1	0.01
173/1	0.01
282/3	0.06
232/3	0.04
292	0.02
	योग : 0.40

ग्राम-डोंगरगांव

155/1	0.01
	योग : 0.01

1. बनियातारा- 0.30 हे.
 2. सालीवाड़ा- 0.08 हे.
 3. सुड़गांव- 0.40 हे.
 4. डोंगरगांव- 0.01 हे.
 कुल योग- 0.79 हे.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बनियातारा जलाशय हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व घुघरी के कार्यालय में या कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मण्डला में किया जा सकता है.

क्र. -भू-अर्जन- प्र. क्र. 03(अ--82)16-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. इस लघु मलवाथर जलाशय परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—मंडला
(ख) तहसील—घुघरी
(ग) ग्राम—मलवाथर, प. ह. नं. 53
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.80 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
ग्राम-मलवाथर	
280/2	0.35
280/1	0.10
281	2.20
279	1.42
198/2	0.07
178/3	0.04
274/1	0.09
191/1	0.09
176/2	0.10
278/1	0.05
269/1	0.24
	<u>योग : 4.80</u>

- (2) सार्वजनिक जिसके लिये आवश्यकता है.—मलवाथर जलाशय हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व घुघरी के कार्यालय में या कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मण्डला में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

प्रति मैथिल नायक, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 12 मई 2017

पत्र क्र. 779-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है. कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—हुजूर
(ग) ग्राम—तिघरा-258
(घ) क्षेत्रफल—1.488 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि	
139	0.138
141	0.018
212	0.088
211	0.015
210	0.060
252	0.067
253	0.008
254	0.046
255	0.059
256	0.032
258	0.007
259	0.002
268	0.002
267	0.045
265	0.025
264	0.003
170	0.005
172	0.145

(1)	(2)	घोषित किया जाता है. कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—	
173	0.004		
176	0.043		
182	0.062		
406	0.020		
405	0.024		
184	0.002		
403	0.031		
402	0.023		
401	0.019		
416	0.028		
418	0.022		
420	0.022		
421	0.019		
422	0.036		
377	0.014		
375	0.125		
445	0.074		
446	0.060		
522	0.060		
521	0.003		
523	0.025		
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .	1.481		
ब-म. प्र. शासन की भूमि			
140	0.007		
ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.007		
अ + ब का योग . .	1.488		
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है— “बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 25” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.			
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.			
पत्र क्र. 781-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा			
		अनुसूची	
		(1) भूमि का वर्णन—	
		(क) जिला—सतना	
		(ख) तहसील—अमरपाटन	
		(ग) ग्राम—खजुरी सुखनन्दन	
		(घ) क्षेत्रफल—0.778 हेक्टर	
		खसरा	अर्जित रकबा
		नंबर	(हे. में)
		(1)	(2)
		अ-निजी पट्टे की भूमि	
		12	0.047
		11	0.021
		10	0.025
		9	0.009
		33	0.173
		32	0.009
		31	0.216
		45	0.027
		34	0.004
		43	0.109
		44	0.004
		35	0.028
		36	0.006
		37	0.082
		38	0.009
		39	0.009
		अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .	0.778
		ब-म. प्र. शासन की भूमि	
		ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.000
		अ + ब का योग . .	0.778
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है— “बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 22” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.			
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.			

पत्र क्र. 783-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है. कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—हुजूर
(ग) ग्राम—अगड़ाल-12
(घ) क्षेत्रफल—1.644 हेक्टर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि	
288	0.027
286	0.002
285	0.009
289	0.037
283	0.040
282	0.026
281	0.096
279	0.004
278	0.007
430	0.020
429	0.079
427	0.091
433	0.040
571	0.002
572	0.022
569	0.024
566	0.028
565	0.057
564	0.044
541	0.051
539	0.093
538	0.048
537	0.046
454	0.007

(1)	(2)
464	0.116
465	0.067
469	0.033
471	0.008
470	0.027
500	0.091
474	0.067
499	0.090
481	0.060
492	0.002
186	0.088
185	0.004
184	0.008
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .	
1.561	

ब-म. प्र. शासन की भूमि

1	0.007
497	0.018
496	0.031
483	0.011
484	0.016
ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	
0.083	
अ + ब का योग . .	
1.644	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—
“बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 25” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 785-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है. कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—हुजूर

- (ग) ग्राम—रघुनाथपुर-546
(घ) क्षेत्रफल—1.571 हेक्टर.

सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

खसरा नंबर (1)	अर्जित रकबा (हे. में) (2)	(1) भूमि का वर्णन—	खसरा नंबर (1)	अर्जित रकबा (हे. में) (2)
अ-निजी पट्टे की भूमि		(क) जिला—रीवा		
62	0.268	(ख) तहसील—हुजूर		
63	0.008	(ग) ग्राम—खैरा-137		
70	0.220	(घ) क्षेत्रफल—1.033 हेक्टर.		
71	0.010			
60	0.003			
57	0.146			
93	0.011			
94	0.202			
98	0.013			
97	0.150			
166	0.007			
167	0.084			
168	0.105			
170	0.104			
223	0.026			
222	0.060			
217	0.138			
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . . .				
	1.555			
ब-म. प्र. शासन की भूमि				
165	0.016			
ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग . . .				
	0.016			
अ + ब का योग . . .				
	1.571			

अ-निजी पट्टे की भूमि

खसरा नंबर (1)	अर्जित रकबा (हे. में) (2)
379	0.111
380	0.124
416	0.034
417	0.065
418	0.046
439	0.086
425	0.006
438	0.255
428	0.025
429	0.013
437	0.004
325	0.072
324	0.041
556	0.034
315	0.032
316	0.013
314	0.021
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . . .	
	0.982

ब-म. प्र. शासन की भूमि

392	0.043
431	0.008
ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग . . .	
	0.051
अ + ब का योग . . .	
	1.033

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—
“बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 25” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 787-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है. कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—
“बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 25” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 789-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—हुजूर
(ग) ग्राम—चोरहटी-187
(घ) क्षेत्रफल—1.862 हेक्टर.

खसरा नंबर (1)	अर्जित रकबा (हे. में) (2)
---------------------	---------------------------------

अ-निजी पट्टे की भूमि

212	0.114
213	0.089
214	0.038
226	0.087
227	0.066
231	0.008
225	0.111
211	0.139
210	0.015
209	0.012
204	0.152
200	0.152
198	0.009
199	0.001
197	0.027
196	0.099
193	0.002
192	0.034
191	0.013
189	0.150
184	0.009
187	0.073
180	0.030
114	0.029

(1)	(2)
113	0.060
112	0.005
110	0.003
108	0.047
107	0.034
106	0.031
119	0.008
127	0.034
129	0.023
126	0.011
131	0.025
132	0.081
133	0.011
124	0.010
122	0.002

अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . . . 1.844

ब-म. प्र. शासन की भूमि

144	0.018
ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग . . .	0.018
अ + ब का योग . . .	1.862

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—
“बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 25” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 791-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—हुजूर

(ग) ग्राम—तमरा-251

(घ) क्षेत्रफल—1.475

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

29	0.001
38	0.062
36	0.166
40	0.007
57	0.077
61	0.058
62	0.129
75	0.043
85	0.072
84	0.055
81	0.072
82	0.008
103	0.024
104	0.067
105	0.015
107	0.001
108	0.023
109	0.170
110	0.010
111	0.011
112	0.044
63	0.064
64	0.002
72	0.024
68	0.030
69	0.033
70	0.113
33	0.061
17	0.033

अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . . . 1.475

ब-म. प्र. शासन की भूमि

ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग . . . 0.000

अ + ब का योग . . . 1.475

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—
“बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 22” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 793-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—हुजूर
(ग) ग्राम—उमरी-52
(घ) क्षेत्रफल—1.891

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

82	0.025
70	0.005
81	0.080
80	0.003
76	0.107
75	0.022
77	0.045
74	0.033
78	0.034
50	0.180
47	0.015
239	0.090
245	0.013
244	0.134
247	0.222
373	0.020
374	0.147
372	0.012
378	0.011
377	0.088
380	0.112
363	0.010
385	0.267
386	0.022

(1)	(2)	(1)	(2)
362	0.010	253	0.006
361	0.101	252	0.007
382	0.076	251	0.429
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .	1.884	247	0.061
ब-म. प्र. शासन की भूमि		245	0.143
83	0.007	156	0.051
ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.007	155	0.004
अ + ब का योग . .	1.891	157	0.119
		163	0.016
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—		160	0.009
“बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक के माइनर		159	0.128
क्र. 25” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर		136	0.012
स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.		127	0.053
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं		126	0.040
पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया		123	0.030
जा सकता है.		124	0.057
		121	0.015
पत्र क्र. 795-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को		174	0.112
इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद		175	0.115
(1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि		177	0.152
सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन		62	0.111
पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का		84	0.024
अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा		94	0.065
घोषित किया जाता है. कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित		93	0.071
सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—		89	0.022
		90	0.083
		77	0.091
		76	0.050
		9	0.082
		11	0.063
		6	0.085
		अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .	2.839
		ब-म. प्र. शासन की भूमि	
		266	0.022
		243	0.013
		129	0.022
		63	0.029
		61	0.012
		87	0.010
		ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.108
		अ + ब का योग . .	2.947

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—
“बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 22” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 797-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—हुजूर
(ग) ग्राम—तमरी-255
(घ) क्षेत्रफल—0.903

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

17	0.032
18	0.006
35	0.131
34	0.007
36	0.105
37	0.007
45	0.107
43	0.045
61	0.060
62	0.010
60	0.006
63	0.053
133	0.063
131	0.078
164	0.106
129	0.009
165	0.003

(1) (2)

166	0.009
128	0.066

अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . . . 0.903

ब-म. प्र. शासन की भूमि

ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग . . . 0.000

अ + ब का योग . . . 0.903

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—
“बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 22” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 799-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—हुजूर
(ग) ग्राम—चोरहटा-186
(घ) क्षेत्रफल—4.493

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

1136	0.019
1143	0.052
579	0.072
578	0.098
614	0.067
612	0.082
611	0.083
622	0.070
623	0.094

(1)	(2)	(1)	(2)
607	0.031	473	0.048
625	0.063	472	0.152
772	0.111	465	0.012
771	0.028	463	0.006
770	0.013	464	0.122
765	0.237	466	0.058
762	0.156	467	0.083
759	0.009	54	0.146
763	0.027	53	0.004
758	0.071	52	0.083
757	0.131	51	0.006
753	0.012	72	0.123
756	0.062	76	0.007
816	0.016	77	0.094
817	0.019	85	0.009
818	0.214	84	0.039
1127	0.107	91	0.033
1046	0.080	92	0.050
1047	0.090	93	0.131
1050	0.068	94	0.033
1038	0.031	अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .	4.361
1056	0.048		
1057	0.093	ब-म. प्र. शासन की भूमि	
1052	0.100	1032	0.011
1053	0.001	769	0.016
1062	0.006	1137	0.098
1063	0.056	501	0.007
1069	0.034	ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.132
1025	0.066	अ + ब का योग . .	4.493
1024	0.110		
1023	0.007	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—	
1020	0.075	“बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक के माइनर	
496	0.004	क्र. 25” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर	
497	0.009	स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.	
498	0.012	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं	
495	0.008	पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया	
492	0.002	जा सकता है.	
494	0.028	पत्र क्र. 801-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को	
489	0.103	इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद	
1204/488	0.030	(1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि	
474	0.117	सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन	
		पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का	
		अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा	

घोषित किया जाता है. कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

	(1)	(2)
अनुसूची	305	0.009
(1) भूमि का वर्णन—	278	0.002
(क) जिला—सतना	279	0.048
(ख) तहसील—अमरपाटन	280	0.054
(ग) ग्राम—भदवा	98	0.002
(घ) क्षेत्रफल—1.667 हेक्टर.	99	0.019
खसरा	100	0.002
अर्जित रकबा	95	0.044
नंबर	93	0.031
(हे. में)	94	0.022
(1)	85	0.039
(2)	67	0.072
अ-निजी पट्टे की भूमि	67	0.072
580	0.062	अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . . . 1.544
582	0.053	
583	0.113	ब-म. प्र. शासन की भूमि
606	0.054	700
605	0.072	592
602	0.031	95/792
601	0.079	83
591	0.002	84
593	0.114	86
594	0.039	ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग . . . 0.000
595	0.012	अ + ब का योग . . . 1.667
476	0.074	
475	0.075	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—
472	0.072	“बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 22” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
353	0.010	
354	0.036	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
466	0.017	
357	0.050	
358	0.044	
359	0.009	
323	0.006	
317	0.044	
318	0.006	
316	0.001	
315	0.012	
312	0.055	
310	0.009	
313	0.014	
309	0.010	
308	0.010	
307	0.013	
306	0.002	

पत्र क्र. 803-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है. कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—अमरपाटन

(ग) ग्राम—रूहिया

(घ) क्षेत्रफल—2.339 हेक्टर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे. में)
--------------	--------------------------

(1)	(2)
-----	-----

अ-निजी पट्टे की भूमि

407	0.012
408	0.011
409	0.072
410	0.068
411	0.022
412	0.055
413	0.058
496/612	0.157
498	0.165
499	0.175
500	0.019
505	0.067
494	0.015
487	0.077
228	0.039
259	0.032
257	0.029
234	0.009
256	0.051
255	0.013
253	0.096
254	0.010
609	0.050
252	0.056
251	0.092
250	0.134
243	0.003
244	0.377

अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . . . 1.964

ब-म. प्र. शासन की भूमि

492	0.022
260	0.050
486	0.072
493	0.231

ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग . . . 0.375

अ + ब का योग . . . 2.339

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—
“बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 24 एवं 25” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 805-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है. कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—अमरपाटन
(ग) ग्राम—केमार
(घ) क्षेत्रफल—8.004 हेक्टर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

212	0.406
215	0.034
216	0.003
219	0.065
220	0.020
218	0.007
323	0.021
324	0.021
325	0.030
571	0.001
573	0.047
572	0.021
574	0.045
559	0.001
558	0.026
556	0.001
557	0.078

(1)	(2)	(1)	(2)
554	0.015	935	0.064
552	0.065	946	0.215
548	0.029	945	0.040
551	0.070	953	0.004
550	0.016	954	0.015
508	0.050	955	0.162
527	0.080	957	0.084
524	0.053	956	0.009
523	0.022	959	0.156
522	0.072	973	0.072
521	0.001	985	0.002
517	0.066	714	0.021
518	0.119	760	0.018
516	0.003	757	0.001
519	0.048	759	0.051
710	0.016	758	0.067
711	0.111	863	0.154
712	0.268	862	0.131
713	0.033	841	0.069
717	0.001	842	0.176
716	0.068	855	0.024
715	0.082	843	0.066
748	0.001	844	0.023
751	0.097	846	0.050
749	0.034	847	0.037
750	0.021	848	0.061
745	0.079	849	0.059
744	0.052	850	0.055
923	0.007	147	0.048
1017	0.043	146	0.013
1018	0.001	139	0.016
1016	0.233	138	0.455
1015	0.017	974	0.281
1013	0.018	981	0.072
930	0.195	971	0.013
929	0.042	983	0.106
931	0.012	984	0.071
932	0.002	1059	0.209
933	0.217	1060	0.079
934	0.071	1061	0.098
936	0.011	1062	0.143

(1)	(2)
1063	0.038
1064	0.032
1065	0.065
1086	0.101
1102	0.006
1107	0.076
1126	0.041
1127	0.005
1129	0.074
1128	0.012
1148	0.003
1149	0.018
1150	0.115
221	0.060
222	0.104
223	0.012
227	0.033
228	0.001
229	0.045
231	0.002
141/1174	0.003
977	0.024
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .	7.628

ब-म. प्र. शासन की भूमि

1056	0.015
1058	0.038
143	0.032
142	0.027
230	0.003
150/1180	0.021
141	0.024
779	0.024
772	0.025
924	0.086
526	0.036
203	0.035
136	0.010
ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.376
अ + ब का योग . .	8.004

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—
“बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 25” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 807-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है. कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—अमरपाटन
(ग) ग्राम—महुडर
(घ) क्षेत्रफल—1.013

खसरा	अर्जित रकबा
नंबर	(हे. में)
(1)	(2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

693	0.060
694	0.089
696	0.010
695	0.086
697	0.085
698	0.091
699	0.012
700	0.154
703	0.013
736	0.074
735	0.069
731	0.056
737	0.004
884	0.048
900	0.065
899	0.051
898	0.010
888	0.012
886	0.004
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .	0.993

ब-म. प्र. शासन की भूमि

885	0.020
ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.020
अ + ब का योग . .	1.013

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—
“बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 23” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 809-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है। कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—अमरपाटन
(ग) ग्राम—नकटी
(घ) क्षेत्रफल—0.248

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

118	0.130
119	0.118

अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . . . 0.248

ब-म. प्र. शासन की भूमि

ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग . . .	0.000
अ + ब का योग . . .	0.248

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—
“बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 22” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. एस. त्रिपाठी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

जबलपुर, दिनांक 15 मई 2017

क्र. 537-भू-अर्जन प्र. क्र.-अ-82-2016-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची

की सारणी के कॉलम (2) में वर्णित भूमि के कॉलम (3) में उल्लेखित रकबे का नीचे बिन्दु क्र. 2 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 उपधारा (4) के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—जबलपुर
(ख) तहसील—कुण्डम
(ग) ग्राम—मेहगवाँ (प.ह.नं. 93)
(घ) रा.नि.मण्डल:—कुण्डम
(ङ) अर्जनाधीन क्षेत्रफल—13.68 हे. एवं इस पर आने वाली अन्य सम्पत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
45	0.15
46	0.40
49	0.19
50	0.48
51/1	0.80
51/2	0.40
55	0.37
70	0.54
71	0.40
72	0.20
354/1	0.65
354/2	0.65
355	0.80
356	1.00
358/1	1.00
358/2	0.93
359	0.40
360/1	0.97
360/2	0.97
361/1	0.66
361/2	0.59
361/3	0.16
361/4	0.28
370	0.69
योग . . .	13.68

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सारसडोली जलाशय शीर्ष कार्य (डूब क्षेत्र) निर्माण हेतु भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) चूंकि उक्त सारसडोली जलाशय शीर्ष कार्य (डूब क्षेत्र) निर्माण कार्य अति आवश्यक की श्रेणी में आता है. अतः धारा 19 की उपधारा (2) के तहत सामाजिक समाघात स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.	(1) 244/2क 246/1क	(2) 0.077 0.065
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.jabalpur.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाइट www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.	246/1ख/1, 246/1ग/1, 249/2क 246/1ख/2, 246/1ग/2, 249/2ख	0.094 0.064
(5) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील कुण्डम, जिला जबलपुर एवं कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.	246/1ख/3, 246/1ग/3	0.036
	योग . .	0.421

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महेश चंद्र चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व
विभाग

बालाघाट, दिनांक 16 मई 2017

क्र. 3477-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बालाघाट
(ख) तहसील—बालाघाट
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-खैरी, प.ह.नं. 12/65, रा.नि.म.
बालाघाट.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—0.421 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नंबर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
244/1क	0.045
244/1ख	0.040

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—बालाघाट से जबलपुर ब्राड गेज अमान परिवर्तन निर्माण हेतु निजी भूमि अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट dm_balaghat@nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर देख सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी तहसील बालाघाट, जिला बालाघाट के न्यायालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण उप मुख्य अभियंता (निर्माण) द.पू.म. रेलवे नैनपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 3478-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बालाघाट
(ख) तहसील—बालाघाट
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-कुम्हारी, प.ह.नं. 12/54, रा.नि.म.
बालाघाट.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—0.594 हेक्टर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नंबर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
172/1, 173/3क	0.065,
	0.036
172/3ड	0.020
172/3घ	0.012
172/4	0.065
178/1क, 178/ख, 178/1ग	0.028
178/2 ग	0.012
178/2च, 345/1क	0.032,
	0.105
345/1ड,	0.010
345/1च	0.008
167/3क	0.065
172/2क	0.041
172/5ग	0.063
172/5क	0.032
योग . . .	<u>0.594</u>

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 21 मार्च 2017

प्र. क्र. 07-अ-82-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके लिये यह घोषणा किया है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—बिजावर
(ग) ग्राम—जैतपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—5.494 हे.

अर्जित की जा रही भूमि/ भूमि का खसरा क्र.

अर्जित रकबा/ क्षेत्रफल (हे. में)

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—बालाघाट से जबलपुर ब्राड गेज अमान परिवर्तन निर्माण हेतु निजी भूमि अर्जन के संबंध में.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट dm balaghat@ nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर देखा जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी तहसील बालाघाट, जिला बालाघाट के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण उप मुख्य अभियंता (निर्माण) द.पू.म. रेलवे नैनपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(1)	(2)
1014/1/1	0.398
1014/1/2	0.133
1014/2/1	0.210
1007	0.020
1006/8	0.050
1009/4	0.030
1012/1/1	0.019
1009/2/3	0.020
1012/1/3	0.078
1012/1/11	0.063
1196/1/7	0.025
997/4	0.080
1161/2605/8	0.060
997/3	0.056
997/1	0.056
995/2	0.173
1196/1/2	0.076
1196/1/6	0.058
1196/1/4	0.030

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भरत यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

Jabalpur, the 11th May 2017

No. 686-Confdl-2017-II-2-5-2017.—Madhya Pradesh State Judicial Academy, High Court of Madhya Pradesh (MPSJA), Jabalpur is conducting Specialised Training Programmes for Advocates as per the action plan of XIV Finance Commission with the funds allocated by the State Government under the Head—"Training & Training Material" to the High Court.

For the aforesaid purpose, following Advocates whose names have been mentioned in the endorsement will participate in the aforesaid Specialised Training Programme scheduled to be held from **22nd—25th May, 2017 at Gwalior** (from 10.30 am to 5.00 p.m.) Advocates, whose names are shown as per list 'A' annexed with this order, will participate, as per the following terms and conditions :—

1. The nominated Advocates shall have to report at 10.00 a.m. sharp on 22nd May 2017 at the venue intimated by District & Sessions Judge, Gwalior.
2. The nominated Advocates are directed to appear soberly dressed (i.e. white shirt and grey-black stripped/white/black trousers in case of men and white saree and blouse in case of women).
3. Nominated Advocates are expected to bring law books (Bare Acts as illustrated in the syllabus of the HJS Examination).
4. Nominated Advocates shall have to make their own arrangements for travelling and accommodation.
5. The participants shall be provided with breakfast, working lunch and tea twice with light snacks during the workshop.
6. On successful completion of the programme, MPSJA shall provide "Certificate of participation" to the participants.

Annexure—"A"

MADHYA PRADESH STATE JUDICIAL ACADEMY,
HIGH COURT OF M.P.
WORKSHOP FOR ADVOCATES (VENUE: GWALIOR)
DATE : 22-05-2017 TO 25-05-2017

No.	Name of Advocates	Place	Enrollment No.
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Shri D. D. Verma	Sheopur	
2	Shri C. C. Gupta	Sheopur	

(1)	(2)	(3)	(4)
3	Shri Brajesh Kumar Sharma	Sheopur	
4	Shri Kuldeep Singh Tomar	Sheopur	
5	Shri Rajendra Yadav	Sheopur	
6	Shri Lokendra Singh Hada	Sheopur	
7	Shri Devendra Viashya	Sheopur	
8	Shri Harshvardhan Dubey	Sheopur	
9	Shri Bhojraj Chakradhari	Sheopur	
10	Shri Mohd. Arif	Sheopur	
11	Shri Brijesh Dwivedi	Shivpuri	
12	Shri Amit Verma	Shivpuri	
13	Shri Ramsingh Lodhi	Shivpuri	
14	Shri Hemant Nandya	Shivpuri	
15	Shri Vrindawan Lodhi	Shivpuri	
16	Shri Vikram Bhargava	Shivpuri	
17	Shri O. P. Bhargava	Shivpuri	
18	Shri Saiyed Manjar Ali	Shivpuri	
19	Shri Vijay Singh Yadav	Shivpuri	
20	Shri Prakash Chandra Dhakad.	Shivpuri	
21	Shri Laxminarayan Shrivastava.	Guna	1937/2002
22	Shri Surendra Singh Raghuvanshi.	Guna	1955/2001
23	Shri Jagdish Agarwal	Guna	2071/1995
24	Shri Praveen Kumar Shrivastava.	Guna	3234/2002
25	Shri Shyam Sunder Litoriya	Guna	2221/2004
26	Shri Prasanna Rathore	Guna	3109/2003
27	Shri Narendra Singh Rajput	Guna	2204/2004
28	Shri Rakesh Vyas	Guna	2247/2004
29	Shri Manoj Singh Rathore	Guna	725/2011
30	Shri Jagvir Singh Jarsoniya	Guna	1914/2007
31	Shri Sanjay Sarvaiya	Gwalior	858/1993
32	Shri Arun Bajpai	Gwalior	721/1994
33	Shri Hardas Shakya	Gwalior	2484/1994
34	Shri Bhushan Ahuja	Gwalior	3322/1996
35	Shri Sanjay Shrivastava	Gwalior	2410/1996
36	Shri Kailash Narayan Parihar.	Gwalior	1911/2000
37	Shri Gajendra Kumar Bhargava.	Gwalior	1306/2001
38	Shri Anurag Bansal	Gwalior	2644/2002
39	Shri Ram Pathak	Gwalior	44/2004
40	Shri Ravinder Kumar	Gwalior	1823/2004
41	Shri Ashish Tiwari	Tikamgarh	
42	Shri Braj Bihari Yadav	Tikamgarh	
43	Shri Suresh Mishra	Tikamgarh	
44	Shri Deepak Kushwaha	Tikamgarh	
45	Shri Sandeep Khare	Tikamgarh	
46	Smt. Sushma Singh	Tikamgarh	
47	Shri Gaurav Shrivastava	Tikamgarh	

(1)	(2)	(3)	(4)
48	Shri Ramnarayan Yadav	Tikamgarh	
49	Shri Yogesh Khare	Tikamgarh	
50	Shri Krishan Kant Khare	Tikamgarh	
51	Shri Shyam Singh Yadav	Morena	
52	Shri Manvendra Rana	Morena	
53	Shri Mohan Bansal	Morena	
54	Shri Sandeep Mishra	Morena	
55	Shri Jitendra Sharma	Morena	
56	Shri Ramendra Gurjar	Morena	
57	Shri Manish Kumshreshta	Morena	
58	Shri Arvind Parashar	Morena	
59	Shri Rakesh Dubey	Morena	
60	Shri Umakant Richharia	Morena	
61	Shri Lokendra Singh Dangi	Datia	
62	Shri Sushant Tiwari	Datia	
63	Shri Akhilesh Singh	Datia	
64	Shri Anand Patwa	Datia	
65	Shri Devendra Sharma	Datia	
66	Shri Ravindra Purohit	Datia	
67	Shri Ravishankar Sharma	Datia	
68	Shri Mukesh Yadav	Datia	
69	Shri Radha Ballabh Mishra	Datia	
70	Shri Dilip Kumar Soni	Datia	
71	Shri Surendra Singh Rajput	Ashoknagar	
72	Shri Rafeek Khan	Ashoknagar	
73	Smt. Mukti Parmar	Ashoknagar	
74	Ku. Rashmi Dwivedi	Ashoknagar	
75	Shri Rajeev Bohre	Ashoknagar	
76	Shri Sambhav Singh Rajput	Ashoknagar	
77	Shri Arun Sharma	Ashoknagar	
78	Shri Rajesh Tripathi	Ashoknagar	
79	Shri Radhamohan Tiwari	Mungawali	
80	Shri Ashish Kumar Jain	Mungawali	
81	Shri Purshottam Soni	Chhatarpur	
82	Shri Anand Kumar Namdeo	Chhatarpur	
83	Shri Mukesh Kumat Dubey	Bhind	563/1998
84	Shri Rajesh Singh Kushwaha	Bhind	780/97
85	Shri Anurag Sharma	Bhind	2227/96
86	Shri Sanjay Dixit	Bhind	153/04
87	Shri Sagar Singh Kashana	Gohad	605/2001
88	Shri Yogendra Shrivastava	Gohad	1629/97
89	Shri Tejpal Singh Tomar	Gohad	3416/2000
90	Shri Rabindra Singh Bhadoria.	Mehgaon	864/2002
91	Shri Sangeet Shrivastava	Mehgaon	2300/2008
92	Shri Sanjeev Kumar Nayak	Lahar	183/2007

Jabalpur, the 17th May 2017

No. 711-Confdl-2017-II-3-1-2017.—The Madhya Pradesh State Judicial Academy, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur is conducting two days Refresher Course on-**Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2015** for Principal Magistrates, Juvenile

Justice Boards on **16 June 2017 & 17 June 2017** in the Academy, Judges, whose names and postings figure in the endorsement, are directed to attend the aforesaid Workshop.

No. 713-Confdl-2017-II-3-1-2017.—The Madhya Pradesh State Judicial Academy, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur is conducting two days Induction Course on-**Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2015** for Principal Magistrates, Juvenile Justice Boards on **16 June 2017 & 17 June 2017** in the Academy, Judges, whose names and postings figure in the endorsement, are directed to attend the aforesaid Workshop.

No. 715-Confdl-2017-II-3-1-2017.—Madhya Pradesh State Judicial Academy, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur is conducting Induction Training (Second Phase) (First Batch) for the newly appointed Civil Judges Class II of 2017 Batch from **19 June 2017 to 14 July 2017** in the Academy. Trainee Judges, whose names and posting figure in the endorsement are directed to attend the aforesaid course.

By order of Hon'ble the Chief Justice,
MOHD. FAHIM ANWAR, Registrar General.

Jabalpur, the 22nd May 2017

No. B-2739-II-15-50-87-V.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 8A of the Legal Services Authorities Act, 1987 (No. 39 of 1987), as amended by the Legal Services Authorities (Amendment) Act, 1994 (59 of 1994), Hon'ble the Chief Justice, High Court of Madhya Pradesh, hereby nominates Hon'ble Shri Justice R. S. Jha Judge of High Court of Madhya Pradesh, Principal Seat Jabalpur, as Chairman of the High Court Legal Services Committee, with immediate effect.

By order and in the name of Hon'ble the Chief Justice,
SATYENDRA KUMAR SINGH, Principal Registrar,
(VIG.).

जबलपुर, दिनांक 15 मई 2017

क्र. B-2623-दो-3-3-2003.—श्री आर. बी. कुमार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी को दिनांक 19 से 21 अप्रैल 2017 तक, तीन दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के पूर्व के अनुक्रम में दिनांक 18 अप्रैल 2017 का एक दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. बी. कुमार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी को शिवपुरी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. बी. कुमार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. E-3633-दो-2-4-2015.—श्रीमती राधा सोनकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी को दिनांक 30 मार्च से 04 अप्रैल 2017 तक छः दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती राधा सोनकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी को कटनी पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती राधा सोनकर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. E-3635-दो-2-18-2015.—श्री एस. के. शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवनी को दिनांक 17 से 19 अप्रैल 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करके तीन दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवनी को सिवनी पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. के. शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 16 मई 2017

क्र. C-2183-दो-2-14-2014.—श्री अमर नाथ, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली को दिनांक 22 मई से 5 जून 2017 तक, बारह दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश एवं दिनांक 06 से 10 जून 2017 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री अमर नाथ, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली को सिंगरौली पुनः पदस्थापित किया जाता है।

ग्रीष्मकालीन/अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अमर नाथ, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. E-3668-दो-2-25-2017.—श्री देवराज बोहरे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, टीकमगढ़ को दिनांक 22 मई से 3 जून 2017 तक, तेरह दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश तथा दिनांक 08 से 16 जून 2017 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 20 एवं 21 मई 2017 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 17 एवं 18 जून 2017 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री देवराज बोहरे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, टीकमगढ़ को टीकमगढ़ पुनः पदस्थापित किया जाता है।

ग्रीष्मकालीन/अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री देवराज बोहरे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 17 मई 2017

क्र. B-2678-दो-2-6-2016.—श्री आलोक कुमार वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को दिनांक 10 से 13 अप्रैल 2017 तक, चार दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 14 से 17 अप्रैल 2017 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री आलोक कुमार वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को श्योपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आलोक कुमार वर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-2680-दो-2-28-2014.—श्री व्ही. पी. एस. चौहान, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, होशंगाबाद को दिनांक 15 से 19 मई 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित

अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 14 मई 2017 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 20 एवं 21 मई 2017 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री व्ही. पी. एस. चौहान, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, होशंगाबाद को होशंगाबाद पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री व्ही. पी. एस. चौहान, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. E-3730-दो-2-58-2014.—श्री पी. सी. शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को दिनांक 03 से 09 मई 2017 तक सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 10 मई 2017 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री पी. सी. शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को बड़वानी पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी. सी. शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. E-3753-दो-2-50-2010.—श्री योगेश कुमार सोनगरिया, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, छतरपुर को दिनांक 27 से 29 अप्रैल 2017 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 30 अप्रैल 2017 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री योगेश कुमार सोनगरिया, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, छतरपुर को छतरपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री योगेश कुमार सोनगरिया, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. E-3755-दो-2-26-2014.—श्री एस. के. तुरकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर को दिनांक 08 से 09 मई 2017 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 07 मई 2017 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 10 मई 2017 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. तुरकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर को नरसिंहपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. के. तुरकर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 19 मई 2017

क्र. B-2722-दो-2-25-2017.—श्री देवराज बोहरे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, टीकमगढ़ को दिनांक 24 से 29 अप्रैल 2017 तक, दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 23 अप्रैल 2017 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 30 अप्रैल 2017 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री देवराज बोहरे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, टीकमगढ़ को टीकमगढ़ पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री देवराज बोहरे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-2229-दो-3-34-2013.—श्री भूपेन्द्र कुमार निगम, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इन्दौर को दिनांक 26 अप्रैल से 4 मई 2017 तक दोनो दिन सम्मिलित करते हुए, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री भूपेन्द्र कुमार निगम, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री भूपेन्द्र कुमार निगम, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. E-3818-दो-2-52-2016.—श्री राजेश कुमार कोष्टा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना को दिनांक 08 से 11 मई 2017 तक, दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार, दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 07-05-2017 के सार्वजनिक अवकाश लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री राजेश कुमार कोष्टा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना को पन्ना पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेश कुमार कोष्टा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. E-3820-दो-2-24-2014.—श्री अरूण कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ को दिनांक 17 से 21 अप्रैल 2017 तक, पांच दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री अरूण कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ को टीकमगढ़ पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरूण कुमार शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 22 मई 2017

क्र. C-2257-दो-2-62-2016.—श्री आर. एन. चंद, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इन्दौर को दिनांक 24 से 29 अप्रैल 2017 तक, छः दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 24 अप्रैल 2017 का एक दिन का अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है।

क्र. B-2730-दो-2-10-2016.—श्री बी. सी. मलैया, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सागर को दिनांक 09 से 11 मार्च 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, तीन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री बी. सी. मलैया, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सागर पुनः सागर किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. सी. मलैया, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-2732-दो-2-32-2010.—श्रीमती कनकलता सोनकर, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को दिनांक 03 से 05 मई 2017 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती कनकलता सोनकर, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कनकलता सोनकर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. B-2736-दो-2-31-2014.—श्री ए. के. श्रीवास्तव, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 05 से 16 जून 2017 तक, बारह दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश तथा दिनांक 17 से 22 जून 2017 तक, छः दिन अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 4 जून 2017 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री ए. के. श्रीवास्तव, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

ग्रीष्मकालीन/अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. के. श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय, के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 15 मई 2017

क्र. B-2621-दो-2-34-2014.—श्री अनिल वर्मा, जिला न्यायाधीश (निरीक्षण), इन्दौर को दिनांक 08 से 12 मई 2017 तक दानों दिन सम्मिलित करते हुए, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 07 मई

2017 के एवं अवकाश के पश्चात् में दिनांक 13 एवं 14 मई 2017 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री अनिल वर्मा, जिला न्यायाधीश (निरीक्षण), इंदौर को इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनिल वर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला न्यायाधीश (निरीक्षण) के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 17 मई 2017

क्र. E-3733-दो-2-28-2017.—श्री चन्द्रशेखर गुप्ता, लेखा अधिकारी, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर को दिनांक 17 से 22 अप्रैल 2017 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 14 से 16 अप्रैल 2017 तक के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 23 अप्रैल 2017 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री चन्द्रशेखर गुप्ता, लेखा अधिकारी, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री चन्द्रशेखर गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो लेखा अधिकारी, के पद पर कार्यरत रहते।

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

SUPREME COURT OF INDIA

New Delhi, dated April 20, 2017

No. F-6-2017-SCA(I).—Hon'ble the Chief Justice of India has been pleased to appoint Shri Kapil Kumar Mehta, an Officer of Madhya Pradesh Higher Judicial Service and functioning as Officer on Special Duty, Madhya Pradesh, State Judicial Academy, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur as Registrar in the Supreme Court of India, on deputation basis, initially for a period of one year with effect from forenoon of 20th April, 2017.

M. V. RAMESH, Registrar [Admn.I]